खण्ड-192, अंक-3
बुधवार, 7 फाल्गुन, शक संवत् 1879
(26 फरवरी, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 192 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २६ फरवरी, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (३३१)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री

चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथ प्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिका प्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारी लाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री

भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्र प्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री

रामहेतसिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवन लाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २६ फरवरी, १९५८ ई०

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में कत्लों में बढ़ती

*१—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में जनवरी, १९५४ से अगस्त सन् १९५७ तक कितने कत्ल की वारदातें हुई ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—१ जनवरी, १९५४ से ३१ अगस्त, १९५७ तक आजमगढ़ जिले में कुल ७७ कत्ल की वारदातें हुईं ।

*२—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त कत्लों की पोस्ट-मार्टम रिपोर्टों में मृत्यु आमतौर से किन हथियारों से हुई बताई गई है ?

श्री कैलाश प्रकाश—पोस्ट-मार्टम रिपोर्टों से ज्ञात हुआ कि कत्ल की वारदातों में अधिकतर बल्लम तथा धारदार हथियार प्रयुक्त हुये हैं । २ घटनाओं में बन्दूकें भी प्रयोग में लाई गईं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि वह वारदातें कहां की हैं जहां पर गोली का प्रयोग किया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले में और उसके आसपास के जिले देवरिया और बलिया में इस प्रकार की कत्ल की घटनायें बहुत जोरों पर हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि आजमगढ़ के ७७ कत्लों में से कितनी जगह फायरआर्म्स का प्रयोग हुआ ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जिन कत्लों में बन्दूक का प्रयोग हुआ है वह बन्दूकें हैंडमेड रहीं या बाहर की बनी थीं ?

श्री अध्यक्ष—सन् १९५४ से ५७ तक के कत्ल बताये गये कि ७७ हुये और यह भी बताया गया कि उसमें से २ फायरआर्म्स से हुये । हैंडमेड थीं या नहीं इसके बारे में मंत्री जी को इतनी सर्वज्ञता हो, इतने डिटेल का ज्ञान हो, यह कैसे हो सकता है ? मैं इस प्रश्न की इजाजत नहीं देता ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ७७ कत्लों में से फौजदारी में कितने हुये और डकैतियों में कितने हुये ?

श्री कैलाश प्रकाश—इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इतनी अधिक संख्या में कत्ल होने के क्या कारण हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—कारण कोई विशेष नहीं हैं।

आजमगढ़ जिले में बल्लमों की खुली बिक्री तथा प्रयोग पर पाबन्दी लगाने का अनुरोध

*३—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार आजमगढ़ जिले में बल्लमों की खुली हुई बिक्री तथा प्रयोग पर कुछ प्रंकुश लगाने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला अधिकारियों ने इस हथियार की खुली बिक्री पर सरकार से कुछ अंकुश लगाने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, स्थिति यह है कि १९५३ से इनके बेचने पर और बनाने पर आवश्यकता है लाइसेंस की। बाकी खरीदने और प्रयोग पर कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद पुनः इस बात पर सरकार ने विचार किया और जिलाधीशों से भी सम्मति मंगवायी और उनकी सम्मति को दृष्टि में रखते हुए यह निश्चय किया कि इन पर कोई लाइसेंस लगाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अधिकारियों ने कब रिपोर्ट दी और सरकार ने यह निर्णय कब किया ?

श्री कैलाश प्रकाश—१९५४ में।

जेल कोड का रिवीजन

*४—श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जेल कोड में कितने सालों से हेर-फेर नहीं किया गया ?

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फरहसन)—पिछली बार जेल मैनुअल में सन् १९४१ में हेर फेर (revision) किया गया था। तत्पश्चात् आवश्यकता पड़ने पर उसमें संशोधन होते रहे हैं।

*५—श्री मोतीलाल अवस्थी (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि कैदियों को केवल १ छटांक दाल प्रति कैदी देने का नियम बहुत पुराना है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां।

बरेली जिले की नवाबगंज तहसील में रहजनी की वारदातें

*६—श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९५७ से अक्टूबर, १९५७ तक तहसील नवाबगंज, जिला बरेली में रहजनी के कितने केसेज हुए ?

श्री कैलाश प्रकाश—उक्त अवधि में तहसील नवाबगंज के अन्तर्गत ३ केस रहजनी के हुए।

श्री शिवराज बहादुर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस-किस मुकाम पर यह रहजनियां हुईं ?

श्री कैलाश प्रकाश—एक घटना ग्राम गुलरिया रुकुमपुर, थाना हाफिजगंज, दूसरी घटना ग्राम लदुपुर, थाना हाफिजगंज और तीसरी घटना बिजमऊ के पास हुई।

श्री शिवराज बहादुर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस रहजनी में कितने रुपये का नुकसान हुआ, कितने रुपये की लूट हुई ?

श्री कैलाश प्रकाश—इसके तो कोई आंकड़े इस समय मौजूद नहीं हैं।

श्री शिवराज बहादुर—क्या मंत्री जी यह बताने की जहमत करेंगे कि कितने सरकारी कर्मचारी लूटे गये इन रहजनियों में ?

श्री कैलाश प्रकाश—जो इसमें नाम दिये गये हैं उससे प्रतीत नहीं होता कि इनमें से कोई सरकारी कर्मचारी है।

श्री अध्यक्ष—(श्री शिवराज बहादुर से) आप के प्रश्न का उद्देश्य मालूम हो जाना चाहिये। आप एक-एक चीज पूछते जा रहे हैं और उद्देश्य का पता नहीं लग रहा है। आप क्यों पूछ रहे हैं, परपज तो बताइये।

श्री शिवराज बहादुर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितने लोग रहजनी के सिलसिले में गिरफ्तार हुए ?

श्री अध्यक्ष—मैं ब्योरे के प्रश्न की इजाजत नहीं दे रहा हूं। उद्देश्य का पता नहीं लग रहा है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस राहजनी में कोई सरकारी खजाना या सरकारी अमीन भी अपने पैसे के साथ लूटे गये हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां। करनसिंह एक अमीन थे और उनके साथ एक चपरासी था ६ बज शाम को लौट रहे थे। उनको चार व्यक्तियों ने घेर लिया।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस अमीन के लूटे जाने से कितना सरकारी पैसा लूटा गया और इसके अन्तर्गत कितने लोग गिरफ्तार किये गये ?

श्री कैलाश प्रकाश—रुपये के आंकड़े तो इस समय मौजूद नहीं हैं। लेकिन चार व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गयी।

*७-८—श्री शिवराज बहादुर—[१२ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

ग्राम छावन, जिला हरदोई में डाइरिया व कै के केसेज

*९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जुलाई, १९५७ में थाना अतरौली, तहसील संडीला, जिला हरदोई के ग्राम छावन में ७ व्यक्तियों को जहर दिया गया था ?

श्री कैलाश प्रकाश—इस प्रकार की कोई सूचना थाना अतरौली में प्राप्त नहीं हुई।

*१०—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार को मालूम है कि उस डाक्टर ने जिसने इन सभी व्यक्तियों का इलाज किया था, अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि यह जहर देने की घटना है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं, ऐसा मालूम हुआ है कि दिनांक ८ जुलाई, १९५७ को मौजा छावन के ६ केस डाइरिया व कै के भरावन अस्पताल में दाखिल हुए थे जिनका इलाज वहां के डाक्टर ने किया था। वे स्वस्थ होकर ९ जुलाई को चले गये थे।

*११—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सच है कि उपर्युक्त मामले की रिपोर्ट थाने में नहीं दर्ज की गयी ?

श्री कैलाश प्रकाश—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोतीलाल अवस्थी, एम० एल० ए०, की चार साथियों सहित कानपुर जिले में गिरफ्तारी

*१२—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को इस बात की शिकायत प्राप्त हुई है कि विधान सभा, उत्तर प्रदेश के सदस्य श्री मोतीलाल अवस्थी को उनके चार साथियों समेत २ अगस्त, सन् १९५७ ई० को सत्याग्रह करने के बाद थाना नरवल (कानपुर) की पुलिस ने १ बजे दिन से ४ बजे रात तक थाने की हवालात में बन्द रक्खा और उन्हें पानी व खाना नहीं दिया गया था तथा नित्यक्रियाओं के लिये भी बाहर नहीं निकाला ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जी नहीं । श्री मोतीलाल अवस्थी व अन्य चार व्यक्तियों को २ अगस्त, १९५७ को गिरफ्तार किया गया व थाना नरवल में १ बजकर १५ मिनट पर लाया गया। यातायात की सुविधा न होने के कारण उनको उसी दिन जेल नहीं भेजा गया। २-३ अगस्त की रात को ३ बजकर ५ मिनट पर सरकारी गाड़ी आने पर उपरोक्त व्यक्तियों को सदर भेजा गया तथा उनको सब प्रकार की सुविधायें दी गयीं ।

*१३—श्री रामस्वरूप वर्मा (अनुपस्थित)—[१२ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१४—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—[१२ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

मैनपुरी जिला जेल में हवालाती बन्दी

*१५—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिला जेल में इस वक्त कितने कैदी हैं और कितने हवालाती हैं और ऐसे हवालाती कितने हैं जिनको हवालात में एक साल से अधिक हो गया है ?

श्री मुज़फ्फर हसन—जिला जेल मैनपुरी में कुल २२१ बन्दी तथा १२६ हवालाती बन्दी हैं । साल भर से अधिक का हवालाती बन्दी कोई नहीं है ।

नार्मल स्कूल, निगोहा, जिला लखनऊ के कर्मचारियों को वेतन मिलने में विलम्ब

*१६—श्री गौरीशंकर राय—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नार्मल स्कूल, निगोहा, जिला लखनऊ के कर्मचारियों को गत जुलाई मास से इस समय तक वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री कैलाश प्रकाश—मिल गया है । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या शिक्षा मंत्री जी को यह ज्ञात है कि इन कर्मचारियों का वेतन मिलने में असाधारण विलम्ब हुआ ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, कुछ बिलम्ब जरूर हुआ ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी इसका कारण बताने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश--यहां पहले एक दूसरे किस्म का स्कूल था। इसके पश्चात् यह नार्मल स्कूल वहां स्थापित हुआ। अब जब कोई नई चीज स्थापित होती है तो उसमें ए० जी० इत्यादि से स्वीकृति लेने में कुछ देर लग जाती है, इसलिये इन का वेतन दिसम्बर में दिया गया।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह दूसरे किस्म का कैसा स्कूल था और उसके साथ-साथ यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन अध्यापकों का अवशेष वेतन कब दिया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश--मैं, श्रीमन्, निवेदन कर चुका हूं कि यहां निगोहा में एक जनता कालेज चलता था जो ३१-७-५७ को बन्द हुआ और वहीं पर नार्मल स्कूल प्रारम्भ किया गया २७-८-५७ से और जो शिक्षक थे उनका वेतन १७-१२-५७ को दे दिया गया।

अलीगढ़ जिले में बन्दूकों तथा रिवालवरों के लाइसेंस

*१७--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ में अलीगढ़ जिले में कितनी बन्दूकें तथा रिवालवरों के नये लाइसेंस दिये गये और कितने रद्द किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सन् १९५६ व १९५७ में अलीगढ़ जिले में २८८ बन्दूकों तथा २६ रिवालवरों के नये लाइसेंस दिये गये और १८२ बन्दूकों तथा ४० रिवालवरों के लाइसेंस रद्द किये गये।

*१८--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)--[१२ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*१९--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में जिन हथियारों के लाइसेंसों की जांच गत वर्ष कमिश्नर आगरा के पास गयी थी उनकी संख्या कितनी थी और उनमें से कितने की जांच अभी तक नहीं हो सकी ? इतनी देर के कारण क्या हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कुल १८२ लाइसेंस जिले में जांच के उपरान्त कमिश्नर के पास अनुमति हेतु भेजे गये। जिनकी जांच जिले में नहीं हो सकी उनकी संख्या ३१ है। देर होने का कारण अधिकारी वर्ग का आम चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव तथा बाढ़ सम्बन्धी कार्य में व्यस्त रहना है।

जेलों में उच्च श्रेणी में रखे गये सोशलिस्ट बन्दी

*२०--श्री उग्रसेन--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की जेलों मे कितने सोशलिस्ट सत्याग्रही उच्च श्रेणी में रक्खे गये थे ?

श्री मुजफ्फरहसन--प्रदेश की जेलों में ५४ सत्याग्रही उच्च श्रेणी में रखे गये।

श्री उग्रसेन--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ५४ सत्याग्रही जो उच्च श्रेणी में रखे गये थे किसी विशेष कनसेन्ट्रेशन कैम्प में एक जगह थे या प्रदेश की दूसरी जेलों में थे ?

श्री मुजफ्फरहसन--कोई कैम्प तो नहीं इसके लिये बना। जहां रखे जाते हैं, वहीं रखे गये।

श्री उग्रसेन--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार राजनीतिक बन्दियों को विशेष क्लास देने के लिये जेल मैनुअल में कोई तरमीम करने की बात सोच रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं ।

श्री उग्रसेन—सरकार के पास कितने लोगों की दरख्वास्त आयी थी या जेल के अधिकारियों न सिफारिश की थी कि उन्हें विशष श्रणी में रखा जाय ?

श्री मुजफ्फरहसन—मेरे पास इस का कोई व्योरा नहीं है ।

देवरिया जेल के बन्दियों की शिकायतें

*२१—श्री उग्रसेन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जेल के बन्दियों ने जेल में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर उसका ध्यान आकर्षित किया है ? यदि हां, तो उसे मिटाने के लिये कौन सा उपचार किया गया ?

श्री मुजफ्फरहसन—देवरिया जेल के बन्दियों की ओर से कोई शिकायत नहीं आयी, अतएव उस पर बिचार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उग्रसेन—देवरिया जेल के बन्दियों की खाने-पीने के गल्ले के सम्बन्ध में कोई शिकायत थी ?

श्री मुजफ्फर हसन—मैं जवाब दे चुका हूं ।

देवरिया जेल के आम के पेड़ों का नीलाम

*२२—श्री उग्रसेन—क्या जेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जेल में इस वर्ष आम क फल की बिक्री से विभाग को कितना रुपया मिला और उस रुपये को किस मद में खर्च किया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—सन् १९५७ में देवरिया जेल के आम के फसल की बिक्री से विभाग को ४० रुपया मिला । यह रकम सरकारी खजान में जमा कर दी गयी ।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी को मालूम है कि देवरिया जेल के अन्दर उस के बगल में एक बहुत बड़ा आम का बाग है ?

श्री मुजफ्फरहसन—जी हां, उसी से तो यह नीलाम हो करके रकम आयी है ।

श्री उग्रसेन—४० रुपये की जो बिक्री हुई किस ठेकेदार को दिया गया वह बाग, क्या मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री मुजफ्फरहसन—सालिग सिंह और दूसरा रामधारी ।

कानपुर जिला बोर्ड के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का वेतन रुकना

*२३—श्री मोतीलाल अवस्थी (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के वेतन किस माह से अदा नहीं किये गये और उसक कारण क्या हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—दिसम्बर, १९५७ से । जिला परिषद के पास इस समय रुपया नहीं है ।

यूथ कांग्रेस के अधिवेशन में मोतीमहल में सूचना विभाग द्वारा लिये गये कमरे का किराया

*२४—राना यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या यह सही है कि यूथ कांग्रेस के अधिवेशन में मोतीमहल में सूचना विभाग की ओर से जमीन किराये पर ली गयी थी ? यदि हां, तो किस दर पर और कितना रुपया कुल देना पड़ा ?

गृह मंत्री के राज्य मंत्री (श्री इस्तफा हुसैन)—सूचना विभाग ने इस प्रदर्शनी में एक कमरा किराये पर लिया था, किन्तु किराया अभी नहीं दिया गया। कितना किराया दिया जायगा इस पर सरकार विचार कर रही है।

राना यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार बतलायेगी कि प्रदर्शनी के अधिकारियों ने इस कमरे का कितना किराया सरकार से मांगा था ?

श्री इस्तफा हुसैन—केवल किराया ही नहीं मांगा था, बल्कि रोशनी वगैरह के लिये भी मांग हुई थी। कितना किराया देना पड़ेगा और कितना रोशनी के सिलसिले में दिया जायगा इसका निर्णय अभी नहीं हुआ।

राना यादवेन्द्रदत्त दुबे—मैंने, श्रीमन्, यह पूछा था कि कितना किराया प्रदर्शनी के कार्यकर्त्ताओं ने सूचना विभाग से मांगा था ?

श्री इस्तफा हुसैन—मैंने निवेदन किया कि किराया और रोशनी का अलग-अलग ब्योरा नहीं है, इस वास्ते नहीं बतलाया जा सकता।

राना यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार यह बतायेगी कि प्रदर्शनी के कार्यकर्त्ताओं ने सूचना विभाग को निमंत्रण दिया था अपनी प्रदर्शनी ले जाने के लिये या सूचना विभाग स्वयं अपनी प्रदर्शनी वहां ले गया था ?

श्री इस्तफा हुसैन—प्रदर्शनी के कार्यकर्त्ताओं ने अनुरोध किया था, सूचना विभाग अपने से नहीं गया था।

श्री बृन्द्रजोत यादव (जिला आजमगढ़)—प्रदर्शनी के आयोजकों ने किराया और रोशनी मिलाकर कुल कितना रुपया सरकार से मांगा था और सरकार ने कितना देना स्वीकार किया ?

श्री इस्तफा हुसैन—कुल मुतालबा १९,६३४ रु० १० आ० का है। उसमें से १५ हजार के दिये जाने के वास्ते माननीय मुख्य मंत्री जी ने हुक्म दे दिया है। इसके अलावा जो बाकी रुपया है उसे अलग अलग विभाग अपने अपने बजट से देंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—१५ हजार रुपये दिये जाने का जो आदेश हुआ है यह किन-किन विभागों की ओर से हुआ है और कितनी-कितनी मदों पर हुआ है ?

श्री इस्तफा हुसैन—१५ हजार में अलग-अलग जितने विभाग शामिल हैं वे सब अपने अपने बजट से उसे देंगे या शासन अलग उन विभागों को दे देगा तब वे विभाग इस प्रदर्शनी के आयोजकों को उस रुपये को दे देंगे।

राना यादवेन्द्रदत्त दुबे—कितने बड़े कमरों में यह प्रदर्शनी रखी गयी जिसके लिये १९ हजार रुपये की मांग की गयी और कितने दिन तक यह प्रदर्शनी वहां रही ?

श्री इस्तफा हुसैन—इस की सूचना इस समय नहीं है कि कितने बड़े-बड़े कमरे थे और कितने दिनों तक प्रदर्शनी रही।

हरिजनों को राजनीतिक पेन्शन देने की जानकारी

*२५—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—जब से राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन देने का विभाग खुला है तब से हरिजनों के कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह सूचना देना सम्भव नहीं है, क्योंकि राजनीतिक पेंशन जाति के आधार पर या किसी जाति विशेष को निश्चित प्रतिशत के आधार पर नहीं दी जातीं और न प्रार्थी अपने प्रार्थना-पत्रों पर अधिकतर अपनी जाति का उल्लेख ही करते हैं ।

*२६—श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)—कितने हरिजन राजनीतिक पीड़ितों को सहायता दी गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उपर्युक्त कारणों से यह भी बतलाना सम्भव नहीं है ।

*२७—श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)—कितने हरिजन राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र कार्यालय में अभी विचाराधीन हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता ।

*२८-२९—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)—[माननीय सदस्य द्वारा स्थगित किये गये ।]

*३०—श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)—[छठवें मंगलवार में प्रश्न संख्या ७७ के अन्तर्गत उत्तर दे दिया गया है ।]

रुदौली, जिला बाराबंकी में गर्ल्स हाई स्कूल की आवश्यकता

*३१—श्री मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह बाराबंकी जिले के रुदौली कस्बे में कोई गर्ल्स हाई स्कूल खोलने का विचार कर रही है यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकार बाराबंकी जिले के रुदौली कस्बे में कोई गर्ल्स स्कूल खोलने का इस समय विचार नहीं कर रही है । प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले में हरिजन थानेदार

*३२—श्री रणबहादुर सिंह (जिला बस्ती)—क्या पुलिस मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले में कितने हरिजन थानेदार हैं और क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उनमें से कोई थाने के इंचार्ज हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—बस्ती जिले में २ हरिजन सब-इंस्पेक्टर हैं, परन्तु उनमें से कोई भी थाने का इंचार्ज नहीं है ।

श्री रणबहादुर सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि दोनों हरिजन थानेदार कब से बस्ती जिले में हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है कि कब से हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पर कुल कितने थानेदार हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, यह भी प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है इसलिये इसकी भी सूचना नहीं है ।

*३३—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—[१२ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

पुलिस थानेदारों की एक जिले में रहने की अवधि

*३४—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पुलिस के थानेदारों के लिये कोई ऐसा नियम बनाये हैं कि एक जिले में वे कितने वर्ष रह सकते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां। पुलिस रेगुलेशन्स की पैरा ५२० के अन्तर्गत पुलिस का थानेदार एक ही जिले में ६ वर्ष तक रह सकता है ।

हरदोई जिले में जे० टी० सी० ट्रेनिंग कालेज तथा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की आवश्यकता

*३५—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उसने जिला हरदोई में जे० टी० सी० ट्रेनिंग कालेज तथा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ।

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं ।

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, हरदोई ने इस प्रकार का सुझाव भेजा था कि वहां पर एक कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की आवश्यकता है और इस पर विचार किया जाय ? सरकार ने इस पर कोई बिचार किया ?

श्री कैलाशप्रकाश—इस समय मेरे पास यह सूचना तो नहीं है कि वहां की प्लानिंग कमेटी ने कोई सुझाव भेजा था। अगर भेजा होगा तो विचार किया होगा, किन्तु यह खोलना सम्भव नहीं है ।

सरकारी विज्ञापनों का समाचार-पत्रों में प्रकाशन

*३६—श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाले दैनिक, अर्द्ध साप्ताहिक, साप्ताहिक, अर्ध-मासिक एवं मासिक पत्र एवं पत्रिकाओं की कुल संख्या क्या है ? इनमें से कितने हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू में प्रकाशित होते हैं ?

श्री इस्तफाहुसैन—वांछित सूचना का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २५६ पर)

*३७—श्री सुल्तान आलम खां—उपर्युक्त पत्र एवं पत्रिकाओं में से कितने सरकारी प्रकाशन (official publication) एवं सम्मन प्रकाशित करने के लिये अधिकृत (authorized) हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन—इस के लिये कोई पत्र विशेष रूप से अधिकृत नहीं है । जहां तक सरकारी प्रकाशनों का सम्बन्ध है (जिससे शायद समस्त सरकारी विज्ञापन तथा टेण्डर नोटिसों का संकेत है) उनका वितरण सूचना विभाग द्वारा होता है। साधारणतया उन पत्रों को विज्ञापन आदि दिये जाते हैं जिनकी वितरण संख्या १,००० प्रतियों से अधिक होती है और जिनका प्रकाशन कम से कम ६ मास से नियमित रूप से हो रहा हो ।

सम्मन एवं कोर्ट नोटिस प्रकाशनार्थ जारी करने का अधिकार जिलाधीशों को दिया गया है, जो शासन द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर पत्रों को सम्मन आदि जारी करते हैं ।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार ने कभी इस बात पर गौर किया है कि उन अखबारों को नोटिस और सम्मन दिये जायं जो सरकार की नीति में कोआपरेट करने और उसकी नीति के मुताबिक अपने को चलाने के जिम्मेदार हों ?

श्री इस्तफा हुसैन—ऐसी बात तो नहीं है कि जो पत्र या पत्रकार सरकार की नीति के मुआफिक हों उन्हीं को दिया जाय, बल्कि जो शर्तें रखी गयी हैं, इश्तहार देने की, उनको जो अखबार पूरा करते हैं, उन्हीं को इश्तहार वगैरह दिये जाते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार विज्ञापन और इश्तहार देने का कोई नियम बनाने जा रही है जिसके अनुसार हिन्दुस्तान के कांस्टीट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अनुसार बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबको विज्ञापन समान रूप से सरकार से प्राप्त हो सकें ?

श्री अध्यक्ष—जवाब उन्होंने दिया , उससे यह उठता नहीं है । उन्होंने कहा है कि विज्ञापन देने के बारे में नियम बने हुए हैं ।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सम्मन और नोटिस जारी करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है किस अखबार को ज्यादा जरूरत है और किस को नहीं ?

श्री इस्तफा हुसैन—इस बात का खयाल नहीं रखा जाता है कि किसी अखबार को इश्तहार की ज्यादा जरूरत है बल्कि कुछ शर्तें हैं जो उनको पूरा करते हैं उनको दिये जाते हैं ।

राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय, फतेहगढ़ को डिग्री कालेज बनाने की प्रार्थना

*३८—श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार का विचार राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय, फतेहगढ़ का स्तर डिग्री कालेज (Degree College) तक बढ़ाने का है ? यदि हां, तो कब ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं ।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार को यह मालूम है कि फर्रुखाबाद जिले में एक भी डिग्री कालेज नहीं है और आसपास के जिलों में भी कोई नहीं है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, यह तो माननीय सदस्य को मुझ से ज्यादा मालूम होगा ।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार इस पर ध्यान देने के लिये तैयार है कि डिग्री कालेज ऐसे मुकाम पर बनाये जायं जिसके आस पास एक जोन हो जिसको वह कवर कर सके ?

श्री कैलाश प्रकाश—जो कोई डिग्री कालेज बनाना चाहते हैं वह यूनिवर्सिटी को ऐप्लाई करते हैं और वह जांच-पड़ताल करती है और उसके बाद यूनिवर्सिटी चांसलर के पास रिकमेंडेशन भेजती है । जब वह स्वीकृत हो जाती है तो डिग्री कालेज बन जाता है । अधिकांश में डिग्री कालेजेज सार्वजनिक संस्थायें ही बनाती हैं ।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार फतेहगढ़ राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय को डिग्री कालेज न बनाकर किसी और विद्यालय को डिग्री कालेज बनाने के लिये विचार करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—मैं निवेदन कर चुका हूं कि डिग्री कालेज बनाने का विचार करने का काम यूनिवर्सिटी का है ।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार इस बात को महसूस करती है कि फर्रुखाबाद जिले में कम से कम एक डिग्री कालेज बनाया जाय और इस आधार पर वह यूनिवर्सिटी को मूव करने का ख्याल रखती है ?

श्री कैलाशप्रकाश—सरकार कोशिश करती है कि जहां भी डिग्री कालेज की आवश्यकता है वहां हो जाय। लेकिन जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं कि जो डिग्री कालेज बनाना चाहते हैं तो वह सार्वजनिक संस्थायें यूनिवर्सिटी को ऐप्रोच करती हैं।

बुलन्दशहर जिले में बन्दूक और रिवालवर के लाइसेंस की दरख्वास्तों की नामंजूरी

*३९—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में १९५६-५७ में कितने लोगों ने बंदूकों के लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र दिये और कितने व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र जिलाधीश ने एस० पी० और एस० डी० एम० की सिफारिश के बावजूद भी खारिज कर दिये?

श्री कैलाशप्रकाश—सन् १९५६ में कुल ९५९ तथा ३० सितम्बर, १९५७ तक ४१८ प्रार्थना-पत्र बन्दूक के लाइसेंस के लिये प्राप्त हुए। परन्तु यह बताना सम्भव नहीं कि कितने व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र एस०पी० और एस०डी०एम० की सिफारिश के बावजूद भी खारिज कर दिये गये, क्योंकि लाइसेंस देने के नियम में सिफारिश का प्राविधान नहीं है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किस आधार पर लायसेंस की मंजूरी देते हैं? आर्थिक स्थिति के आधार पर या अन्य किसी आधार पर?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, केवल आर्थिक स्थिति की बात नहीं है, लेकिन वह देखते हैं कि वह व्यक्ति सच्चरित्र है जिसके पास लायसेंस है और उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। दूसरे उनको लायसेंस के देने की आवश्यकता है या नहीं।

श्री हिम्मतसिंह—एस०पी० और एस०डी०एम० के पास लायसेंस की दरख्वास्तें क्यों भेजी जाती हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—जिलाधीश जब ऐसे प्रार्थना-पत्रों पर विचार करता है तो अपनी जानकारी के लिये किसी अधिकारी को यह काम सौंप देता है जिससे वह पूछताछ करके उनको जानकारी करा दे।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लायसेंस देने के हेतु स्टेटस नापने के लिये कौन-सा पैमाना इस्तेमाल किया जाता है और किस स्टेटस के आदमी को लायसेंस दिया जाता है?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, पैमाना तो मैं पहले ही प्रश्न के उत्तर में निवेदन कर चुका। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने विवेक से इस बात को निश्चित करता है।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार को यह मालूम है कि हाल में सरकार के हुक्म के मुताबिक कमिश्नरों ने मास स्केल पर रिवालवरों के लायसेंस मन्सूख कर दिये हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां। पहले प्राविधान यह था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रिवालवरों के लायसेंस दे देते थे। उसके बाद उसमें परिवर्तन यह हुआ कि उनको कमिश्नरों की भी स्वीकृति लेनी पड़ती थी। जब रिन्यूअल का मामला चला तो कमिश्नरों ने बहुत से पुराने लायसेंसों को रिन्यू नहीं किया। सरकार ने इस बात पर विचार किया है और ऐसे लायसेंसों को रियायत के साथ देखने के लिये कमिश्नरों से कहा है।

इटावा जिले में राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

*४०—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में कितने राजनीतिक पीड़ित व्यक्ति हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—यह बताना सम्भव नहीं है क्योंकि व्यक्तियों की कोई गणना नहीं की गयी है ।

*४१—श्री भजनलाल—क्या सरकार यह बतायेगी कि उन राजनीतिक पीड़ितों में कितने अनुसूचित और कितने बैकवर्ड क्लास के हैं, और कितनों को क्या-क्या सहायतायें दी गयीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भजनलाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा के राजनीतिक पीड़ित व्यक्तियों की गणना न होने का कारण क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह गणन तो, श्रीमन्, इटावा में ही नहीं और किसी जिले में भी नहीं हो पायी है ।

श्री उग्रसेन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में कितने राजनीतिक पीड़ित हैं उन्हें पेंशन या अन्य सहायता दी गयी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—इटावा जिले में ११५ व्यक्तियों को पेंशन, ६ व्यक्तियों को आवर्तक अनुदान तथा ३० व्यक्तियों को एकमुश्त धनराशि प्रदान की गयी है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के राजनीतिक पीड़ितों की कोई सूची बनायी गयी थी और अगर नहीं बनायी गयी, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के किसी जिले के राजनीतिक पीड़ितों की सूची नहीं बनवायी जा सकी । यह काम शायद राजनीतिक पार्टियां कर सकती होंगी लेकिन गवर्नमेंट के पास इसका साधन भी नहीं है कि सन् १९२१ से लेकर इस वक्त तक कितने आदमी राजनीतिक आन्दोलनों में शरीक हुए, इसकी जांच करा सके ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार अन्य चीजों में हरिजनों को सुविधायें मिलती हैं उसी प्रकार पेंशन के मामले में भी उनको कुछ आयु की सुविधा देने की कृपा की जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं ।

श्री रामकृष्ण सारस्वत—क्या माननीय मंत्री प्रदेश में राजनीतिक पीड़ितों की जिलेवार सूची बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—इसका तो जवाब दिया जा चुका कि साधन नहीं है ।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जितने राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन या अन्य प्रकार की मदद दी गयी है उनमें कितने अनुसूचित और बैकवर्ड क्लास के हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो पेंशन दी जाती है उसमें जाति पांति का कोई खयाल नहीं किया जाता । हमारे पास कोई सूची भी इस बात की नहीं है ।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के ऐसे राजनीतिक पीड़ित जिनको दरख्वास्त देने की अन्तिम तारीख का ज्ञान नहीं हो पाया था, उनकी दरख्वास्त सरकार फिर से लेने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, उसकी अन्तिम तारीख दी जा चुकी है उस वक्त तक जो दरख्वास्तें आयीं उन पर ही विचार किया जा रहा है ।

परिगणित और बैकवर्ड जातियों के कान्सटेबिलों की भर्ती

*४२—श्री भजन लाल—क्या पुलिस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, १९५५ से लेकर मार्च, १९५७ तक कुल कितने कान्सटेबिल उत्तर प्रदेश व इटावा जिले में पुलिस लाइन में भर्ती किये गये ? उनमें कितने बैकवर्ड क्लास के थे व कितने परिगणित जाति के थे ?

श्री कैलाश प्रकाश—मार्च, १९५५ तथा मार्च, १९५७ के बीच कुल ६,५१८ कांस्टेबिल प्रदेश में भर्ती किये गये, उनमें १८४ कांस्टेबुल परिगणित जाति के तथा ७४६ बैकवर्ड क्लास के हैं। उक्त समय के अन्दर इटावा जिले में ७३ कांस्टेबिल भर्ती किये गये जिनमें ५ परिगणित जाति के तथा २२ बैकवर्ड क्लास के हैं।

श्री भजन लाल—क्या सरकार यह बतलायेगी कि उत्तर प्रदेश में जनगणना के आधार पर ६,५१८ कांस्टेबिलों की भर्ती में परिगणित और बैकवर्ड जाति के ९३० व्यक्ति ही क्यों लिये गये ?

श्री कैलाश प्रकाश—कांस्टेबिलों की भर्ती के लिये कुछ शारीरिक योग्यतायें निर्धारित हैं। यदि उन शारीरिक योग्यताओं में वह नहीं आते हैं तो मजबूरी हो जाती है।

गोंडा जिले के बलरामपुर पुलिस सर्किल में वारदातें

*४३—श्री दशरथ प्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतान की कृपा करेगी कि जिला गोंडा के पुलिस सर्किल बलरामपुर के अन्तर्गत जो थाने हैं उनमें १९५४ से अब तक कितनी डकैती पड़ी, कितने कत्ल हुए तथा कितनी चोरियां हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मांगी गयी सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ—२५५ पर)

*४४-४६—श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—[१२ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

ग्राम सबदलपुर, जिला सहारनपुर में हरिजन बालक की हत्या के सम्बन्ध में कार्यवाही

*४७—श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहारनपुर के ग्राम सबदलपुर में जो हरिजन लड़का जून, १९५७ में गोली से मारा गया है उसके सम्बन्ध में पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—इस दुर्घटना के सम्बन्ध में चार व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। उनमें से तीन को अदालत ने ता० १-२-५८ को धारा ३०२ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत सेशन सुपुर्द कर दिया और एक अभियुक्त को उसके विरुद्ध सबूत नाकाफी पाये जाने के कारण बरी कर दिया ।

श्रीमती शकुन्तला देवी—क्या सरकार यह बतलायेगी कि इस दुर्घटना के सम्बन्ध में कितनी गिरफ्तारियां की गयी और उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो बता दिया गया ।

*४८-४९—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—[१२ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले के प्रसार अध्यापक

*५०—श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले में प्रसार अध्यापक उन स्कूलों में अब तक नहीं गये हैं जिनमें वे मई, १९५७ में नियुक्त किये गये थे ?

श्री कैलाश प्रकाश--केवल दो अध्यापकों की नियुक्ति मेहनाजपुर तथा बनवीरपुर में १-५-५७ को हुई थी। वे अध्यापक अपने स्कूलों पर कार्य कर रहे हैं।

*५१--श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी--यदि हां, तो क्या सरकार इनके स्कूलों में कार्य न करने के कारण पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश--यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी--मैं यह पूछना चाहता हूं कि मई के महीने में प्रसार कार्य के लिये जो अध्यापक नियुक्त किये गये थे आजमगढ़ जिले में वे इन्सपेक्टर के दफ्तर में कार्य करते रहे और उन स्कूलों का नुकसान हुआ ? क्या इसकी जानकारी सरकार को है कि वे कितने दिनों तक वहां रहे ?

श्री कैलाश प्रकाश--प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। माननीय सदस्य के इसमें कई प्रश्न मिले हुए मालूम होते हैं। मैं उसको स्पष्ट समझ नहीं पाया हूं।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी--मेरा प्रश्न यह है कि मई, सन् ५७ में अध्यापक नियुक्त किये गये थे। उस समय वे उन स्कूलों में नहीं भेजे जा सके, इन्सपेक्टर के दफ्तर में बुलाये गये और वहां पर कुछ समय तक वे प्रसार का कार्य करते रहे। इससे उन स्कूलों के कार्य का नुकसान हुआ तो क्या इसकी जानकारी सरकार को है ?

श्री अध्यक्ष--यह जानकारी आप सरकार को लिखित दे दें तो अच्छा है।

*५२-५३--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--[१२ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

गोरखपुर में कुछ मुसलमानों का मुहर्रम न मनाना

*५४--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)--क्या सरकार को सूचना प्राप्त हुई है कि गोरखपुर शहर के गोरखनाथ मुहल्ले के हजारों अल्प-संख्यकों ने उनकी कब्रगाह तथा ताना-बाना बुनने की थोड़ी जगह को किसी विद्यालय हेतु लिये जाने के विरोध में इस साल मुहर्रम न मनाने का निर्णय किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। गोरखपुर के कुछ मुसलमानों ने इस कारण इस वर्ष मुहर्रम नहीं मनाया।

उन्नाव जिले में जिला बोर्ड द्वारा खोले गये प्रारम्भिक स्कूल

*५५--श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष उन्नाव जिले में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को कितने स्कूल खोलने की अनुमति दी गयी है ?

श्री कैलाश प्रकाश--३८ प्रारंभिक स्कूल।

*५६--श्री सजीवन लाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने इस वर्ष किस तहसील में कितने स्कूल खोले हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--

तहसील का नाम	स्कूलों की संख्या, जो खोले हैं
उन्नाव में	१२
सफीदपुर में	५
पुरवा में	१५
हसनगंज में	६

*५७--श्री सजीवन लाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हसनगंज तहसील में एक हजार से अधिक आबादी वाले गांव जैसे रसूलपुर बकिया, कनिगांव, पूराचांद आदि में स्कूल क्यों नहीं खोले गये ?

श्री कैलाश प्रकाश--रसूलपुर बकिया तथा कनिगांव में इस वर्ष स्कूल खोले गये हैं। पूराचांद में स्कूल नहीं खोला गया, क्योंकि प्रारंभिक पाठशाला, दिपवल वहां से लगभग आधे मील की ही दूरी पर है।

श्री सजीवन लाल--ये ३८ प्रारंभिक पाठशालाएं किस आधार पर खोली गयीं ?

श्री कैलाश प्रकाश--जिला परिषद् जहां आवश्यकता समझता है वहां खोलता है।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या इन खोले गये स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये बैठने के स्थान का तथा इमारत का कोई प्रबंध किया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश--यह कार्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड करता है लेकिन मैं समझता हूं कि बैठने का इन्तजाम तो किया ही गया होगा, भवन के लिये मैं नहीं कह सकता हूं।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--क्या सरकार को पता है कि पूराचांद में पहले स्कूल था और १ साल पहले वह पाठशाला तोड़ दी गयी ? यदि हां, तो क्यों तोड़ी ?

श्री कैलाश प्रकाश--नोटिस की आवश्यकता है।

आजमगढ़ जिला बोर्ड के जूनियर हाई स्कूलों में संस्कृत अध्यापकों का वेतन

*५८--श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बोर्ड, आजमगढ़ के संस्कृत अध्यापकों को जुलाई, सन् १९५६ में स्वीकृत की गयी वार्षिक वृद्धि नहीं दी जा रही है और इन अध्यापकों को ५६ रुपये प्रतिमास के स्थान पर केवल ४८ रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है ?

श्री कैलाश प्रकाश--जिला बोर्ड के स्कूलों के लिये संस्कृत अध्यापक का कोई पद स्वीकृत नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

श्री विश्रामराय--क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिला बोर्ड में जूनियर हाई स्कूलों में सन् ५१ से कुछ अध्यापक संस्कृत पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां, कर रहे हैं।

श्री विश्राम राय--तो उन्हें ५६ रुपये का ग्रेड क्यों नहीं दिया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश--प्राप्त हुई सूचना के आधार पर, इन शिक्षकों की निम्नतम योग्यता नहीं है, इसलिये इनको स्थायित्व या वेतन क्रम नहीं दिया गया है। ये प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक हैं और संस्कृत पढ़ाने के लिये इन्हें जूनियर हाई स्कूलों में भेज दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--जूनियर हाई स्कूलों के लिये संस्कृत की योग्यता क्या चाहिये और प्राईमरी स्कूलों के लिये क्या चाहिये ?

श्री कैलाश प्रकाश--इसका ब्योरा इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय--जिस योग्यता के अध्यापकों की जूनियर हाई स्कूलों के लिये आवश्यकता थी, क्या उनकी तलाश की गयी ?

श्री कैलाश प्रकाश--इसके बारे में जिला बोर्ड से पत्र-व्यवहार हो रहा है।

गोरखपुर जिले में मूरत डाकू की गिरफ्तारी

*५९—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मूरत डाकू कहां और कब तथा किसके द्वारा पकड़ा गया ?

श्री कैलाश प्रकाश—मूरत डाकू अपने दो साथियों के साथ दिनांक ६ दिसम्बर, १९५७ को रात में लगभग १० बजे थाना नईकोट, जिला गोरखपुर के अन्तर्गत ग्राम महुअवा के निकट एक आम के बाग में पकड़ा गया। गिरफ्तार करने वाली पार्टी में थानाध्यक्ष नईकोट श्री राजबहादुर सिंह तथा इंस्पेक्टर, श्री वकील अहमद के अलावा ३ सब-इंस्पेक्टर, २ हेड कांस्टेबिल, १३ कांस्टेबिल तथा जनता के कुछ लोग थे।

*६०—श्री अमरनाथ—क्या जिस व्यक्ति ने उपर्युक्त डाकू मूरत को पकड़ा उसे इनाम भी दिया गया ? अगर हां, तो कितना और कब ?

श्री कैलाश प्रकाश—इस संबंध में पुरस्कार का वितरण मूरत के विरुद्ध मुकदमे का निर्णय होने के बाद किया जायगा।

श्री अमरनाथ—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि मूरत और उसके साथियों पर कितने डाके डालने और कत्ल करने का इलजाम है ?

श्री कैलाश प्रकाश—क्योंकि जांच हो रही है, अतः यह बताना सम्भव नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर—जिन जनता के आदमियों के सहयोग से यह डाकू पकड़ा गया है उनको अपनी रक्षा के लिये कुछ हथियार तथा इनाम देने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—नोटिस की आवश्यकता होगी कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिये कोई प्रार्थना भी की है या नहीं।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—क्या सरकार के पास ऐसी सिफारिश आई है कि पकड़ने वालों को तो इनाम नहीं, बल्कि एस० पी० और डी० एस० पी० को इनाम दिये जायं ?

श्री कैलाश प्रकाश—मुझे इसकी सूचना नहीं है।

श्री प्रताप सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन कारणों से वह मुकदमे तय होने के बाद इनाम तय करने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पहली बात तो यह है कि अभी एक माननीय सदस्य ने पूछा था एस० पी० और डी० एस० पी० की बाबत। सरकारी नियम है कि ऐसे मौके पर एस० पी० वगैरह को इनाम दिया ही नहीं जाता है। इस दर्जे के अफसरों को इनाम नहीं दिया जाता है। इसलिये यह प्रश्न पैदा नहीं होता है। पहले बराबर ऐसा होता था कि बहादुरी से काम करने वालों को इनाम दिये जाते थे। बाद को हाईकोर्ट ने यह कहा कि इनाम देने से मुकदमा बिगड़ जाता है, क्योंकि इनाम देने से सरकारी गवाह लोग बन ही जाते हैं। इसलिये जरूरी हो गया कि जब तक अपील की अन्तिम हद खत्म न हो जाय, हम किसी को इनाम नहीं दे सकते।

इटावा जिले में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, कम्पलेण्ट्स द्वारा पकड़े गये मामले

*६१—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस समय डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस, कम्पलेन्ट की नियुक्ति हुई उस समय से इटावा जिले में कितने लेखपाल, कानूनगो, पेशकार, कान्स्टेबिलों के खिलाफ कितने मामले पकड़े गये और उनमें कितनों पर मुकदमे चलाये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट (कम्पलेन्ट) ने नियुक्ति के बाद से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक जिन शिकायतों की जांच की उनमें २ लेखपाल, २ कानूनगो तथा ३३ कान्सटेबिलों के विरुद्ध आरोप सही पाये। इसके अतिरिक्त १ पेशकार के विरुद्ध स्टेशन आफिसर कोतवाली ने भी जांच की थी जिसमें कि आरोप सही थे। इनमें से २ लेखपाल, १ कानूनगो, और १ पेशकार के विरुद्ध अदालत में मुकदमे चलाये गये हैं।

नार्मल स्कूल, निगोहा, जिला लखनऊ के कर्मचारियों को वेतन भिजने में विलम्ब

*६२—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय दीक्षा विद्यालय, निगोहा, जिला लखनऊ के अध्यापकों को इस वर्ष का वेतन अब तक कुछ नहीं दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वेतन दे दिया गया है। प्रश्न नहीं उठता।

फीरोजाबाद थाने के अन्तर्गत अपराध

*६३—श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नवम्बर, १९५७ (१-११-५७ से लेकर ३०-११-५७) में फीरोजाबाद थाने के इलाके में कितनी चोरी, डकैती कत्ल, आत्महत्या आदि हुई हैं और पुलिस उनमें से कितनों का पता लगाने में सफल हो चुकी है ?

श्री कैलाश प्रकाश—इस अवधि में कत्ल के ३ तथा चोरी के १३ मामले हुए। कोई डकैती एवं आत्महत्या नहीं हुई। कत्ल के १ तथा चोरी के ३ मामलों में पता लग चुका है।

*६४—श्री जगन्नाथ लहरी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नवम्बर मास में जो बड़ी-बड़ी चोरियां, फिरोजाबाद नगर में हुई हैं और बहुधा सब जगह एक ही आदमी के पैरों व हाथ के निशान पाये गये हैं उसका कोई फोटो पुलिस द्वारा लिया गया है या नहीं ? अगर लिया गया है, तो उन निशानों के जरिए क्या अपराधी की खोज की गयी है ?

श्री कैलाश प्रकाश—केवल नकबजनी के २ मामले में निशान पाये गये जो स्पष्ट नहीं थे। चूंकि उनका फोटो स्पष्ट न आता इस कारण वे निशान शीशे पर लिये गये और उनका मिलान कई संदिग्ध व्यक्तियों के पैरों के निशान से किया गया परन्तु कोई सफलता नहीं मिली।

*६५—श्री जगन्नाथ लहरी—क्या सरकार फीरोजाबाद नगर में नवम्बर मास की एक बड़ी संख्या में चोरी और कत्लों की घटनाओं के सम्बन्ध में गुप्तचर विभाग द्वारा अपराधियों का पता लगाने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं। कोई ऐसी असाधारण स्थिति नहीं उत्पन्न हुई प्रतीत होती जिसमें सी० आई० डी० विभाग को लगा दिया जाय। यदि किसी विशेष घटना में ऐसी आवश्यकता प्रतीत हुई तो ऐसा भी किया जायगा।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या सरकार को पता है कि इन ३ व्यक्तियों के अतिरिक्त नवम्बर में ४ अन्य व्यक्तियों की भी हत्यायें हुई थीं ? नवम्बर मास में ७ हत्याओं का जिक्र फीरोजाबाद के थाने में है, लेकिन ३ की ही सूचना दी गयी है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं, इस समय कोई ऐसी सूचना नहीं है।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या सरकार मेरे इस प्रश्न को सूचना समझ कर सूचना एकत्रित करने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—अच्छा हो माननीय सदस्य लिख कर दे दें तो सूचना अवश्य एकत्रित की जायगी।

*६६-६७—श्री लाल बहादुर सिंह (जिला जौनपुर)—[छठवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ६६-६७ के लिये स्थानान्तरित किये गये।]

*६८-७०—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—[छठवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ६८-७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मैनपुरी जिले में अपराध

*७१—श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिला के प्रत्येक थाने के ब्लाक में जनवरी, १९५७ से १० दिसम्बर, १९५७ तक अलग-अलग कितनी-कितनी चोरियां, कितनी-कितनी डकैतियां हुई हैं और उनसे सम्बन्धित कितनी कितनी नामजद रिपोर्टें किस-किस ग्राम से हुईं ?

श्री कैलाश प्रकाश—वांछित सूचना प्रत्येक थानेवार संलग्न तालिका में दी गयी है। कितनी नामजद रिपोर्टें किस-किस ग्राम से हुईं इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २५६ पर)

*७२—श्री रामदीन—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त नामजद रिपोर्टों में से ऐसी कितनी-कितनी प्रति थाने में हैं जिन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

श्री कैलाश प्रकाश—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २५६ पर)

श्री रामदीन—क्या सरकार बतायेगी कि थानों में नामजद रिपोर्टों पर कार्यवाही नहीं की गयी, उसका क्या कारण था ?

श्री कैलाश प्रकाश—खोज करने पर उनका कोई पता नहीं लग पाता है, यही कारण होता है।

शहीद हायर सेकेण्डरी स्कूल, मधुवन, जिला आजमगढ़ के प्रबंध में सरकारी हस्तक्षेप की प्रार्थना

*७३—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार को मालूम है कि श्री शहीद हायर सेकेन्डरी स्कूल, मधुवन, जिला आजमगढ़ की प्रबन्धकारिणी समिति में फूट हो जाने के कारण दो कमेटियां बन गयी हैं और उनकी मान्यता का प्रश्न सम्बन्धित विभाग के विचाराधीन है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां।

*७४—श्री मुक्तिनाथ राय—यदि हां, तो इसके निर्णय में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जांच हो रही है तथा मामला विचाराधीन है।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ये दोनों कमेटियां कब बनीं और जब अभी तक कमेटियों की मान्यता का प्रश्न विचाराधीन है तो स्कूल का प्रबंध किस प्रकार से किया जा रहा है ?

श्री कैलाश प्रकाश---श्रीमन्, इस समय यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि ये दोनों प्रबंध समितियां कब बनीं। वहां आपस में पार्टीबंदी और दलबंदी है और दोनों कमेटियां अपने को वैधानिक कहती हैं, इसलिये यह मामला विचाराधीन है।

श्री मुक्तिनाथ राय---मान्यवर, मैंने यह पूछा कि यह झगड़ा कब से है ?

श्री कैलाश प्रकाश---मैंने निवेदन किया कि यह सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है, नोटिस की आवश्यकता है।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या सरकार दोनों कमेटियों को भंग करके, स्कूल का काम सुचारु-रूप से चलाने पर विचार कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश---सरकार को ऐसा कोई अधिकार नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या शिक्षा मंत्री जी को ज्ञात है कि इन दोनों कमेटियों में से एक कमेटी ने हाईकोर्ट में रिट दायर की थी, उसके हक में डिग्री हो गयी और वही उसका संचालन भी कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी नहीं, जो रिपोर्ट हमारे पास है, उसमें इसकी चर्चा नहीं है कि हाईकोर्ट ने कोई फैसला किया है ?

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी इसकी जानकारी प्राप्त करके, सदन को रिपोर्ट देने की कृपा करेंगे कि हाईकोर्ट में कोई रिट दाखिल हुई या नहीं और वहां से क्या फैसला हुआ ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी हां, लेकिन अच्छा हो माननीय सदस्य लिख कर दे दें तो मैं इसकी जानकारी प्राप्त कर लूंगा।

श्री भीखालाल---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में सरकार अपने अधिकार बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी हां, यह कठिनाई अक्सर आ जाती है। माननीय सदन में एक विधेयक प्रस्तुत है, जो प्रवर समिति को जा रहा है, उसमें इस तरह की व्यवस्था है।

*७५---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---[सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया।]

थाना इंचार्ज, अतरौली, जिला हरदोई के विरुद्ध इस्तगासा

*७६---श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना अतरौली, जिला हरदोई के थाना इंचार्ज के विरुद्ध कितने इस्तगासे १-९-५७ को न्यायालयों में चल रहे थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---थाना इंचार्ज, अतरौली, जिला हरदोई के विरुद्ध १-९-५७ को केवल एक इस्तगासा जुडीशल अफसर (द्वितीय) के न्यायालय में चल रहा था।

*७७---श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव---क्या गृह मंत्री को यह भी ज्ञात है कि उनके पास सितम्बर, १९५७ में इस प्रकार की शिकायत पहुंची है कि उपर्युक्त थाना इंचार्ज चकबन्दी से सम्बन्धित मामलों में भी हस्तक्षेप करते हैं और इसी कारण निर्णयार्थ हर रविवार को थाने में कोर्ट लगाते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं, इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आयी है।

नोट :---तारांकित प्रश्न संख्या ७४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

मैनपुरी जिले में अपराध

*७८—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५५ में मैनपुरी जिले में कितने कत्ल, डकैती व रहजनी हुईं और थानों से कितनी-कितनी दूरी पर हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सन् १९५५ में मैनपुरी जिले में ३१ कत्ल, ४७ डकैती और १० रहजनी की घटनाएं हुईं। थाने से घटना-स्थलों की दूरी २ फर्लांग से लेकर १४ मील तक थी।

*७९—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५६ से ३१-८-५७ तक मैनपुरी जिले में कितने कत्ल, डकैती व राहजनी हुईं और थानों से कितनी-कितनी दूरी पर हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस अवधि में मैनपुरी जिले में ५६ कत्ल, ६१ डकैती और २२ रहजनी की घटनाएं हुईं। घटनास्थलों की दूरी २ फर्लांग से लेकर १४ मील तक थी।

*८०—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के अन्दर ऐसा थाना कौन-सा है जिसमें कि सन् १९५६ ई० से अगस्त, सन् १९५७ ई० तक सब से अधिक डकैती और सब से अधिक कत्ल हुये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस अवधि में जिला मैनपुरी में सबसे अधिक डकैती पुलिस सर्किल शिकोहाबाद और सबसे अधिक कत्ल पुलिस सर्किल भोगांव के अन्तर्गत हुए हैं, जिनकी संख्या क्रमशः १० और ११ है।

सोशलिस्ट सत्याग्रही श्री रामेश्वर लाल की सलेमपुर, जिला देवरिया में गिरफ्तारी

*८१—श्री उग्रसेन—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने समाजवादी सत्याग्रहियों को दफा १५१ आई० पी० सी० में गिरफ्तार कर १०७/११७ सी-आर० पी० सी० में चालान किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—६० समाजवादी सत्याग्रहियों को दफा १५१ आई० पी० सी० के अन्तर्गत गिरफ्तार कर दफा १०७/११७ सी- आर० पी० सी० में चालान किया गया।

श्री उग्रसेन—क्या गृह मंत्री को यह ज्ञात है कि देवरिया जिले के सलेमपुर कस्बे में श्री रामेश्वर लाल, सोशलिस्ट कार्यकर्ता उस समय गिरफ्तार किये गये जब वे अपने बीमार पिता की दवा करा रहे थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्री रामेश्वर लाल को उस समय गिरफ्तार किया गया जब कि वे सलेमपुर बाजार में तीन अन्य व्यक्तियों के साथ आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे तथा लोगों को भड़का रहे थे।

बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में विद्यार्थियों की फीस वापस करना

*८३—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले वर्ष बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के विद्यालयों में कुछ महीनों की फीस माफी का आदेश जारी किया गया था और उन विद्यार्थियों को उससे हुई क्षति की पूर्ति के निमित्त सभी जिलों को उनके हिसाब के अनुसार धनराशि भी दे देने का आदेश जा चुका है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

*८४—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी—यदि हां, तो क्या सरकार को जिलों से इसकी चसूना आ गयी है कि उस फीस की धनराशि सम्बन्धित लोगों को वापस लौटा दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, १८ जिलों में से केवल वाराणसी, आजमग , बलिया और मिर्जापुर को छोड़कर अन्य सभी जिलों में सम्बन्धित लोगों को उनका धन वापस लौटा दिया गया है ।

जूनियर हाई स्कूल, शाहजहांपुर, जिला कानपुर की बिल्डिंग पर व्यय

*८५—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जूनियर हाई स्कूल, शाहजहांपुर, परगना भोगनीपुर, जिला कानपुर की बिल्डिंग में कितना रुपया बनाने में लगा है और कितना रुपया सरकार द्वारा अथवा चन्दे द्वारा प्राप्त हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—(१) २,८०५ रु० ९ आ० ३ पा० बनाने में अभी तक व्यय हुआ,

(२) (क) ९०० रु० प्लानिंग विभाग द्वारा, (ख) २,५२५ रु० ९ आ० ३ पा० चन्दे द्वारा ।

आगरा शिक्षक संघ का मांग-पत्र

*८६—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या शिक्षा मंत्री को आगरा शिक्षक संघ की ओर से कोई मांग-पत्र मिला है ? यदि हां, तो उसकी मुख्य मांगें क्या हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, संघ की मुख्य मांगें निम्नवत् हैं:—

(१) सहायता-प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों के मामलों में निर्णय,

(२) शिक्षकों की स्थिति में उचित सुधार करके उन्हें अधिकतम सुविधायें दी जायं,

(३) गैरसरकारी तथा सरकारी, प्रान्तीय तथा केन्द्रीय अध्यापकों के बीच भेद भाव समाप्त किया जाय,

(४) प्रबन्धकों की स्वेच्छाचारिता रोकने के लिये प्रस्तावित शिक्षा विधेयक को अविलम्ब पारित किया जाय ।

सीतापुर जिले में हाई स्कूल ऐण्ड इण्टरमीडियेट परीक्षा के फार्म भरने की अन्तिम तिथि में गड़बड़

*८७—श्री प्रतापभानप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष १९५७-५८ की हाई स्कूल इन्टरमीडियेट परीक्षा के फार्म दाखिल करने की अन्तिम तिथि की विज्ञप्ति में कुछ गलती हो गयी थी ? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और उससे उत्पन्न कठिनाइयों के निराकरण के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बोर्ड के कार्यालय द्वारा तिथि विज्ञापित होने में कोई भूल नहीं हुई ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, सीतापुर के कार्यालय ने भूल से अपने जिले में अन्तिम तिथि ३० सितम्बर, १९५७ घोषित कर दी थी । त्रुटि ज्ञात होने पर संशोधित सूचना जिले के प्रेषक अधिकारियों को भेज दी गयी ।

वाराणसी जिले में सोशलिस्ट सत्याग्रहियों पर किये गये जुर्माने की वापसी

*८८—श्री राजनारायण—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सोशलिस्ट आन्दोलन के संबंध में वाराणसी जिले में कुल कितना जुर्माना प्रथम कोर्ट ने किया, उसमें से कितना वसूल हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सोशलिस्ट आन्दोलन के सिलसिले में वाराणसी जिले में प्रथम कोर्ट ने कुल ३८,८५० रुपये जुर्माना किया जिसमें से केवल १,३०९ रुपये वसूल हुआ।

*८९—श्री राजनारायण—क्या सरकार यह बतायेगी कि सेशंस जज ने कितना जुर्माना वापस देने का आदेश दिया और उसमें से कितना जुर्माना वापस हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सेशन जज ने २१,७११ रुपये जुर्माना माफ किया परन्तु इसमें से केवल ९ रुपये वसूल किया गया था, जिसकी वापसी की कार्यवाही हो रही है। संबंधित व्यक्ति को सूचना दी जा चुकी है परन्तु वह अभी तक रुपया लेने नहीं आया है।

होली की छुट्टी के सम्बन्ध में जानकारी

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पहले मैं सदन की और सदन के सदस्यों की सुविधा के लिये माननीय नेता सदन से जानना चाहता हूं कि होली के लिये इस सदन की बैठक कब स्थगित होगी तथा होली के दिन तक सदन का कार्यक्रम क्या होगा यह हमको बतला दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—इस हफ्ते का तो कार्यक्रम उन्होंने बतला दिया है, होली के पहले तक का यानी ३ मार्च तक का माननीय मुख्य मंत्री जी ने बतला दिया है। आप होली के लिये पूछ रहे हैं कि कितने रोज तक सदन बन्द रहेगा ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो उसके लिये भी पहले ही कार्यक्रम के बारे में एक सूचना दी जा चुकी है कि ४ तारीख तक यह सदन बैठेगा और उसके बाद १० तारीख को बैठेगा। अगर इसमें कोई परिवर्तन हुआ हो तो माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी सूचना दे सकते हैं।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—मेरी जानकारी में कोई सूचना देनी नहीं है।

श्री राजनारायण (ज़िला वाराणसी)—श्रीमन्, ३ तारीख तक का ही प्रोग्राम आया है।

श्री अध्यक्ष—३ तारीख तक का प्रोग्राम दिया हुआ है, लेकिन सदन कब तक बैठेगा, उसके बारे में यह सूचना दी गई है कि सदन ४ तारीख को बैठेगा और ५ तारीख को छुट्टी होगी जो ९ तारीख तक रहेगी और १० तारीख को फिर सदन बैठेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—४ तारीख को क्या काम होगा, इसकी सूचना नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष—४ तारीख के बारे में सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी हफ्ते के शुरू में यानी ३ तारीख को भी दे सकते हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरा इरादा भी यही है, हफ्ते के शुरू में सदन के सामने सूचना रख दूंगा।

इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ की संयुक्त प्रवर समिति के लिए विधान-सभा-सदस्यों का निर्वाचन

शिक्षा उपमन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ की संयुक्त प्रवर समिति में कार्य करने के लिए विधान सभा के निम्नलिखित सदस्य चुने जायं--

१---श्री कैलाशप्रकाश, उपमंत्री, शिक्षा विभाग,
२---श्री जगदीशप्रसाद,
३---श्री नवलकिशोर,
४---श्री इस्तफा हुसैन,
५---श्री केशभानराय,
६---कुमारी श्रद्धादेवी,
७---श्री जगदीशशरण अग्रवाल,
८---श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी,
९---श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी,
१०---श्री दीनदयालु शास्त्री,
११---श्री तेजबहादुर,
१२---श्री चन्द्रजीत यादव,
१३---श्री गौरीशंकर राय,
१४---श्री देवीप्रसाद मिश्र,
१५---श्री गोविन्दसिंह विष्ट,
१६---श्री अब्दुल रऊफ लारी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसके संबंध में मैं एक चीज निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि प्रवर समिति के संबंध में स्वस्थ परम्परा यह है कि या तो माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय उस कमेटी में रहें और उसके अध्यक्ष हों, या हमारे अध्यक्ष महोदय किसी को उसका चैयरमैन नामजद कर दें। मैं यह समझता हूं कि सिद्धांततः और सब तरह से, संबंधित मंत्री महोदय को, जिनके बिल पर वह प्रवर समिति विचार करेगी उस समिति का सभापति होना उचित नहीं है। मैं इस बात पर अधिक बहस करना नहीं चाहता हूं केवल आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि एकाध अपवाद को छोड़ कर लोकसभा में यही होता है और हाउस आफ कामंस में भी यही प्रथा है। मैं आशा करता हूं कि आपने भी इस संबंध में कुछ संकेत किया था कि सदन के नेता इस संबंध में विचार करेंगे और कोई ऐसा निर्णय देंगे जो सर्वमान्य होगा। इस समय यह विवाद न उठे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, एक निवेदन मुझे इस संबंध में यह करना है कि जहां तक मेरी जानकारी है, इस समय जो अभी नाम उपस्थित किये गये हैं, इन पर फिर से विचार करना थोड़ा आवश्यक है; क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी से कल इस संबंध में हमारी बातचीत हुई और माननीय नवलकिशोर जी से भी इस संबंध में हमारी बातचीत हुई है और आज भी जो हमारे चीफ व्हिप श्री उग्रसेन जी हैं उनसे श्री नवलकिशोर जी की बातचीत हुई है। उस बातचीत से यह मालूम हुआ है कि उस सूची में कुछ रद्दोबदल करने की गुंजायश है और उसमें दोनों पक्षों का अब कोई विरोध नहीं रह गया है। जहां तक मैं जानता हूं मुझे श्री कमलापति जी ने यही बताया था कि उन्हें कोई विरोध नहीं है और श्री नवलकिशोर जी ने भी यही बताया था। इसलिये जब उन दोनों को कोई विरोध नहीं है तो इस वक्त इस लिस्ट को मंत्री जी वापस ले लें और बाद में आपस में विचार कर के एक सर्वसम्मत लिस्ट आप की सेवा में आ जाय और उस पर आप की व्यवस्था हो जाय।

[श्री राजनारायण]

माननीय पालीवाल जी ने जो अभी कहा वह भी ठीक कहा। हमारे यहां, जैसा वह कहते हैं एक स्वस्थ प्रणाली होनी चाहिये और हम सब उनके सुझाव से इत्तफाक करते हैं। आप ने भी हाउस आफ कामन्स की कार्यवाही के संबंध में प्रकाश डाला था कि डिप्टी स्पीकर भी सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन हो सकते हैं और उस समिति में जो गैरसरकारी सदस्य होते हैं उन में से भी चुनाव होता है। अब तक ऐसी परम्परा रही है कि मिनिस्टर कन्सर्न्ड ही चेयरमैन होते रहे हैं, परन्तु हमें उस परम्परा पर आपत्ति है। अब वही पुरानी परम्परा नहीं चलनी चाहिये बल्कि जनतंत्र प्रणाली में एक नवीन और स्वस्थ परम्परा चलनी चाहिये और सरकार को भी उसके लिये तैयार होना चाहिये। मेरी शिक्षा मंत्री जी से और श्री नवलकिशोर जी से बातचीत हो चुकी है, और अब कोई विरोध नहीं रह गया है। इसलिये मैं मंत्री जी से आशा करूंगा कि वह अभी इस लिस्ट पर आग्रह न करें, विचार कर के बाद में एक सर्वसम्मत लिस्ट आ जायगी।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, अभी जो समाजवादी दल के नेता श्री राजनारायण जी ने कहा उसके बारे में स्थिति यह थी कि वह यह चाहते थे कि उनकी तरफ से श्री रामनारायण त्रिपाठी का नाम आये। माननीय शिक्षा मंत्री को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। अब जो नाम हैं वह सदन के सामने हैं। अगर वह चाहते हैं कि त्रिपाठी जी का नाम आ जाय तो उनका इस समय यह फर्ज है कि श्री देवीप्रसाद मिश्र का नाम वापस कर के श्री त्रिपाठी का नाम रख दें। यही बात उनकी मुझसे भी और माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी हुई थी और जब वह गये थे तो मुझसे कह गये थे कि अगर वह श्री मिश्र की जगह त्रिपाठी जी का नाम चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप तय कर चुके हैं तो अब प्रस्ताव कर दें।

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, बात श्री नवलकिशोर जी ने जो बताई है वह ठीक बताई है, लेकिन एक बात को वह छोड़ गये हैं। वह मैं निवेदन कर दूं, मैंने श्री कमलापति जी से कहा था कि समितियों में आप के दल के तो तमाम सदस्य यों ही हो जाते हैं इसलिये आप अपनी ओर से श्री रामनारायण त्रिपाठी जी को अकोमोडेट कीजिये और अगर आप न कर पायेंगे तो हम कर लेंगे। उसके उत्तर में माननीय कमलापति जी ने कहा था कि इस संबंध में मैं अपने दल से बात कर के कल सवेरे बताऊंगा, लेकिन आज वह नहीं आये, शायद कहीं बाहर चले गये। अब अगर वह श्री रामनारायण जी को अपनी तरफ से अकोमोडेट करने को तैयार नहीं हैं तो हम तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अगर कोई प्रस्ताव हो जाता है और सर्वसम्मति से पास हो जाता है.....

श्री राजनारायण—श्रीमन्, गृह मंत्री जी इसे मुल्तवी कर दें, अभी।

श्री अध्यक्ष—क्या गृह मंत्री जी मुल्तवी करना पसन्द करेंगे?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, मुझे मुल्तवी करने की विशेष आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, लेकिन जैसा कि अभी कहा गया है मैं इस बात के लिये बिलकुल तैयार हूं कि नम्बर १४ पर मिश्र जी के स्थान पर श्री रामनारायण त्रिपाठी जी का नाम हो जाय।

श्री अध्यक्ष—(श्री राजनारायण से) आप को कोई आपत्ति है?

श्री राजनारायण—कोई नहीं।

श्री अध्यक्ष—तो अब श्री मिश्र की जगह श्री रामनारायण त्रिपाठी का नाम रहेगा।

श्री राजनारायण---वह हमको ही देना पड़ा।

श्री अध्यक्ष---तो यह पूरे सदन की इच्छा है ? (एक क्षण के अन्तर) सर्वसम्मति से यह संशोधन स्वीकृत हुआ ।

प्रश्न यह है कि इण्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ की संयुक्त प्रवर समिति में कार्य करने के लिये विधान सभा से निम्नलिखित सदस्य चुने जायं--

श्री कैलाशप्रकाश,
श्री नवलकिशोर,
श्री केशभान राय,
श्री जगदीशशरण अग्रवाल,
श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी,
श्री तेजबहादुर,
श्री गौरीशंकर राय,
श्री गोविन्दसिंह विष्ट,
श्री जगदीशप्रसाद,
श्री इस्तफा हुसैन,
कुमारी श्रद्धादेवी,
श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी,
श्री दीनदयालु शास्त्री,
श्री चन्द्रजीत यादव,
श्री रामनारायण त्रिपाठी, उपाध्यक्ष
श्री अब्दुल रऊफ लारी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---शिक्षा मंत्री इसमें पदेन सदस्य रहेंगे। सभापति स्पष्ट ही है कि नियम के अनुसार उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी रहेंगे ।

१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---विभिन्न अनुदानों के लिये समय-विभाजन

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान होगा।

श्री गौरी शंकर राय (जिला बलिया)---श्रीमन्, इस संबंध में मेरा प्रस्ताव यह है कि अनुदान संख्या १४, ३४ और ३९ पर आज और कल दोपहर तक बहस की जाय।

कल अपराह्न में अनुदान संख्या ५२ ली जाय। बाकी के संबंध में मेरा सुझाव यह है कि कोई वादविवाद न हो ।

श्री अध्यक्ष---अनुदान संख्या १४,३४ और ३९ एक साथ ले लिये जायं और उन पर आज और कल दोपहर तक विवाद हो । कल दोपहर के बाद शाम तक अनुदान संख्या ५२ ले ली जाय।

इसमें कोई मतभेद तो नहीं है ?

(कोई आपत्ति नहीं की गई।)

अनुदान संख्या ८---लेखा शीर्षक: १३---अन्य कर और शुल्क

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८---अन्य-कर और शुल्क के कारण व्यय-लेखा शीर्षक १३---अन्य-कर और शुल्क के अन्तर्गत ४८,२०,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है...

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---मैं आप की आज्ञा से, एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—मैं पूछता हूं कि जिस अनुदान के ऊपर बहस नहीं होगी, उसमें कटौती द्वारा समय क्यों लिया जाय ?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—निवेदन यह है कि अगर हमारा कटौती का प्रस्ताव पेश नहीं होगा तो यह कैसे प्रकट होगा कि हम सरकार की नीति के विरोधी हैं? इसलिये अगर वाद-विवाद न भी हो तो आप जरूर इतनी आज्ञा। दान करें कि हम कटौती का प्रस्ताव पेश कर सकें।

श्री अध्यक्ष—जो तरीका आप उचित समझें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि आपने पहले इस बात का सजेशन नहीं दिया था इसलिये मैंने यह प्रश्न पूछा। माननीय गौरीशंकर राय का सजेशन था कि कुछ भी इस अनुदान पर विवाद न हो, मैं समझा था कि कटौती का प्रस्ताव भी न होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—प्रत्येक वर्ष होता है।

श्री अध्यक्ष—तो ठीक है।

श्री राजनारायण—हम इसका समर्थन करते हैं, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८—अन्य-कर और शुल्क के कारण व्यय-लेखा शीर्षक १३—अन्यकर और शुल्क के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८—अन्यकर और शुल्क के कारण व्यय-लेखा शीर्षक १३—अन्यकर और शुल्क के अन्तर्गत ४८,२०,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३७—लेखा शीर्षक ५५—बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें

श्री धर्मसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७—बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें—लेखा शीर्षक ५५—बुढ़ौती भत्ते और पेंशनों के अन्तर्गत २,०९,३४,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं अनुदान संख्या ३७—लेखा शीर्षक ५५—बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत जो रकम मांगी गई है उसमें एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, माननीय उग्रसेन जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसके सम्बन्ध में दो मिनट में एक यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, मैं इजाजत नहीं देता हूं। आप कटौती को सपोर्ट कर सकते हैं। बहस नहीं कर सकते।

श्री राजनारायण—आप इसमें कुछ उदार नहीं हो जायंगे श्रीमन्, मैं ....

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, मैं इजाजत नहीं देता हूं। आप बहस करेंगे फिर वह जवाब देंगे। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता।

श्री राजनारायण—मैं इतना ही चाहता हूं कि ७० वर्ष की अवस्था को घटाकर के कम किया जाय और बेकारों को भी इसमें बढ़ा लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, आप कृपा करके बैठें ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७--बढ़ौती भत्ते और पेंशनें--लेखा शीर्षक ५५--बढ़ौती भत्ते और पेंशनों के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७--बढ़ौती भत्ते और पेंशनें --लेखा शीर्षक ५५--बढ़ौती भत्ते और पेंशनों के अन्तर्गत २,०९,३४,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५०--लेखा शीर्षक ८३--पेंशनों की संराशि का भुगतान

श्री धर्मसिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०--पेंशनों की संराशि--लेखा शीर्षक: ८३--पेंशनों की संराशि का भुगतान के अन्तर्गत १८,७५,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या ५० में १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रताप सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०--पेंशनों की संराशि--लेखा शीर्षक : ८३--पेंशनों की संराशि का भुगतान के अन्तर्गत १ रुपये की कमी की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०--पेंशनों की संराशि--लेखा शीर्षक : ८३--पेंशनों की संराशि का भुगतान के अन्तर्गत १८,७५,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १४--लेखा शीर्षक २५--गांव सभायें और पंचायतें, अनुदान संख्या ३४--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान तथा अनुदान संख्या ३९--लेखा शीर्षक ५७--प्रकीर्ण व्यय

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४--गांव सभायें और पंचायतें--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १,०४,९९,९०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४--नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य के अन्तर्गत १,०६,९२,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिय स्वीकार की जाय ।

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९—प्रकीर्ण व्यय—लेखा शीर्षक : ५७—प्रकीर्ण के अन्तर्गत ४,०१,९३,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, मांग संख्या १४ पंचायतों के सिलसिले में है। पंचायतों के सम्बन्ध में इस सदन में भी और सदन के बाहर भी काफी आजकल विवाद चल रहा है। ज्यादातर राय आज इसी पक्ष में है कि अगर हमारी स्वतन्त्रता, जनतन्त्र और लोकतन्त्र को सफल होना है और इसे गांव-गांव तक पहुंचाना है तो वह ग्राम पंचायतों के मार्फत ही हो सकता है। मैं इस बात से इन्कार नहीं करूंगा कि कुछ लोग इसके बरखिलाफ भी राय रखते हैं और काफी कड़ी आलोचना इस प्रयोग की करते हैं। इस सदन में भी कभी-कभी काफी तीव्र आलोचना इस बात की हुई, लेकिन जहां तक आजादी का प्रश्न है आजादी का कोई अर्थ नहीं रहता है अगर आजादी के साथ गलती करने का अधिकार न हो। तभी उसके अन्दर स्वतन्त्रता रहती है कि आदमी अपने विवेक से, अपनी इच्छा, बुद्धि से जैसा वह करना चाहे वैसा करे। समाज का यह बंधन जरूर है कि जो असामाजिक प्रवृत्तियां हैं उनके बढ़ने से समाज में संघर्ष पैदा होता है और मानव अपने अनुभव से धीरे-धीरे जो असामाजिक प्रवृत्तियां हैं उनके ऊपर संभरण करना सीखता है और जिनसे समाज का कल्याण होता है, परस्पर सहयोग बढ़ता है, सद्भावना बढ़ती है उनको अपनाता जाता है। मुझे प्रसन्नता है कि इस देश में यह पंचायतों का जो प्रयोग किया गया है वह एक बहुत बड़े दर्जे तक सफल हुआ है। सिर्फ इसी प्रान्त में नहीं दूसरे प्रान्तों में भी इसके जो अनुभव रहे हैं वह अच्छे हैं। हमारे जो केन्द्र के विचारक लोग हैं और जो अन्य प्रदेशों में भी हैं, उनके यहां तक विचार हैं कि इन पंचायतों को और भी अधिक अधिकार दिये जायं और केन्द्रीय लेजिस्लेचर तथा प्रान्तीय लेजिस्लेचर्स के बीच में भी एक कड़ी और ऐसी बननी चाहिये जिसको कि काफी स्वतन्त्रता दी जाय और काफी उसे अधिकार दिये जायं और जो सत्ता आज प्रदेशों में केन्द्रित है उसका कुछ दर्जे तक विकेन्द्रीकरण किया जाय।

इस सदन को भी मालूम है कि हम अपने यहां जिला परिषद् बनाने की बात सोच रहे थे, दुर्भाग्य से उसमें समय थोड़ा ज्यादा लगा और उसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि यह इच्छा काफी तीव्र रूप से जाहिर की गई कि उसके लिये अब ज्यादा इन्तजार न किया जाय, बल्कि जो आजकल का वर्तमान कानून है उसी के मातहत वर्तमान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव कराये जायं और जैसा सदन को मालूम है अभी १०, १२ दिन पहले इस सदन से उसके सम्बन्ध में एक विधेयक पास भी हो चुका है। जो कमेटी इस सिलसिले में केन्द्र की तरफ से बैठायी गयी थी उसका प्रस्ताव यह था कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर न करके, जो ब्लाक लेविल्स हैं उस पर, हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करें। किन्तु इस प्रदेश में उस चीज को व्यवहारिक नहीं समझा गया। सबसे बड़ी आपत्ति जो हमें उसमें महसूस हुई वह यह थी कि इन संस्थाओं के चलाने के लिये सिर्फ आदर्शवाद से ही काम नहीं चलता है, बल्कि जो हमारे पास मानव सामग्री है, जिन लोगों को इन संस्थाओं को चलाना है वह उपयुक्त नहीं हैं, हमारा काम बहुत कुछ समाप्त हो जाता है, यहां पर कोई विधेयक पास करके, उसकी प्रक्रियायें तय करके, लेकिन जिन स्त्री और पुरुषों को इन संस्थाओं को चलाना पड़ता है उनकी प्रवृत्तियों, खामियों और शक्तियों का खयाल हम न करें तो फिर ये चीजें सफलता से चल नहीं पाती हैं और इसलिये हमने ऐसा महसूस किया है कि हमारे लिये एक अच्छी इकाई एक जिला ही हो सकता है, क्योंकि जिलों का एक इतिहास है, उनकी कुछ परम्परायें हैं, क्योंकि लोगों के दिलों में जिले के प्रति एक प्रेम, अपनत्व मौजूद है। हमने कांग्रेस संगठन में भी देखा—आज की बात मैं नहीं कह रहा हूं जब कि कांग्रेस के बर खिलाफ दूसरी पार्टीज भी हैं जिनके अनुभव भी वही शायद हों—जिस समय कांग्रेस बहुत ज्यादा बलशाली थी, उस समय कोशिश की गई कि जिलों के अलावा तहसीलों में और छोटी-छोटी जगहों में संगठन किये जायं, लेकिन अनुभव हमारा यही रहा कि जिले की कमेटियां तो बलशाली हो सकीं, वे क्रियात्मक हो सकीं, उनमें कुछ संगठन रह

सका, लेकिन दूसरे नीचे के लेविल्स पर हम कोई माकूल संगठन पैदा नहीं कर सके। हमारे पास मानव सामग्री नहीं थी। वह दिक्कत आज भी हमारे सामने है और इन ग्राम पंचायतों को भी सफल बनाने में जो सबसे बड़ी कठिनाई हम महसूस करते हैं वह यही है, उपयुक्त आदमियों की कमी की। सरकार के पास इतने अच्छे आदमी नहीं हैं जो गांव के लेविल पर लोगों को उचित शिक्षा दे सकें, शिक्षा ही नहीं उनमें एक जोश, नया जीवन दे सकें। रचना के लिये, आगे बढ़ने के लिये, परिवर्तन करने के लिये उनके अन्दर वे एक उत्साह भर सकें। नयी-नयी कल्पनायें वे दे सकें, मार्ग सुझा सकें और उनका पथप्रदर्शन कर सकें।

हमारे जो ग्रामीण जनता के भाई हैं उन्हें भी मैं विशेष दोष नहीं दे सकता। यह बहुत प्रत्यक्ष है कि वे बहुत पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन यह कि उनमें सभ्यता कम है, समझ कम है, ऐसा मैं नहीं मानता। काफी समझदार वे हैं, व्यावहारिक ज्ञान भी है, लेकिन एक चीज की कमी वहां पर भी है और उसे कहने में मुझे जरा दुख होता है। वह यह कि हमारे सारे समाज में जिसे हम पोलिटिकल कांशस एलिमेंट कहते हैं मौजूद है और जिसे शुद्ध लोकतंत्र विचारधारा कहते हैं, उसका जो भावार्थ है उसे हम नहीं समझे हैं, बहुत से नहीं समझे हैं और समझ भी जहां पर सके हैं उसके लिये जो इमोशनल बैकिंग होनी चाहिये वह नहीं है।

मैंने पिछली बार भी पंचायतों के सिलसिले में निवेदन करते हुए कहा था कि बड़ी दुःखद घटनायें हमारे सामने हैं। कोई भी राजनीतिक प्रश्न जो हमारे सामने आते हैं उन पर हम ठंडे दिमाग से विचार नहीं कर पाते हैं और ऊंचे से ऊंचे स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर जब प्रदेशों के विभाजन का प्रश्न आया तो हमारे सामने वे कटुतायें आईं, वे घटनायें आईं, जिन पर कोई गर्व नहीं कर सकता है और यह नहीं कहा जा सकता है कि हमारे अन्दर वे लोकतांत्रिक पद्धतियां और विचार प्रविष्ट हो गये हैं कि कितना भी साहसिक कोई आयोजन हम करें उसमें कहीं गलती होने का खतरा नहीं है। इसी वजह से थोड़ा सा इस दिशा में बढ़ने में कुछ संकोच हमको अवश्य होता है। इतने पर भी मुझे संतोष है कि जो कदम उठाया गया, जितना हमने आगे बढ़ने का निश्चय किया उसके परिणाम, बावजूद इसके कि कुछ दुःखद और अप्रिय घटनायें भी घटीं, मैं समझता हूं कि बहुत संतोषजनक और वह इस बात का एक सबूत है कि अगर इस दिशा में हिम्मत करके बढ़ते गये तो हमें सफलता जरूर मिलेगी और धीरे-धीरे वह परम्परायें जो आवश्यक हैं एक स्वस्थ और लोकतांत्रिक प्रणाली के सफल होने के लिये, वह हमारे देश में पैदा हो सकेंगी।

इस भूमिका के प्रकाश में अगर हमारे काम देखे जायं जो मैं निवेदन करना चाहता हूं और इस अनुदान पर विचार करते हुए उसे अगर सामने रखा जायगा तो मैं समझता हूं कि अधिक वाद-विवाद की और मतभेदों की गुंजाइश नहीं रहेगी। शिकायतें उठेंगी। जहां पर ७२,००० से अधिक ग्राम पंचायतें हों, लाखों आदमी जिनमें काम करते हों वहां भूलें न हों यह अस्वाभाविक है। उसमें शिकायतें हमारे कार्य करने वालों की भी हो सकती हैं। तो उसके विषय में मैं सिर्फ इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी शिकायत अगर हमारे नोटिस में लायी जायगी तो यथाशक्ति उसे दूर करने की हम कोशिश करेंगे, अधिक से अधिक इस विषय में हमारी भावना सहयोग की रहेगी और उसमें कोई भी दृष्टिकोण इस किस्म का नहीं रहेगा कि यह बात इस पक्ष से आती है या उस पक्ष से आती है।

जैसा मैंने अभी कहा था कि सही-सही हमारी पंचायतों की संख्या ७२,४०९ है और न्याय पंचायतों की संख्या ८,५८५ है। इधर इन ८ वर्षों में जो काम हमारी इन पंचायतों की मार्फत हुए उनका मैं बहुत संक्षेप में विवरण देता हूं। १९ करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य का काम हुआ, उसका विवरण इस प्रकार है। करीब ३७,४२२ पक्के और १६,२३४ कच्चे कुओं का निर्माण हुआ। नालियां २,१३४ मील की दूरी में कच्ची और ९३० मील

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

पक्की तैयार की गयीं। दवाइयों के वास्ते २५,१७२ औषधि पेटियां बांटी गयीं और १,२७५ प्रसव पेटियां बांटी गयीं, जिनमें स्त्रियों से सम्बन्ध रखने वाला सामान रहता है। १४,००७ पुस्तकालय बनाये गये और ५,१८७ रेडियो सेट्स बांटे गये। १,८१७ मील पक्की सड़कों और ३५,८४३ मील कच्ची सड़कों का निर्माण किया गया है। गांवों के अन्दर गलियों में १,१४१ मील में खरंजे की ईंटें बिछाई गयी हैं। लालटेनों की संख्या जो लगायी गयीं, वह है ९३,४३१। इसके अलावा ४,९९१ पक्के तथा ३,४३० कच्चे पंचायत घर बनाये गये हैं। २,०८६ पंचायत घर जनता की ओर से दान में प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रपिता के स्मारक चिह्न के रूप में पंचायतों में कुछ चबूतरे बनाये गये हैं जो १२,५५३ की संख्या में पक्के और ४९,४८६ कच्चे बनाये गये हैं। वन भी लगाये गये हैं और कुछ उद्यान भी लगाये गये हैं। ९,३६१ एकड़ भूमि में सार्वजनिक वन तथा ११,४५१ एकड़ में सामुदायिक उद्यान लगाये गये हैं। पिछले साल का यानी जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है उसका अलग-अलग बतला दूं। ५,२४६ पक्के कुएं, पक्की नालियां १३३, औषधियों की पेटियां ३,२९९, पक्की सड़कें १३५ मील, कच्ची सड़कें ७,३२३ मील, खरंजा २४८ मील, पुस्तकालय ६८३, रेडियो सेट्स १,१६४, पक्के पंचायत घर ५१७, ६१६ पक्के गांधी चबूतरे, ७८१ बंधियां, सामुदायिक वन २,३८२, उद्यान ३,४२०।

अल्प बचत योजना के अनुसार ८६,५३,१९५ रुपये की एक धनराशि पंचायतों की मार्फत एकत्रित की गई। न्याय पंचायतों के काम का भी विवरण मैं देना चाहूंगा। इसमें सब से खास बात जो है वह यह है कि करीब-करीब जितने मुकदमे हुए उनमें ३५ प्रतिशत ऐसे हैं जो रजामंदी और आपस के समझौते से तय किये गये। कभी-कभी यह कहा जाता है कि पंचायतों के बनने से लोगों में लड़ने-झगड़ने की प्रवृत्ति बढ़ गई है और जो झगड़े बिना अदालत में गये वहीं समाप्त हो जाते थे उनके लिये अब वह मुकदमा पंचायतों में ले जाते हैं, क्योंकि उसमें उनको बड़ी आसानी है। यह बात कुछ हद तक सही हो सकती है लेकिन इस बात को देखते हुए कि ३५ प्रतिशत मुकदमे समझौते से तय हुए हैं उससे जाहिर है कि लोगों का लड़ने का स्वभाव नहीं है बल्कि मिल-जुलकर काम करने और समझदारी से रहने का है। इसके अलावा जहां यह कहा जा सकता है कि अदालतों के मिल जाने से मुकदमों की प्रवृत्ति लोगों की बढ़ गयी है वहां यह भी सोचा जाय कि न्याय दूर हो जाता है तो वह लोगों की सीमा और शक्ति से बाहर हो जाता है। यह समझना कि यह बहुत अच्छी स्थिति है, गलत होगा। बहुत से आदमी ऐसे हो सकते हैं कि जो सताये जाते हैं, लेकिन उनके पास साधन नहीं हैं, इतनी दूर वह नहीं जा सकते हैं, उनके पास पैसा नहीं है। इसलिये यदि उनको जस्टिस सुलभ हो जाती है तो इससे लाभ होता है और अगर इस वजह से जो सचमुच में लोग सताये गये हैं और न्याय मिलने का उन्हें मौका मिलता है तो इसे हमें अभिशाप न कह कर यह कहना चाहिये कि यह वांछनीय चीज है और हमें इसका मौका देना चाहिये और समाज को इसकी सुविधा मिलनी चाहिये।

संक्षेप में यदि मैं आठ साल के आंकड़े पढ़ दूं तो कोई नुक्सान नहीं होगा। २०,६२,६१६ कुल मुकदमे आये उनमें से १९,९१,९०८ फैसल किये गये यानी ९७ प्रतिशत फैसल किये गये। ६,८८,३६१ मुकदमे रजामंदी और आपस के समझौते से तय हुए यानी ३४ प्रतिशत इसका रहा और ६६,७२० मुकदमों की निगरानी हुई जो कुल मुकदमों का ३.४ प्रतिशत है यानी साढ़े तीन प्रतिशत से भी कम है। उनमें लोगों को शिकायत रही और हायर कोर्ट्स में रिवीजन के लिये गये। जिनमें निगरानियां मंजूर हुईं उनकी संख्या ३१,४९२ है जो कुल मुकदमों का करीब-करीब १ प्रतिशत है। इनमें न्याय पंचायतों के फैसले से लोग संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपील दायर की। इनमें से कुछ अपीलें नामंजूर हुईं और केवल एक प्रतिशत ऐसी हैं जिनमें सक्सेसफुल रिवीजन हुआ। मैं, श्रीमन्, निवेदन करूंगा कि अगर १ प्रतिशत सिर्फ ऐसे मुकदमें हैं जो उन्होंने कानून की न जानकारी की वजह से या पक्षपात की वजह से या वाकयात के ठीक से सामने न आने की वजह से गलत किये तो यह कोई

बहुत ज्यादा गलत रेकार्ड कहा जायगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। इस साल ८१,११७ मुकदमे पेश हुए जिनमें से ४४,२७० निपटाये जा चुके और १८,०३९ मुकदमे, यानी ४० प्रतिशत रजामन्दी से तय हुए। तो रजामंदी से फैसल होने वाले मुकदमों की तादाद में इजाफा हुआ है। पिछले ८ साल में अगर ३५ प्रतिशत उनकी तादाद रही है तो वर्तमान साल में लगभग ४१ प्रतिशत के करीब उनकी तादाद रही। निगरानियां २.९ प्रतिशत हुई, यानी सवा ३, साढ़े ३ प्रतिशत से भी कम हुई। निगरानियों की मंजूरी की मात्रा थोड़ी बढ़ गयी है यानी करीब २ प्रतिशत हुई।

श्रीमन्, काम का विवरण मैंने दिया है। मैं मुकदमों की बात छोड़ देता हूं, लेकिन सड़कों और कुंओं की बाबत जो मैंने अभी निवेदन किया उसमें यह हो सकता है कि कुछ सड़कें बनीं मगर वे बरसात में या गर्मियों में ही खत्म हो गयीं या यह भी हो सकता है कि बनी ही न हों और हमारे कर्मचारियों ने अपनी खुशनूदी हासिल करने के लिये कुछ इन्फ्लेटेड आंकड़े भेज दिये हों, लेकिन इसके बावजूद भी मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि काफी अच्छा काम हुआ है। मैंने स्वयं हजारों आदमियों को काम करते हुये देखा है और इतनी-इतनी चौड़ी सड़कें बनते हुये देखी हैं जिन पर दोनों तरफ से आसानी से गाड़ी आ जा सकती हैं। पंचायत घर मैंने देखे हैं, स्कूल बने हुये मैंने देखे और एक जगह नहीं, पचासों जगह मैंने सड़कें बनी देखीं। उनको देखने के बाद यह नहीं कहा जा सकता कि यह काम किसी भी योग्य नहीं है।

श्रीमन्, एक जमाना था जब श्रमदान का मखौल उड़ाया जाता था। शायद हम खुद भी उसका मखौल उड़ाते थे। उस मखौल में सच्चाई भी थी कि श्रमदान के नाम से काम शुरू होता था, बड़े-बड़े नेता जाते थे, फावड़ा चलाते थे, फोटो छपकर अखबारों में आ जाती थी और उसके बाद काम को देखने वाला भी कोई नहीं रहता था। आज से दस साल पहले यह बात थी, लेकिन धीरे-धीरे इस श्रमदान की भावना ने जनता को प्रभावित किया और इसमें कोई शक नहीं कि आज उस तरह से उसकी हंसी नहीं उड़ाई जा सकती है। मैं निवेदन करूंगा कि अगर इस काम में सब लोगों का सहयोग मिले, जो मिलना चाहिये और जिसके बिना इस देश की रचना हो नहीं सकती, यह समझना कि थोड़े से नेता या थोड़े से सरकारी कर्मचारी या मिनिस्टर्स या डिप्टी मिनिस्टर्स या थोड़े से विधायक सब कुछ कर लेंगे और जो देश के करोड़ों मनुष्य हैं, नर और नारी हैं, जिनके दुगुने हाथ हैं, जिनके दिल और हौंसले हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको अछूता छोड़ कर अपनी रचना का और राष्ट्रीय निर्माण का काम हम कर लेंगे तो इस गलतफहमी में हमें नहीं रहना चाहिये। यह आवश्यक है कि यह जो हमारे देश की छिपी हुई शक्ति पड़ी है इसको जागृत करें और इसको सुसंगठित करें। आपस के भेदभाव को मिटाकर, राजनीतिक भेदों को भुलाकर इस रचना के कार्य में हम सारी जनता को आगे बढ़ावें और उनके अन्दर कम से कम बुद्धिभेद पैदा होने का मौका दें। मेरा निवेदन है कि जब इस प्रश्न पर विचार हो तो जनता का कल्याण ही हमारे सामने रहना चाहिये। थोड़ा सा यह भी विचार करें कि गलती आज हुई है, होगी और काफी बड़े समय तक होगी, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे स्तर पर जहां पर विद्या है, जहां पर शिक्षा है और जिन लोगों को इस बात का लाभ मिला है कि दूसरे देशों में किस तरह से सरकारें चल रही हैं, किस तरह से डेमोक्रेसी चल रही है, इसका अनुभव करें उनसे भी जब गलती होती है तो देहात की जनता से गलती न हो और उनकी थोड़ी सी गलती से हम घबरा जायं यह उचित नहीं होगा। उसको दरगुजर करके भविष्य के लिये ऐसा करें कि जिससे हमारी जो आजादी है, अगर सचमुच उसको सार्थक होना है तो जब गांव-गांव में वह वास्तविकता ग्रहण करेगी, तभी वह सार्थक हो सकती है। हमारा ध्येय है और इतना करना ही होगा, जिससे जितना भी सम्भव हो गांव के लोग अधिक से अधिक अपना काम जितना कर सकते हैं उतना करें। उसके लिये उनको अवसर हो और उस के लिये उनकी सहायता हो।

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

जहां तक आमदनी का प्रश्न है, मैं इस बात को दुख के साथ अनुभव करता हूं कि हमारी पंचायतों की आमदनी बहुत कम है। अगर औसत निकाला जाय तो सचमुच में इतनी कम है कि जिससे कोई बड़ा भारी काम हो सके यह नहीं समझना चाहिये, लेकिन श्रीमन्, इसका एक दूसरा पहलू है जिसको हमें अपने सामने रखना चाहिये। आखिरकार सरकार की जितनी भी आमदनी है वह जनता के पास से ही आती है। यह समझना कि सरकार की आमदनी किसी दूसरी जगह से आती है और सरकार के पास ऐसे साधन हैं कि जिन साधनों से जितना चाहें रुपया उसकी जरूरत के लिये मिल सकता है और हमको इस जनता से कुछ नहीं लेना है तो यह बहुत बड़ी भूल होगी। चाहे तो हम केन्द्र के पास रुपया छोड़ें, चाहे हम प्रदेश के पास रुपया छोड़ें और चाहे पंचायतें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड के पास छोड़ें, हक़ीकत यह है कि आज जितना हमारा हौसला है और जो हम करना चाहते हैं, जो हमारी योजनाए हैं उन सब के लिये हमारे पास अपर्याप्त धन है। हमारा केन्द्र भी पैसे के लिये दुखी है। वह बाहर से पैसा लाने के लिये प्रयत्न करता है परन्तु श्रीमन्, जो हमारी वैदेशिक नीति है जिसको हमने अख्तियार कर रखा है उसकी वजह से बाहर से पैसा प्राप्त करना और भी कठिन हो जाता है। अपनी स्वतंत्र नीति को कायम रखते हुये जो हमें पैसा मिल सकता है उसकी मर्यादा सीमित है और बाहर से पैसा मिल नहीं सकता। जो धन हमारे पास है वह नाकाफी है। प्रदेशीय सरकारें केन्द्र से मांग करती रहती हैं। हमारी जितनी योजनायें हैं उनके लिये मैं सदन को स्मरण कराना चाहता हूं कि बहुत से प्रश्नों के उत्तर में इस पक्ष से यही कहा जाता है कि यह काम इसलिये नहीं लिया जा सकता कि धन का अभाव है। हमारी हजारों योजनायें और हजारों स्वप्न पूरे नहीं हो रहे हैं, इतना धन का अभाव है। धन अन्तोगत्वा जनता से ही मिल सकता है। धन बनने की ताकत जनता में हो और सरकार की तरफ से टैक्स लगाया जाय तो उसमें फिर टैक्स कलेक्शन के लिये पैसा जाता है। इसलिये यदि हमें काम करना है तो हमें पंचायतों को राजी करना होगा कि जो योजना वे बनायें उसके लिये धन भी वे एकत्रित कर सकें। जिस प्रकार श्रमदान में वे स्वावलम्बी हैं उसी तरह से पैसे के मामले में भी वे स्वावलम्बी हो सकें, जैसा कि मैं विश्वास करता हूं कि वे हो सकती हैं और उन्हें होना भी चाहिये।

अभी तक ऐसा सुझाव हमारे सामने कोई नहीं आया कि अगर हम प्रदेश की बड़ी भारी आमदनी को काटकर उनको दे दें और प्रदेश को जो कमी पड़े उसको किसी दूसरी तरह से पूरा कर लें। ऐसा व्यावहारिक कोई सुझाव नहीं आया। अगर ऐसा सुझाव किसी भी स्टेज पर आयेगा तो उस पर विचार किया जायगा। खासतौर पर इसलिये कि जो हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का नया मसविदा लाना चाहते हैं, एक नया रूप उन्हें देना चाहते हैं, उस वक्त हमें इस परिस्थिति का मुकाबला करना ही होगा, क्योंकि जो वर्तमान साधन हैं उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स से बहुत कुछ आशा नहीं की जा सकती। इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ निर्णय हमें लेना ही पड़ेगा। इससे काम नहीं चल सकता कि यहां से काट कर उधर दे दिया जाय। अगर यहां से काट कर वहां दिया जाय तो यहां से भी कुछ चीज कम करनी होगी। इस तरह से हमें इस चीज को देखना होगा।

यही चीज टाउन एरिया और म्युनिसिपल बोर्ड्स के संबंध में भी कही जा सकती है। अभी हाल ही में उनके चुनाव हुए और चुनाव के बाद मुश्किल से कहीं-कहीं काम होना शुरू हुआ है। जो नये सदस्य या प्रेसीडेंट वगैरह आये हैं, उन्होंने अभी परिस्थिति पर काबू नहीं पाया है और किसी खास काम की बाबत निर्णय नहीं हो सका है। पैसे की कठिनाई का अनुभव हो रहा है और जितनी अच्छाई के साथ उनको चलना चाहिये, वे नहीं चल रहे हैं। कई जगह म्युनिसिपैलिटीज को सुपरसीड भी करना पड़ा। मुझे प्रसन्नता होती अगर सुपरसीड करने के बाद भी स्थिति संभल गयी होती। मुझे खेद है और एक तरह से लज्जा भी है कि सुपरसीड करने के बावजूद भी जितना इनको संभलना चाहिये था, दुर्भाग्य से उतना नहीं संभल सके हैं।

आज मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि अगर हमें जनता को अपना प्रबन्ध खुद करने का पाठ पढ़ाना है तो हमें उसके ऊपर यह जिम्मेदारी डालनी ही होगी कि जैसे आदमी वे चुनेंगे वैसी व्यवस्था उनको मिलेगी। अगर वे रद्दी आदमी को चुनते हैं तो दूसरे दिन से वे शिकायत ले कर न आयें कि इस बोर्ड को सुपरसीड कर दीजिये। आज जनता से जैसे खत मेरे पास आते हैं, वैसी अपीलें मेरे पास आती हैं, माननीय सदस्यों की तरफ से भी जैसी मांगें मेरे पास आती हैं, और विरोधी दल की तरफ से ज्यादा, उनसे मालूम होता है कि वास्तव में अभी हम यह समझते हैं कि छोटी सी गलती भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब हमें यह मानना होगा और चुनाव के बाद लोगों को गलती करने का अधिकार देना होगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही निवेदन किया कि हमारी वह स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाती है जिसमें आदमी को भूल करने का अधिकार तथा सुधार करने की आजादी न हो। गले में रस्सी बांध दी कि इतना जाओ, इससे आगे न जाओ, वह स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाती है। इसलिये हमारी नीति आज यह है कि बहुत अधिक मिस मैनेजमेंट हो रुपये देने में, बिलों के चुकाने में, बिजली कम्पनी के बिलों के चुकाने में, सरकारी ऋण को वापस करने में, जैसे सरकारी ऋण का रुपया वापस नहीं हो रहा हो, ऐसी भयानक गलती हो या किसी म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा पब्लिक फंड के ऊपर डाका ही डाला जा रहा हो, एकाध अपवाद को छोड़ कर, जहां इस तरह की बदइन्तजामी हो और ज्यादती हो और सरकार हस्तक्षेप न करे तो इन संस्थाओं के लिये ही हानिकर होगा। और आज हमारी वही नीति है और जहां पर वे सुपरसीडेड हैं, वहां भी, एकाध अपवाद को छोड़ कर, हम फिर चुनाव करवा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे अधिक मुझे म्युनिसिपल बोर्ड्स की बाबत नहीं कहना है।

हमारी दो तीन योजनायें म्युनिसपल बोर्ड्स को पानी देने के सिलसिले में हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर कि मीलों तक पानी नहीं है, उनको हम जल देना चाहते हैं। कुछ पैसा उसके लिये हमको केन्द्र से भी मिलता है बशर्ते कि हम भी उसके लिये कुछ ग्रांट दें। मुझे आशा है कि हम उसमें सफल होंगे। गांवों की योजना के सम्बन्ध में हमने जो अपनी नीति बनायी है वह बहुत कुछ अपने पिछले अनुभव के आधार पर है। गवर्नमेंट ने बहुत सी ऐसी जगहों पर भी जल के नल लगाये, जहां शायद उनकी जरूरत नहीं थी और जनता ने उनका बहुत स्वागत भी नहीं किया। अब हम सिर्फ उन्हीं जगहों पर पानी का प्रबन्ध करना चाहते हैं जहां पर कि या तो बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, तीन तीन, चार चार और पांच पांच मील दूर से पानी लाना पड़ता है, इससे ज्यादा दूर से भी पीने के लिये पानी लाना पड़ता है, या फिर पानी इतना अस्वास्थ्यकर है कि अच्छा पानी न मिलने की वजह से लोगो को बीमारी हो जाती है और उनके स्वास्थ्य के लिये जरूरी है कि पानी का कुछ प्रबन्ध हो। इस वास्ते हमने मोटे हिसाब से पहाड़ी जिलों को चुना है और मिर्जापुर के दुद्धी क्षेत्र को चुना है, जहां कि मीलों तक कुआं नहीं मिलता है और यदि मिलते भी हैं तो मुश्किल से उनका खोदना भी बहुत मुश्किल है, साधारण आदमी की ताकत के अन्दर नहीं है या फिर हम ऐसे एरिया में पानी देना चाहते हैं, जैसे कि तराई एरिया है, जहां पर कि पानी खराब मिलता है, पानी में तेल आता है और उसमें लोगों को तमाम बीमारियां हो जाती हैं। कुछ ऐसे एरियाज हैं, जहां पर बहुत ज्यादा बाढ़ वगैरह आती है, जैसे बलिया वगैरह, वहां पर हम कुछ केन्द्रित करना चाहते हैं।

जहां तक शहरों का सम्बन्ध है, नालियों और ड्रेनेज के लिये भी हमको अनुदान मिला था। इस बार बदकिस्मती यह रही कि केन्द्र से अनुदान मिलने में बहुत देर हो गयी, शायद अभी भी वह नहीं मिला है, लिहाजा हमारा सारा साल करीब-करीब व्यर्थ गया और हमा स्टाफ को काफी बैठना पड़ा। सामान हम बाहर से मंगा नहीं सके, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब वह अनुदान हमको मिल जायगा और उस के हिसाब से हम कुछ जगहों पर,

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

म्युनिसिपैलिटियों में पानी का प्रबन्ध कर सकते हैं। हम कोई नयी योजना नहीं ले सकेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिन कामों का समावेश किया जा सका है, उन्हीं कामों को हम निबटा सकें तो हमारे लिये बहुत सराहना की बात होगी। इसलिये कोई नयी योजना लेने का सवाल तो उठता ही नहीं है। हां, यदि कोई योजना किसी वजह से न ली जा सकी या वह योजना डिफेक्टिव हो या कोई म्युनिसिपैलिटी अपने विचार से वापस हो जाय, वह उसे न लेना चाहे या कोई टैक्स न लगाना चाहे, तो वैसी दशा में हम उसको किसी दूसरी जगह भी डाइवर्ट करने का विचार कर सकते हैं।

श्रीमन्, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर ही चुका हूं और अब शीघ्र ही उनके चुनाव हो जायंगे, गो अभी लोग मेरे पास आते हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि किधर के लोग आते हैं पर काफी लोग आते हैं और कहते हैं कि गर्मी में चुनाव न कराइये। मैं उनसे कहता हूं कि भाई, यह चीज तुम प्राइवेटली आ कर क्यों कहते हो खुल कर क्यों नहीं कहते? एक आध महाशय ने बड़ी हिम्मत से यहां कहा भी तो फौरन उसके बाद कहने लगे कि यह मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं कोई दल की बात नहीं कहता। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं और हमारी तो यह बदकिस्मती है कि उस में और देरी करने के लिये माननीय विरोधी दलों के नेताओं ने और सदस्यों ने काफ़ी सहयोग दिया और जो काम ५ दिन में हो सकता था उस में १५ दिन लगे और जो १ दिन में हो सकता था उसमें १० दिन लगे। अब बदकिस्मती से वह अपर हाउस में है जिस रोज वह वहां पेश हो रहा था.....

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह का आक्षेप नहीं होना चाहिये।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—बदकिस्मती से मौलाना साहब की मृत्यु हो गई और उसके बाद वहां दूसरा कार्यक्रम हो गया और देरी हो रही है, लेकिन मैं माननीय सदस्यों से यही निवेदन करता हूं कि वह भी थोड़ी सी तकलीफ बरदाश्त करके इसे पास कर दें। जितना ही हम गर्मी की तरफ बढ़ेंगे उतना ही जनता के लाखों आदमियों को, जो चुनाव में भाग लेंगे, तकलीफ होगी। हमारा तो थोड़ा सा यहां पर प्रहसन हो जाता है, रिक्रियेशन हो जाता है, लेकिन यदि हम जनता के तकलीफ-आराम की टर्म्स में सोचें तो जहां पर लाखों आदमियों को वोट देने आना पड़ेगा, इसका स्मरण करें तो हमें ज्यादा जिम्मेदारी के साथ, समय से यहां पर अपने निर्णयों को लेना चाहिये। अब मैं समझता हूं इससे अधिक मुझे इस समय नहीं कहना चाहिये।

एक बात और माननीय सदस्यों की सूचना के लिये कह देता हूं। टेक्निकली बजट को पेश करते हुये यह दो तीन मांगें ही रखी हैं, लेकिन हमारे विभाग से और बहुत सी ग्रान्ट्स का भी सम्बन्ध है जैसे ग्रान्ट नम्बर १३, २०, ३९, ४९ और ५२ है। इसलिये कई जगह देखना पड़ता है, उसका खयाल रख कर, यह बात नहीं है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। अब अगर बाद में कुछ कहना आवश्यक होगा तो कहूंगा। इन शब्दों के साथ मैं इसे पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—श्री पालीवाल जी।

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, पालीवाल जी चले गये हैं मैं उनके स्थान पर मूव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, जो नाम कार्यक्रम में पहले दिये हुये हैं वह मैं पहले लेता जाऊंगा। यदि उनमें से कोई न कटौती पेश करे तो आप बाद में बोल सकते हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट सेशन में भी माननीय सदस्यों के बोलने का समय कटमोशनों पर निर्धारित हो गया था। इस समय भी वह निर्धारित कर दिया जाय। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि जो माननीय सदस्य या नेता कटमोशन पेश करें उनको २० मिनट दिये जायं और अन्य पार्टी नेताओं को १५ मिनट और बाकी सदस्यों को १० मिनट। इसके अतिरिक्त मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्रीगण भी अपने बोलने के समय पर ध्यान दें।

श्री राजनारायण—जिस विशिष्ट व्याख्या के साथ मंत्री जी अपनी बातों को रखें उन पर प्रकाश डालते हुये यदि मूवर अपनी बातों को नहीं रखता या उसको समय नहीं मिलता तो उसके साथ अन्याय होगा। इसलिये मंत्री जी के लिये भी समय बांधा जाय, माननीय शर्मा जी अभी १ घंटा बोल चुके हैं तो हमें भी समय मिलना चाहिये। अतः मंत्री जी के लिये और दूसरों के लिये, सबके लिए समय बांधा जाय।

श्री अध्यक्ष—यह तो आप आम बात कह रहे हैं, लेकिन समय निर्धारित हो चुका है कि कल दोपहर तक ३ अनुदान चलेंगे, यानी कल सवा बजे तक चलेंगे। उसी हिसाब से तीनों अनुदानों पर मंत्री जी ने एक साथ विचार प्रकट किये। अब उसके बाद आपका सुझाव यह आया कि सब का समय निर्धारित किया जाय। मैं समझता हूं कि मन्त्री जी के भाषण के पहले अगर यह सुझाव आ जाता तो शायद मंत्री जी भी संक्षेप में भाषण देते। आगे जितने अनुदान आयेंगे उनमें जितना कुल समय दिया जायगा उसके अनुसार ही मंत्री जी भी बोलें और उसी के अनुसार कटमोशन में भी माननीय सदस्य बोलेंगे। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता, क्योंकि मंत्री को पूर्व पक्ष रखना पड़ता है, पूरी जानकारी देनी पड़ती है, कोई कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिये मंत्री नहीं बोलते हैं बल्कि सदस्यगण जानकारी चाहते हैं इसलिये पूरी जानकारी उन्हें देनी पड़ती है। इसके बाद विवाद का तो उन्हें उत्तर देना ही है। उनकी बहुत सी बातें आप स्वयं पसन्द कर लेते हैं और टीका नहीं करते इस कारण कटमोशन वाले का समय मंत्री के समय से कम होगा ही।

अब यह प्रत्यक्ष प्रस्ताव आपके सामने मौजूद है। इसमें कोई परिवर्तन किसी ने उपस्थित नहीं किया। बीस मिनट कटमोशन के लिये काफी होंगे। बाकी लोगों के लिये जो किसी दल के नेता हों उनके लिये १५ मिनट और दूसरे सदस्यों के लिये दस मिनट। यह इन तीनों अनुदानों के लिये समय-निर्धारण ठीक है। लेकिन बाद में जो अनुदान होंगे, जिनमें थोड़ा सा ही समय दिया गया हो यानी दो घंटे, उनमें यह समय निर्धारण नहीं चलेगा। उसके लिए कल दूसरा प्रस्ताव लाना पड़ेगा।

श्री राजनारायण—आपने शायद यह कहा कि आज इन तीनों अनुदानों के के लिये २० मिनट का समय लागू नहीं होगा?

श्री अध्यक्ष—यह नियम मंत्री जी के लिये लागू नहीं होगा क्योंकि मंत्री जी बोल चुके हैं।

श्री राजनारायण—तो हमारे लिये भी बढ़ा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—आप क्यों समझते हैं कि आप ही बोलेंगे?

(इसके पश्चात् श्री अध्यक्ष ने जिन सदस्यों ने कटौती के प्रस्तावों की सूचना दी थी उनके नाम क्रमशः पुकारे।)

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो यह अनुदान पेश हुआ है. . .

श्री अध्यक्ष—तीनों अनुदान हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह आपस में निश्चय हो चुका है कि आज श्री राजनारायण ही पेश करेंगे।

श्री अध्यक्ष—मेरे पास किसी ने यह सुझाव भेजा नहीं है। आप पहले ही सूचना दे सकते थे। आपने इतना समय व्यर्थ खो दिया।

श्री राजनारायण—मैं आपको निवेदन कर दूं। मैंने अपने को माननीय मुख्य मंत्री जी का जो विषय है उसी के लिये ठीक कर रखा था कि जब जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन आयेगा तो मूव करूंगा, लेकिन विरोधी दल के जितने लोग हैं उन्होंने कहा कि मैं ही मूव करूं। अभी मैं नहाया भी नहीं हूं। करीब साढ़े चार बजे .. .. ..

श्री अध्यक्ष—आगे कहें।

श्री राजनारायण—तो सब लोगों ने कहा कि आप ही मूव करें। अगर सब की राय हो और कोई मूव करना न चाहे तो मैं मूव कर दूं।

श्री अध्यक्ष—वह तो बैठ गये। (श्री सजीवन लाल बैठ गये थे।)

श्री राजनारायण—हमें खुद दिक्कत है। अभी हमारा प्रोग्राम है। मैं अनुदान संख्या १४, अनुदान संख्या ३४ और अनुदान संख्या ३९ में, सब में, क्रमशः एक-एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं इसलिये कि सामान्य नीति पर विवाद हो।

ग्राम सभाओं से संबंधित इस विषय पर जब इस सदन में विचार हो और उसके पूर्व माननीय मुख्य मंत्री जी चले जायं, यह उचित नहीं है। मैं चाहता था और मेरी बड़ी इच्छा थी कि जो आधार स्तम्भ है इस समय अपने देश के निर्माण का, उस पर सोशलिस्ट पार्टी सन् १९४८ से क्या राय रखती आयी है उसको मैं थोड़े में इस सदन के सामने पेश करूं और इस सरकार के जो प्रमुख व्यक्ति और प्रमुख मिनिस्टर हैं वह उसको जरूर सुनें।

श्रीमन्, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने बहुत ही सौम्य भाव से अपने अनुदानों को पेश किया है और उन्होंने इस बात को माना है कि गांव सभा जो है वह आधार-स्तम्भ है राष्ट्र-निर्माण का। तो मैं आपके द्वारा पहले उन्हीं से निवेदन करूंगा कि वह स्वतः सोचें कि जिस प्रकार से आज गांव सभाओं का निर्माण है, जिस प्रकार से अदालती पंचायतें चल रही हैं, क्या यही तरीका है जिस पर सही माने में जनतंत्र विकसित हो पायेगा ? श्रीमन्, चाहे मार्क्स का नाम लिया जाय, चाहे लेनिन का नाम लिया जाय, चाहे गान्धी का नाम लिया जाय . . . .। अब श्रीमन्, जरा आप मेरा निवेदन सुन लें, मैं कुछ इस अवसर पर आपसे इस बात की प्रार्थना करना चाहता हूं कि यदि आप उचित समझें तो थोड़ा समय बढ़ाने की कृपा करें, इसलिये निवेदन कर रहा हूं। मार्क्स ने कहा 'The State shall wither away', एक ऐसी व्यवस्था आयेगी। लेनिन ने कहा "Every cook must learn how to rule the State"। गान्धी जी ने कहा कि एक किसान का बेटा प्रधान मंत्री हो, जवाहरलाल उसके सलाहकार हों। मगर आज न तो मार्क्स का वह स्वप्न कि पतझड़ की तरह मुरझा कर के राज्य शक्ति गिर जायगी, स्वराज हो जायगा, न लेनिन का वह स्वप्न कि प्रत्येक गृहिणी भी राजकाज चलाने की शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करे और योग्य हो और न वह स्वप्न गान्धी का कि एक किसान का बेटा प्रधान मंत्री हो और दूसरे उसके सलाहकार हों, साकार हो रहे हैं। यह सारे स्वप्न साकार नहीं हो रहे हैं। क्यों ? कारण है उसका कि वह पार्टी जो एक तरफ कहेगी कि राज्य शक्ति मुरझा कर के गिर जाय, दूसरी तरफ कार्यक्रम बनायेगी डिक्टेटरशिप आफ दी प्रोलिटेरिएट—सर्वहारा की तानाशाही का। सर्वहारा की तानाशाही, संक्रमण काल में भी स्थापित करके कोई पार्टी राज्य-शक्ति को मुरझा कर गिरा नहीं सकती। वह पार्टी या वह व्यक्ति जो यह चाहेगा कि हर गृहिणी भी राजकाज चलाने के योग्य हो वह सारी

ताकत को राज्य के मंत्रियों के हाथ में सुरक्षित करके ऐसा नहीं करवा सकता । वह व्यक्ति या वह पार्टी जो यह चाहती है कि गरीब किसान का बेटा प्रधान मंत्री हो वह गरीबों के हाथ से सारे अधिकार को छीनकर के कभी उनको प्रधान मंत्री नहीं बना सकती । मूल प्रश्न यह है, पहले यह देखा जाय, इन सिद्धान्तों का विवेचन किया जाय.....

(श्री राजनारायण ने इस अवसर पर एक गिलास पानी मांगा ।)

श्री अध्यक्ष—मेरा खयाल है कि राजनारायण जी ! अब आप अपने कमरे में ही पानी पीजिएगा । अब हम उठते हैं .....

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आपकी तन्दुरुस्ती चूंकि ठीक नहीं है इसलिये मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता, वरना मैं तो इसी समय खत्म करना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष—अभी तो आप कुल ५ मिनट ही बोले हैं २०, २५ मिनट तो कम से कम और बोलियेगा । इसलिये मैं कहता हूं आप लंच के बाद में ही बोलियेगा ।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सुल्तान आलम खां के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)—अधिष्ठाता महोदय, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं । अब बजट के अनुदानों पर बहस शुरू हो गयी है, लेकिन उसके मुताल्लिक जो लिट्रेचर है वह हमको आखिरी समय दिया जाता है । स्वायत्त शासन विभाग पर बहस हो रही है, लेकिन साहित्य आज दिया गया है । हम पहले से कंसल्ट नहीं कर सकते । पिछले साल भी यह आपत्ति हमने उठाई थी और अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि पहले मिल जाया करे, लेकिन वह समय से नहीं मिल पाता है । इसलिये आप इस पर व्यवस्था दे दें ।

श्री अधिष्ठाता—मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि मेम्बरान को लिट्रेचर दे पहले ही दे दिया करें । उनकी जरूरत सही मालूम पड़ती है ।

श्री विश्वनारायण शर्मा—मुझे मालूम नहीं कि उनकी क्या शिकायत है ? मैं समझा नहीं ।

श्री अधिष्ठाता—जो लिट्रेचर गांव सभा व स्वायत्त शासन के बारे में है वह पहले से पहुंचा नहीं है, उसी के सिलसिले में माननीय सदस्य कह रहे हैं । उनका कहना यह है कि डिस्कशन से पहले जिस मांग पर डिसकशन हो, एक रोज पहले लिट्रेचर मिल जाया करें तो अच्छा है ।

श्री राजनारायण—मैं यह निवेदन कर रहा था कि वह सरकार जो सारी राजनीतिक ताकत और आर्थिक ताकत अपने हाथ में रखने के कानून बनाये वह जनता और समाजवाद की बात कैसे कह सकती है ? और इस अपने तर्क को प्रमाणित करने के लिये मैंने मार्क्स, लेनिन और गांधी का नाम प्रस्तुत किया था । श्रीमन्, मुसीबत यह है कि आज जिनके हाथ में हुकूमत की बागडोर है वह पावर के डेलीगेशन और पावर के डिसेंट्रलाइजेशन में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि डेलीगेशन आफ पावर और डिसेंट्रलाइजेशन आफ पावर ये दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोध में खड़े हो रहे हैं । सत्ता का डेलीगेशन तो वही करेगा जिसके पास सत्ता होगी । सत्ता को निहित करने में जो निहित सिद्धान्त हैं वह पहले सत्ता लेने की होती है । जब उसके पास सत्ता होगी तभी वह उसे अपने सबार्डिनेट अफसर को डेलीगेट करेगी । डिसेंट्रलाइजेशन का जहां पर सवाल आयेगा तो यह होगा कि जनता अपनी सत्ता को अपने प्रतिनिधियों में डेलीगेट करेगी । मैं चाहूंगा कि जरा इसको सफाई से समझ लें कि यह जनता की प्रभु-सत्ता है या सरकार की प्रभु-सत्ता है । अगर जनता की प्रभु-सत्ता है, क्योंकि जनतंत्र का सिद्धान्त और समाजवाद का सिद्धान्त जहां आयेगा वहां जनता की प्रभुसत्ता सर्वशक्ति सम्पन्न होगी और जनता अपनी कुछ शक्ति को

[श्री राजनारायण]

अपने में से निकाल कर अपने प्रतिनिधियों या सरकार में रखेगी। सरकार यह कहती है कि हम पहले सर्वशक्तिमान हो जायं, काफी पावरफुल हो जायं फिर अपने में से पावर को डेलीगेट करें, चाहे कमिश्नर पर, कलेक्टर पर, एस० डी० एम० पर, ब्लाक डेवलपमेंट अफसर पर या दूसरे पंचायत राज अफसरों पर डेलीगेट करें। आपके द्वारा मैं विचित्र नारायण जी से निवेदन करूंगा कि सही माने में अगर वह ग्राम-राज्य की स्थापना कराना चाहते हैं तो उसकी स्थापना में शक्ति को डेलीगेट करने के उसूल को छोड़ दें। पहले जनता पूर्णतया सर्वशक्ति सम्पन्न हो और उससे उसके कुछ कर्मचारियों को, प्रतिनिधियों, नौकरों और सरकार के पास शक्ति आये--जितना कि जनता चाहे। अगर वह जनतंत्र के इस सिद्धान्त को समझते हैं तो मैं जानना चाहूंगा माननीय विचित्रनारायण से कि आज की गांव सभा, आज की न्याय पंचायत या आज के सरपंच को मुअत्तिल करने का अधिकार, निकालने का अधिकार किसको है? यह सरकार में है या सरकारी कर्मचारियों में है या जनता में है? पूर्णतया जनतन्त्र के विरोध में आज कांग्रेसी सरकार चल रही है। इस नुक्तेनजर से मैं चाहूंगा कि आज सरकारी सदस्य इस अवसर पर अच्छी तरह से विचार करें। अगर जनता को सर्वशक्तिसम्पन्न बनाना है तो मैं चाहूंगा कि वह मुझे बतायें कि कौन सा इनिशिएटिव जनता के हाथ में वर्तमान पंचायत राज ऐक्ट के मातहत है।

श्रीमन्, मुझे याद है, जवाहरलाल जी ने अपनी आटोबाइग्राफी में लिखा है, जब वह म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन थे तो उस समय के बोर्ड को उन्होंने कहा था कि वह दोगली संस्था है। "दोगले" शब्द का प्रयोग किया था कि न तो यह जनतंत्र पर आधारित है और न डिक्टेटरशिप पर आधारित है, यह मिलीजुली खिचड़ी सी है जिसमें जो लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं वह नहीं कर पा रहे हैं। मैं इस सदिच्छा का समर्थक हूं कि जनता के हाथ में शक्ति जाय, मगर इसको मैं बहुत ही बुलन्द आवाज से कहना चाहता हूं कि माननीय विचित्रनारायण सरकार के रूप में जो कार्यक्रम अख्तियार किये हुए हैं उससे जनता निर्बल और शक्तिहीन होती चली जा रही है। एक लम्बी लिस्ट पढ़ी गयी कि कितनी सड़कें, पुलियां वगैरह बनायी गयीं और क्या-क्या हुआ, यह तो उनके हाथ में रपट है। मैं तो उसके संबंध में सदन में कह चुका हूं कि उसमें कुछ सत्य भी है, कुछ असत्य भी है। आप एक टैक्स को ले लीजिए। हम चाहते हैं कि गांव पंचायतें सम्पन्न हों मगर गांव पंचायतें कैसे सम्पन्न हों? सरकार ने जो उत्तर प्रदेश के आंकड़ों के सुझाव नामक पुस्तिका दी है उसके मुताबिक मैं आपको बतलाता हूं कि १९५६-५७ में समस्त टोटल इन्कम जो इस समय गांव पंचायतों की है वह ९,३३७ हजार रुपये है और जो समस्त टोटल व्यय है वह है ५,७८७ हजार रुपये। अब बचा कितना, ३,५५० हजार रुपया, इतना रुपया गांव पंचायतों का जमा है फिर वह क्यों टैक्स लगायें, किस काम के लिये कहा जाय कि वह टैक्स लगायें, क्यों जनता के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ाया जाय? इसका जबाब सरकार की ओर से आना चाहिये।

दूसरी तरफ यह देखा जाय कि यह रुपया खर्च कैसे हो रहा है उसके हिसाब को यदि देखा जायगा तो मालूम होगा कि उसके हिसाब में कमी होती चली जा रही है। इसमें जैसे दिया है कि वेतन पर कितना खर्च है, रचनात्मक कार्यों पर कितना खर्च है। १९५४-५५ में ८३५ हजार रुपया वेतन पर खर्च हुआ है और १९५५-५६ में १६५ हजार रुपया खर्च हुआ है। अब माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि शायद इसमें पंचायतों के सेक्रेटरीज की तनख्वाह शामिल हो, लेकिन जो पुस्तिका मिली है उसमें लिखा हुआ है कि पंचायत मंत्रियों के वेतन के व्यय के अतिरिक्त। इसमें अब पंचायत मंत्रियों का वेतन शामिल है या नहीं, इसकी सफाई हो जानी चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि पंचायतों का व्यय कम होता जा रहा है। जो सरकार ने पुस्तिका पेश की है उसके मुताबिक मैं साबित कर रहा हूं कि जब ८३५ हजार रुपये की जगह केवल १६५ हजार रुपया व्यय ही रह गया है तो फिर सरकार क्यों टैक्स लगाये? क्यों न ऐसा कानून बनाया जाय कि गांव पंचायतें कर न लगायें।

इसी प्रकार श्रीमन्, देखा जाय तो रचनात्मक कार्यों पर भी खर्चा घटता चला जा रहा है। १९५४-५५ में इस पर ४,७७२ हजार रुपये खर्चा था और १९५५-५६ में ४,४२० हजार रुपया रह गया यानी ३०० हजार रुपया खर्चा घट गया और १९५६-५७ में ४,१२३ हजार रुपया खर्च हुआ है यानी ६०० हजार रुपया खर्चा घट गया तो क्या यह अर्थ लगाया जाय कि रचनात्मक कार्य कम हो रहे हैं, लेकिन देखने में तो यह आता है कि रचनात्मक कार्य बढ़ते चले जा रहे हैं और चूंकि सामग्री की कीमत घटी नहीं है तो फिर जो खर्चा रचनात्मक कार्यों पर १९५४-५५ और १९५५-५६ में हुआ है उसमें ६०० हजार रुपये का फर्क है तो इसका क्या मतलब हुआ ? यदि मैं कहूं कि कम होते चले जा रहे हैं तो माननीय शर्मा जी कहेंगे कि हमने इतना आंकड़ा प्रस्तुत किया कि इतनी पक्की नाली, इतनी पक्की सड़क और इतनी कच्ची सड़क, इतने पक्के गांधी चबूतरे, इतने कच्चे गांधी चबूतरे आदि। मैं समझता हूं कि उनकी रिपोर्ट में कुछ असत्य का अंश होगा और हमने बहुत बार नमूना भी दिया है। बनारस का नमूना है कि गांव पंचायत की रिपोर्ट आई कि फलां स्थान से सड़क पक्की निकाली गई, लेकिन वहां न कच्ची सड़क है न पक्की है।

इसके बाद मैं इस प्रश्न पर आता हूं कि गांव पंचायतों का चुनाव मैं चाहता हूं, सोशलिस्ट पार्टी चाहती है कि गांव पंचायतों को पूरी-पूरी ताकत और शक्ति मिले और चौखम्भा राज्य का सिद्धान्त पूर्ण रूप से संचालित हो। गांव पंचायत चौखम्भा राज्य की प्रथम इकाई है, जिला पंचायत उसकी दूसरी इकाई, सूबा पंचायत तीसरी इकाई और केन्द्र पंचायत उसकी चौथी इकाई है। बार-बार हम यह तर्क सुनते हैं कि हम क्या करें केन्द्रीय सरकार ने ऐसा कर दिया और सूबा उससे बंधा हुआ है। मैं इसको नहीं जानता। मेरे सामने प्रश्न है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार का। केन्द्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है और सूबे में भी उसी पार्टी की सरकार है। अगर यह पार्टी सरकार पर अंकुश नहीं रख सकती तो फिर इस पार्टी की कोई गति नहीं है। अभी गौहाटी में सम्मेलन हुआ था। क्यों नहीं कोई डायरेक्टिव गौहाटी सम्मेलन से दिया गया कि गांव पंचायतें पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों और सूबे और केन्द्र की सरकारें इस सिद्धान्त को कार्यान्वित करें ? आज गांव पंचायतों की हालत बहुत ही दयनीय है। एक सेक्रेट्ररी भी गांव पंचायत का अफसर है, एक इंस्पेक्टर भी गांव पंचायत का अफसर है, जिला पंचायत अफसर भी गांव पंचायत का अफसर है और अब माननीय मंत्री जी, एस० डी० ओ० को जो अधिकार देने जा रहे हैं उसके द्वारा वह भी उसका अफसर है। एक गांव पंचायत के ऊपर कितने अफसरान लगे हुये हैं। यह किताब है "for the study of Community Projects and National Extension Service Blocks" अगर यह रिपोर्ट न भी हो तो सोशलिस्ट पार्टी ने जो सुझाव पेश किये हैं वे इन रिपोर्टों से हजारों लाखों गुना अच्छे हैं। मगर यह रिपोर्ट जो अधूरी रह जाती है उसको मैं बताता हूं ——

"A study on the implication of the functions at the village level in Uttar Pradesh."

उत्तर प्रदेश के गांव स्तर पर किस तरीके से श्रृंखला बांध करके कार्य हो रहा है इसके बारे में लिखा है:—

"Alongside the Gram Sewak a number of departmental parties continue to work at the village level with overlapping jurisdictions."

यानी एक ही काम को विभिन्न विभागों से आज यह सरकार करा रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। उस ओवरलैपिंग को हटाने के लिये आज गांव पंचायत के कानून में कौन सी गुंजायश है ?

"There are the Panchayat Secretary, Vaccinator, Co-operative Supervisor, Assistant Agriculture Inspector, Cane Supervisor, Veterinary Stockmen, P. R. D. Zone Worker and Lekhpal."

[श्री राजनारायण]

श्रीमन्, समय के लिए जरा कृपा कीजियेगा, लाल बत्ती हो गयी है, मैंने २३ मिनट से शुरू किया है ।

श्री अधिष्ठाता—आपका वक्त पूरा हो रहा है ।

श्री राजनारायण—२० मिनट तो मुझको यूं ही दे ।

श्री अधिष्ठाता—५ मिनट आप पहले बोल चुके हैं ।

श्री राजनारायण—५ नहीं, ३ मिनट । माननीय अध्यक्ष ३ मिनट कह चुके हैं ।

श्री अधिष्ठाता—अच्छा, आप २ मिनट और बोल लीजिये ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुझे आधा घंटा दें, २० मिनट यह और १० मिनट और ।

तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि एक आदमी के जरिये से काम हो सकता है, लेकिन उससे न करा कर विभिन्न विभागों को खोल कर इस तरह की दुर्व्यवस्था गांवों में कर दी गयी है । समय अधिक नहीं है वरना मैं बताता ।

गांव पंचायतों के चुनाव को देखा जाय । सरकार कहती है कि चुनाव निष्पक्ष हों । पता नहीं कौन सरकार के पास पहुंचा कि सरकार कुछ कार्यवाही करे और हस्तक्षेप करे । मैं कहना चाहता हूं कि आज माननीय विचित्रनारायण जी इस सदन में मुक्त कंठ से घोषणा करें कि सरकार के पास यह ताकत नहीं है, कोई उनके पास यह कहने के लिये नहीं जायगा कि सरकार इस ताकत को इस्तेमाल करे । जब सरकार अपने हाथ में ताकत ले लेती है तो सरकारी कर्मचारी या कांग्रेस पार्टी के लोग उस छिपी हुई ताकत की बदौलत मनमाने काम चुनाव में करवाते हैं । अभी मेरे पास कल-परसों एक पत्र आया है । मैं मंत्री जी से आपके द्वारा पूछूंगा कि १९५२ से १९५६ तक एक आदमी गांव पंचायत का सरपंच रहा । चुनाव में उसका नाम वोटर लिस्ट से कट गया । वह परेशान होता फिरा फिर उसके लिये पेटीशन किया गया लेकिन कहीं भी उसको न्याय नहीं मिल रहा है । मेरे कहने का मतलब यह है कि आज गांव पंचायतों को शक्ति दी जाय । तब यह देखा जाय कि उस शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है या नहीं । आज उनके पास शक्ति नहीं है । सरकार अपने अधिकारियों को यह अधिकार दिये हुये है जो अपनी मनमानी करते हैं । यहां पर यह कहा जाता है कि वह काम ठीक से नहीं कर रही है । यह कहने का तरीका है । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह से वोटिंग होगी तो जरूर बेईमानी होगी । भले ही उनको वोट करने का अधिकार दिया जाय, लेकिन अगर सरकार के पास ताकत रहेगी तो सरकार से जरूर कहा जायगा । इसलिये यह पावर ही सरकार के हाथ में नहीं रहनी चाहिये । गांव पंचायत के इस चुनाव में यह बात सिद्ध हो चुकी है कि इस चुनाव में बिलकुल धांधली हुई है । वोट की इस प्रणाली से बिलकुल धांधली हुई है । हमसे कहा जाता है कि इस कानून को समझ लो । मार्च में चुनाव नहीं कराया । फरवरी में नहीं कराया । अब सरकार कहती है कि मई में चुनाव होगा । फिर सरकार कहती है कि बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तब सरकार चुनाव कराने की बात क्यों कहती है ? सरकार क्यों नहीं कहती है कि हम इस वजह से कराना चाहते हैं कि क्या कोई फ्रॉड हो जाता है ? अगर सरकार चाहती है तो उसको मुक्तकंठ से कहना चाहिये । मैं विचित्रनारायण जी से निवेदन करूंगा कि इतने दिनों गान्धी जी की सेवा में रहने के बाद उनके दिल में कोई दुर्बलता नहीं रहनी चाहिये । उनके कमरे में आकर अगर कोई कुछ कहता है तो उनका नाम भी यहां पर बतलाया जाय, लेकिन वह उसकी चर्चा इस सदन में नहीं करते हैं ।

गांव पंचायतों में लिखाई का पैसा लिया जाता है, तलबाना लिया जाता है, मुकदमे का अगर कोई मुआयना करने जाता है तो उससे काफी पैसा लिया जाता है। अदालत से अगर किसी को नकल लेना पड़ता है तो उसका पैसा देना पड़ता है। आज इन पंचायतों के द्वारा जो टैक्स लगाया गया है वह सब गैर-कानूनी है। सेक्रेटरी सभापति के कमरे में बैठकर कोरम पूरा न होने पर भी नोटिस निकालकर टैक्स लगा देता है। गांव पंचायत रिक्शा चलानेवालों पर अनुचित टैक्स लगा रही है। गांव पंचायत भी टैक्स लगाती है, टाउन एरिया भी टैक्स लगाता है, म्युनिसिपैलिटी भी टैक्स लगाती है। बेचारा रिक्शा खींचने वाला अपने खून को सुखाकर और अपनी १०० वर्ष वाली आयु को ४० बर्ष करता है फिर भी उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। क्यों नहीं माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि रिक्शा चलाने वालों पर हम टैक्स नहीं लगायेंगे ? मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार पंचायतों को पूरी सहायता दे। उनको शिक्षा का अधिकार दे, उनको दवा का अधिकार दे, उनको रोशनी का अधिकार दे और सारी पुलिस उनके अधिकार में दी जाय। गांव पंचायतों को मालगुजारी वसूल करने का भी अधिकार दिया जाय और इसके लिये जब गांव पंचायत इस काम को करें तो सरकार के खजाने से एक चौथाई रकम उनको मिलनी चाहिये।

श्रीमती सज्जनदेवी सहनोत (जिला वाराणसी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। मैं इसके लियें मंत्रीजी को बधाई देती हूं कि उन्होंने जो अनुदान सड़कों के लिये रखा है वह वैसे तो कम ही है, लेकिन गरीबी के बजट में सोच-विचार कर ही काम करना पड़ता है। यह सही है कि इस विभाग द्वारा जो काम हुये हैं वे सराहनीय हैं। सड़कें बनी हैं, नालियां और खड़ंजे बने हैं, लालटेंने लगी हैं। परन्तु कुछ शिकायत भी हम लोगों को जरूर रहती है। मैं मंत्री जी को तथा बनारस जिला बोर्ड के अध्यक्ष को बधाई देती हूं कि उन्होंने धनाभाव होते हुये भी इतना विशाल भवन वहां बनाया है जिसका उद्घाटन हमारे मुख्य मंत्री कर चुके हैं। उन्होंने अर्थ संकट होते हुये भी बहुत से प्रारम्भिक स्कूल चलाये हैं। यह जरूर शिकायत है कि उनकी सज्जायें नहीं हैं, लेकिन वे भी धीरे-धीरे हो ही जावेंगी। पुराने जमाने में तो लोग पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ते थे।

विरोधी दल का कहना है कि यह बजट झूठा बजट है, जो खर्च दिखाया गया है वह भी सही नहीं है। मैं उनसे कहती हूं कि अगर घर में भी १०० आदमियों का आयोजन किया जाता है तो हम देखते हैं कि १५० आदमियों का प्रबन्ध करना ही पड़ता है।

मैं मंत्री जी का ध्यान बनारस की उन सड़कों की ओर ले जाना चाहती हूं जिनमें एक पंचक्रोशी सड़क है। वहां देशभर से यात्री आते हैं। वह सड़क जिला बोर्ड की है, उस पर ध्यान देना चाहिये। दूसरी वहां चुनार रोड है जहां रेल का कारखाना बन रहा है, वह सड़क सरकार बनावेगी ही। बनारस सिटी की सड़कों पर भी मैं मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहती हूं। वह बड़ी खराब दशा में हैं और इसका बाहर से आने वाले यात्रियों पर बड़ा बुरा असर पड़ता है, तकलीफ होती है।

वहां के स्कूलों में सज्जा और सामग्री के लिये भी धन रखना चाहिये। यह सही है कि स्कूल खुले हैं, लेकिन बालिकाओं के कम हैं। मैं जिला बोर्ड के चेयरमैन से भी कहा करती हूं कि आप लड़कों और लड़कियों में भेद क्यों करते हैं जबकि स्त्रियों को समान अधिकार दिये गये हैं। अधिक ध्यान लड़कियों को उठाने में देना चाहिये वरना देश की गाड़ी नहीं चल सकेगी। दूसरा वर्ग तो पहले ही उठा हुआ है।

हमारे जिला बोर्ड में मिडवाइफ ट्रेनिंग सेण्टर बहुत कम हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वह उन सेंटरों को बढ़ावें, नर्सों और मिडवाइफों की ट्रेनिंग की ओर विशेष

[श्रीमती सज्जनदेवी महनोत]

ध्यान दें। हमारे गांवों में दाइयां ठीकरी और हंसुआ से नाल काटती हैं। मैं इसके बारे में हरबार ध्यान दिलाती हूं। यह हमारे छोटे-छोटे शिशुओं और जच्चाओं की जान को खतरा है। अक्सर सुनने में आता है कि फलाँ जच्चा-बच्चा की मृत्यु इसीलिए हो गई। इसलिये उनकी ट्रेनिंग पर जिला बोर्ड की ओर से ध्यान दिया जाना चाहिये और उसकी व्यवस्था होनी चाहिये।

मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। इस बजट के अवसर पर मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि जो मैंने अनुरोध किया है उस पर वह ध्यान देंगे और इस कार्य को आगे बढ़ावेंगे। माननीय मंत्रीजी, जो मिडवाइफों के बारे में मैंने आपसे कहा है, उनकी बहुत ही शोचनीय अवस्था है, उस ओर अवश्य ध्यान दीजिये।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। चूंकि महज १० मिनट हैं, मैं बड़े-बड़े सिद्धांतों में न जाकर अपने जिले की बातें कहना चाहूंगा।

अभी बनारस की एक माननीया सदस्या का भाषण सुनकर मैं सोच रहा था कि हमारे जिले के भी मंत्री होते तो वहां भी विशाल भवन बन जाता। लेकिन, खैर, वह नहीं हुआ। जब सारे यू० पी० भर में म्युनिसिपल बोर्डों के चुनाव हो गये तो एक बदकिस्मत अल्मोड़ा की म्युनिसिपैलिटी है जिसे सुपरसीड कर दिया गया, चूंकि १६ आदमियों में से १२ विरोधी दल के थे। कोई और वजह सुपरसीड करने की नहीं थी। मंत्री जी से इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि वहां का चुनाव जल्दी करावें।

जो वहां इस समय ऐडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसमें बहुत सी खामियां आ गई हैं। टैक्स भूत की तरह से बढ़ गये हैं। हमारे यहां कोई उद्योग या व्यापार नहीं है। टैक्स वहां ६ गुना कर दिया गया है। अभी हाल ही में कल नोटिस मिले हैं। वहां की जनता बहुत गरीब है। टैक्स देने में असमर्थ है। वहां कोई उद्योग-धंधा नहीं है। ये टैक्स कम किये जायं। पानी का टैक्स भी बढ़ा दिया गया है। वहां के गरीब नाऊ एक नाऊबाड़े में बैठते थे जिन्हें ऐडमिनिस्ट्रेटर ने निकाल कर फेंक दिया है। वे वहां पुश्तों से बैठते थे। उन्हें अपनी जगह पर बैठने दिया जाय। हमारा इलेक्टेड म्युनिसिपल बोर्ड सुपरसीड कर दिया गया। उसके बरअक्स डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ४८ से चल रहा है चूंकि उस पर मेजारिटी पार्टी का कब्जा है। उसके कारनामे ये हैं कि उसकी जीप हमारे विधायक निवास के सामने यहां खड़ी होती थी, अल्मोड़े की जीप लखनऊ में इस्तेमाल होती थी। वह सज्जन यहां हैं नहीं, इस सदन के सदस्य थे, अब पार्लियामेंट चले गये हैं। मैंने देखा कि वह जीप उन्हें हल्द्वानी और दूसरे स्टेशनों पर पहुंचाने जाती है। इसलिये उसे वापिस ले लेना चाहिये।

८५ रुपये मन की रुई बाजार में थी लेकिन भगवान जाने कैसे १०० रुपये मन का बिल बन गया और बाकी नफा किसको गया। इसे देखना चाहिये। तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि पिछले उपचुनाव जो वहां पर लोक सभा के हुए उनमें एक उम्मीदवार बोर्ड के चेयरमैन साहब खड़े हुए। उनके चुनाव में जो कांग्रेस के लोग गये थे, उनके डाक बंगलों में टिकने का किराया भी उन्होंने अपने अधिकारों से राइट आफ कर दिया।

चौथी बात यह कि वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में बड़े भारी गबन के मामले हो गये हैं। एक साहब पर तो मुकदमा चल रहा है लेकिन वहां पर जो हेड क्लर्क साहब हैं, जिन्होंने रुपया निकालने में बहुत मदद की है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि बिना उनके सहयोग के ऐसा काम नहीं हो सकता था। जिन लोगों के प्रावीडेंट फंड का रुपया लिया गया है, मैं उनके नाम गिना सकता हूं। एक उम्मेदसिंह जोहार वाला है जिसका प्रावीडेंट फंड का रुपया नाजायज तौर पर निकाल लिया गया और यह बिना उसकी अर्जी के ले लिया गया। सन् १९५० तक प्रावीडेंट फंड का रजिस्टर नहीं बनता था

१९५१ से वह मेनटेन किया जा रहा है। बाद में उसको एक दूसरे आदमी का रुपया दे दिया गया और उसकी फाइल गायब कर दी। सन् १९५४ में गोसाईंसिंह का प्राविडेंट फंड का १४२ रुपया उसकी बीबी को एक दूसरे मास्टर चन्द्रसिंह के रुपए से दे दिया गया। मैं यह फैक्ट्स और फीगर्स दे रहा हूं और बता रहा हूं कि वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में बड़ी गड़बड़ी है। कृपा करके उसकी जांच करा दीजिये। ऐसा न हो जैसा कि आज तक हुआ है। मैं शिकायत के तौर पर कहना तो नहीं चाहता था लेकिन क्या करूं इन्तहा हो गयी है। जब कोई जांच करने जाता है तो चूंकिबोर्ड का सेक्रेटरी वहां के सरकारी वकील A.P.P. साहब का भतीजा लगता है इसलिए प्रेसीडेंट के दबव से हेडक्लर्क वगैरह के खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं ले पाता है। इसलिये पहले आप बोर्ड को अभी सुपरसीड कर दीजिये। यह बोर्ड सन् १९४८ से चल रहा है और इतना गबन होते हुए भी यह आज १० वर्ष से चल रहा है। हालत तो यहां तक बढ़ गयी है कि हेड क्लर्क के नाम एक टीचर ने दफ्तर में ही एक लिफाफे में १० रुपये का नोट भेज दिया। घर न भेज कर आफिस में भेज दिया। यद्यपि वह टीचर अब अलग कर दिया गया है। उसका नाम भोला-दत्त है। लेकिन इस तरह का तो सिलसिला पहले से ही चला आता था। लेकिन चूंकि वह रुपये का लिफाफा पोस्टमैन के सामने खुल पड़ा इसलिये मामला छिपाया न जा सका और टीचर के खिलाफ कार्यवाही की नौबत आ गयी। इस तरह से इस वक्त चल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा और उनसे कहूंगा कि अब इन्तहा हो गयी है।

पुराने हेड क्लर्क श्री दुर्गादत्त को अलाहिदा कर दिया गया था। लेकिन उसने गवर्नमेंट के पास अपील दायर की और वह यहां से बहाल हो गया लेकिन अभी तक उसको रिइंस्टेट नहीं किया गया है। दूसरे वहां के एकाउन्टेंट श्री चन्द्रकुमार मिश्र के ऊपर गलत मुकदमा चलाया गया लेकिन उसके ऊपर कोई चार्ज तक आयद नहीं हो सका। कोर्ट ने अपने फैसले में बोर्ड के खिलाफ बहुत सी शिकायतें लिखी हैं। एक साल हो गया लेकिन उसको भी रिइंस्टेट नहीं किया गया। इन मामलों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाता हुआ मैं आशा करूंगा कि वे इस ओर अवश्य ध्यान देंगे।

एक और बात है। लोक सभा के उपचुनाव में वहां के चपरासी वोट देने के लिये गये। चेयरमैन साहब को यह विश्वास नहीं हुआ कि ये लोग उनके पक्ष में ही वोट देने गये थे। इसलिये उन्होंने उन पर ५-५ रुपया जुर्माना कर दिया। इस प्रकार से वहाँ पर कांस्टीट्यूशन की धारा के खिलाफ भी काम होता है। आशा है माननीय मंत्री जी इन बातों पर गौर करेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—आप व्योरे के साथ इन शिकायतों को लिख कर भेज दीजिये।

श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)—मान्यवर, जो अनुदान संख्या १४, ३४ और ३९ आज माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, उस सम्बन्ध में मैं कुछ अपने सुझाव देने और उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि पंचायतें हमारे शासन की इकाइयां हैं और प्रजातांत्रिक ढांचे की बुनियाद हैं। हमारी कांग्रेस सरकार अवश्य ही इसके लिये बधाई की पात्र है कि उसने एक बहुत बड़ा कदम १५ अगस्त, सन् १९४९ को ऐसी इकाइयों की स्थापना के लिये उठाया। वास्तव में श्रीमन्, यह एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम था। उस समय लगभग ३५,००० ग्राम सभायें और लगभग साढ़े ८ हजार पंचायत अदालतें स्थापित हुई थीं। अब तो उनकी संख्या बढ़ कर लगभग साढ़े ७२ हजार गांव सभायें या गांव पंचायतें और लगभग साढ़े ८ हजार या उससे कुछ ऊपर न्याय पंचायतें हैं। श्रीमन्, उस वक्त सन् १९४९ में एक बहुत बड़ा अनुभव, एक बहुत बड़ा प्रयास इन इकाइयों की स्थापना में हुआ था। उस समय मुझे भी जनता में इसके लिये

[श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव]

उल्लास और उत्साह देखने का अवसर मिला था। उस समय हमने देखा था कि प्रत्येक ग्रामीण जनता ने कितनी बड़ी दिलचस्पी से, कितने उल्लास से, कितने उत्साह से इन पंचायतों का स्वागत किया था। श्रीमन्, मैं साफ कह देना चाहता हूं कि आज वह चीज दिखलायी नहीं देती। जो पंचायतें १९४९ और ५० में एक प्रकार से अपने प्रदेश के लिये आशीर्वाद गिनी जाती थीं, आज वे ही अभिशाप का रूप धारण कर रही हैं। कारण क्या है? आज इनकी स्थापना को लगभग ९ वर्ष होना चाहते हैं। ९ वर्ष का अनुभव काफी होता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम निकलें और देखें कि आखिर इन पंचायतों में कौन सी त्रुटियां आ गयी हैं, कहां पर खामियां हैं और किस तरह से उनको दूर किया जाय ताकि हम गांवों में ग्रामीण राज्य की स्थापना करके, एक वास्तविक राम राज्य, जिसकी हम कल्पना करते आये हैं, उसका दिग्दर्शन करा सकें। आवश्यकता इस बात की है श्रीमन्, कि एक एनक्वायरी कमीशन मुकर्रर किया जाय जो प्रदेश के गांव-गांव में घूम कर उन तमाम कठिनाइयों जिनका अनुभव आज हमारी पंचायतें कर रही हैं, उन त्रुटियों, जो हमारी इन संस्थाओं में उत्पन्न हो गयी हैं, के बारे में जांच करे और जांच करने के पश्चात् अपनी एक रिपोर्ट अपनी सिफारिशों के साथ इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत करे और तब उसकी रोशनी में हम अपने पंचायत राज ऐक्ट और उसके नियमों को संशोधित करें और अपनी कार्य प्रणाली को भी इस रास्ते पर ले चलें कि जिस लक्ष्य को सामने रख कर हमारी यह संस्थाएं स्थापित की गयी हैं, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। वे कठिनाइयां जो कि हमारी पंचायतों के रास्ते में हैं, उनका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन इस सदन के सम्मुख उपस्थित कर दिया जाना मैं आवश्यक समझता हूं।

श्रीमन्, सबसे बड़ी कठिनाई जो हम इन गांवों में देखते हैं वह यह है कि चुनाव का जो तरीका इसके लिये अपनाया गया है, वह गलत है और इस तरीके के फल-स्वरूप ऐसी शक्तियां वहां ताकत में आ गयी हैं जो पिछले दिनों में भी जनता का शोषण करती रही हैं, आज इन पंचायतों द्वारा उनको फिर जनता का शोषण करने का मौका मिल गया है। यदि हम उस तरीके को तब्दील करके कोई दूसरी चुनाव प्रणाली, जिसकी सिफारिश कमीशन करे, अपनावें, तो अवश्य ही उनकी कठिनाइयां बहुत कुछ दूर हो सकती हैं। श्रीमन्, एक बात मैं फिर कह दूं। मुझे कहने में कुछ हिचक लगती है, लेकिन वह यह है कि अगर वाकई एक तजुर्बा किया जाय गांवों का भ्रमण करके तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा संघर्ष हमारी प्रजातंत्र की इन इकाइयों और ब्यूरोक्रेसी में है। आज वहां सेक्रेटरी हैं, इंस्पेक्टर हैं। ठीक है वह रहें। कोई कहे की उनकी आवश्यकता नहीं है इसको मैं नहीं मानता। मैं तो चाहता हूं कि वह इससे भी अधिक रखे जायं जो वहां पर लोगों को ट्रेन्ड कर सकें और उनको उनके अधिकारों और कर्त्तव्यों को समझा सकें और उनका पूरा ज्ञान करा सकें। मंत्री जी अवश्य उनका व्यय सहन करें, कुछ अधिक हो तो भी करें। मुझे तो पूरा विश्वास है कि प्रजातन्त्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हर व्यक्ति का सोचने का ढंग, उसका दृष्टिकोण ही प्रजातांत्रिक न बन जाय। हमारा कहना है कि जहां पर आज भी गरीबी है, जहां पर आज भी शिक्षा का अभाव है, जहां पर लोगों को तरह-तरह की बीमारियां आज भी घेरे हुए हैं, जहां पर बेकारी है, जहां पर यह हालात हैं, वहां पर हमें क्या करना है और कैसे करना है यह सोचना एक जरूरी चीज हो जाती है। आज जो हमारा फील्ड वर्कर है, जो पंचायत इंस्पेक्टर है या जो सेक्रेटरी है, बजाय इसके कि उसमें एक मिशनरी स्प्रिट हो, एक जोश हो, उसमें वही अफसरशाही के तरीके हैं और वह उसी तरीके से पंचों और सरपंचों पर दबाव डालते हैं। मैं समझता हूं यह तरीका अब ठीक नहीं है। यह ठीक है कि आज भी बहुत से सरपंच ऐसे हैं जो अच्छे से अच्छा न्याय करते हैं, जिन्होंने अच्छे से अच्छा काम किया है जिसका ब्योरा मंत्री जी ने अभी अपने भाषण में दिया। काम होता है इसमें संदेह नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है कि यह जो निर्माण का कार्य आज पंचायतें कर रही हैं क्या उनके द्वारा काम भी हो रहा है, और साथ ही क्या उनका दृष्टिकोण भी बदल रहा है, और क्या वह इस तरह से इन ९ वर्षों में तैयार हो सकी हैं कि वह अपना ऐडजेस्टमेंट इस प्रजातांत्रिक ढांचे में कर लें? यह सबसे बड़ा प्रश्न है।

वहां टैक्सेज का सवाल है। उनकी आर्थिक दशा खराब है। सही है कि उनको हम आर्थिक सहायता कहां से दें। अगर हम बजट के किसी हिस्से से काट कर दें तो हम उसे टैक्सेज से पूरा करेंगे। टैक्सेज का जहां तक सवाल है उसमें बहुत अधिक ओवरलैपिंग है। कुछ जिला बोर्ड लगाते हैं कुछ राज्य सरकार लगाती है, इससे जनता में बहुत असन्तोष फैलता है।

एक चीज और मैं कह दूं कि एक तरीका और भी अपनाया गया है कि जब कभी जिलों में या किसी खास समारोह के समय अगर आडियेन्स नहीं होती है तो वहां पंचायत सम्मेलन आदि कर दिया जाता है और इस तरह से भीड़ इकट्ठा कर दी जाती है और उनकी गिनती करा दी जाती है। यह तरीका ठीक नहीं है। कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जो पंचायतों में दिखाई देती हैं और बहुत से ऐक्ट्स और नियमों में भी ऐसी चीजें हैं कि जिनके संशोधन की जरूरत है। इन सबको ठीक करने के लिये, जैसा मैंने कहा, एक एन्क्वायरी कमीशन कायम किया जाय और वह जाकर जांच करे और अपनी रिपोर्ट सिफारिशों के साथ सदन के सामने पेश करे। इससे इन संस्थाओं की खराबी का बहुत कुछ ज्ञान हो सकता है और जो सरकार का उनके सम्बन्ध में लक्ष्य है उसमें सफलता मिल सकती है।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, अनुदान संख्या १४ में श्री राजनारायण जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसके समर्थन हेतु मैं खड़ा हुआ हूं। आज जब हम ग्राम पंचायतों की बात यहां सोचते हैं तो हम साढ़े ५ करोड़ जनता, जो देहातों में रहती है, उसकी जिन्दगी की बात सोचते हैं। मुझे यह कहते हुये बड़ा दुख है कि हमारी सरकार गांवों की तरफ बिलकुल एक तिरछी निगाह किये बैठी है। वह एक खिलवाड़ करती है देहात के साथ और अगर हम यह कह दें, जैसा कि कल इस सदन में एक अनुभवी नेता ने कहा था, कि हमारी सरकार चाहती है कि शहरों का राज्य हो देहातों के ऊपर, चाहती है हमारी सरकार कि शहर शोषण करें देहात का, अगर मैं यह कहूं तो कोई गलत बात नहीं होगी। अभी कांग्रेस की ओर से एक माननीय सदस्य ने कहा कि देखने में आया है कि सेक्रेटरी और पंचायत इंस्पेक्टर जो हैं इनके अन्दर भावना नहीं है काम करने की। क्या किसी ने सोचा है कि इसका कारण क्या है? वह सेवा करना क्यों नहीं चाहते? मैं तो साफ तरीके से कह दूं कि इसका कारण केवल यह है कि शहर से ले जाकर देहात में हमारे सिर पर बिठला दिया जाता है ऐसे सेक्रेटरियों और इंस्पेक्टरों को जिनके अन्दर काम करने की कभी भावना नहीं होती। मैं तो सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार को नीति बदलनी चाहिये। कम से कम जहांतक ग्राम पंचायतों का सवाल है वहां पर गांव के रहने वालों को नौकरियां देनी होंगी।

मैं इस विषय पर ज्यादा न कहूंगा क्योंकि समय बहुत महदूद है। जहां तक प्रजातंत्र की बात है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि गांव पंचायतों को बहुत मजबूत बनाना चाहिये। वह किस तरीके से हो? थोड़ा बहुत अधिकार देकर पंचायतें मजबूत हुआ नहीं करतीं। उन्हें पूरे तौर से अधिकार देने होंगे। हमें देखना होगा कि तालीम की व्यवस्था उनके हाथ में हो। डेवलपमेंट प्लान्स गांव के जरिये से चलें। वह लोग सोच सकते हैं कि किस तरह से हमारे गांव का डेवलपमेंट होना चाहिये। इस तरह से नहीं चलेगा कि पंचायत राज अफसर सोचें कि किस गांव में क्या होगा। हमें नीचे से सामाजिक व्यवस्था बनानी है, चौखम्भा राज्य पर।

जहां तक करों की बात है मैं इतना ही कहूंगा कि आज टैक्सेज में बड़ी ओवरलैपिंग होती है। हम देखते हैं कि किसान के ऊपर लैण्ड रेवेन्यू है, उसके ऊपर सरचार्ज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लगाता है, गांव पंचायत लगाती है। मैं इस सिलसिले में एक बात और याद दिलाऊं। एक कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष श्री हरगोविन्द सिंह जी थे। जब कि इस सरकार ने उस कमेटी के निर्माण में काफी पैसा खर्च किया, कभी इस बात की चिन्ता नहीं की कि

[श्री जगवीर सिंह]

उस कमेटी की रिपोर्ट को इस सदन की मेज पर लाया जाय। हम देखते हैं कि उस कमेटी ने क्या सिफारिश की थी जो कि उन्हीं की बनायी हुई थी। एक बोर्ड बनाना चाहिये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कि पूरे तरीके से कंट्रोल रखे लोकल बाडीज। पर लेकिन देखने में क्या आता है कि नौकरशाही का बोलबाला है और सरकार का अपनी नौकरशाही के जरिये से उन पंचायतों पर अधिकार है। पंचायत सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर वही करते हैं जो हुक्म दिया जाता है ऊपर से। उनको बहुत चिन्ता नहीं होती काम करने की। अगर मैं यह कहूं तो गलत नहीं होगा कि पंचायत सेक्रेटरी आपस में मीटिंग कर लेता है, क्योंकि उसको फिक्र होती है शहर जाने की और पंचायतों की मीटिंगों के झूठे दस्तखत हो जाया करते हैं।

जहां तक करों का संबंध है मैं तो साफ तरीके से इस राय का हूं कि जितना गांवों का लैण्ड रेवेन्यू है उसका एक चौथाई गांवों को वहीं दे दिया जाय।

हमारे मंत्री जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बतलाया कि ३५ प्रतिशत मुकदमे केवल समझौते से तय हो जाते हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान उनकी प्रकाशित पुस्तक की तरफ दिलाता हूं। १९५४-५५ में ९२ प्रतिशत मुकदमे न्याय पंचायतों ने तय किये। मैं उन फीगर्स में नहीं जाता कि कितने दायर हुये और कितने तय हुए। मैं प्रतिशत की बात करता हूं। फिर ५५-५६ में श्रीमन्, ८६ प्रतिशत, कुछ घटौती हुई, और फिर ५६-५७ में केवल ५४ प्रतिशत मुकदमें तय किये गये। मैं जानना चाहूंगा क्या कारण है कि इतना प्रतिशत कम होता जाता है मुकदमों के तय होने में? मैं साफ तरीके से बतला दूं इसका एक ही कारण मेरी समझ में आया है और वह यह है कि जिस समय ९२ प्रतिशत और ८६ प्रतिशत मुकदमे न्याय पंचायतें तय करती थीं उस वक्त उनमें जनता के नुमाइन्दे होते थे, जनता उनको चुन कर भेजा करती थी। जब यह ५४ प्रतिशत तय करने लगीं तो उस वक्त उनमें जनता के नुमाइन्दे नहीं थे, वह जनता के चुने हुये नहीं थे, वह हमारी सरकार के एम०एल०ए० लोगों के चुने हुये पंच थे जिनसे यह वादा लेकर बिठाला गया था कि आपको किसको राय देनी होगी, आपको किसको सरपंच बनाना होगा ताकि वह सरपंच इस सरकार की मदद कर सकें, उसको इन कुर्सियों पर बिठाने में सहायक हो सकें। मेरी जबरदस्त मांग है कि मंत्री जी इस पर ध्यान दें और यह जो उन्होंने चुनाव की प्रणाली रखी है उसको बदलें। मैं नहीं कह सकता कि किस तरीके से आप क्वालिफिकेशंस की कैद लगा सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिले में बैठकर पंचों का चुनाव करे और वह पंच फैसला करें, उस फैसले को हम कहें कि जनता के नुमाइन्दों ने फैसला किया है, यह, श्रीमन्, बिलकुल गलत है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर खासतौर से ध्यान दें और जिस तरीके से पहले चुनाव हुआ करते थे उसी तरीके से चुनाव की बात करें। समय, चूंकि कम है, इसलिये बहुत लम्बी चौड़ी बातों में न जाकर मैं एक बात अपने जिले की भी बतला दूं। हमारे जिले में---मैं ठीक तरीके से सन् की बाबत नहीं बता सकता--पहले चुनाव की बात है, एक प्रधान साहब कुयें के लिये रुपया लेते हैं, एक देहली गांव है वहां पर रुपया लिया जाता है। प्रधान जी क्या करते हैं? वह रुपया कुयें में नहीं लगाया जाता। झूठे वाउचर्स बना लिये जाते हैं, कुयें की मरम्मत दिखला दी जाती है और झूठे बयानों के आधार पर खर्चा दिखला दिया जाता है। जब शिकायत की जाती है पंचायत आफिस में, तो तीन साल तक उस शिकायत की दरख्वास्त को दबाया जाता है और उसकी कोई जांच नहीं की जाती। यह मांग की जाती है कि हम कुछ नहीं चाहते, आप केवल मौके पर जाकर देख लीजिये कि रुपया खर्च हुआ है या नहीं हुआ है। अगर पंचायत अधिकारी अपने तरीके पर यह समझ लें कि रुपया खर्च हुआ है तो हमें कोई शिकायत नहीं। लेकिन आपको भी संतोष न हो कि रुपया खर्च हुआ है और फिर भी आप कहते हैं कि रुपया खर्च हुआ है तो यह समझ की बात नहीं है। इस तरीके से काम होता है और फिर बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं। विभाग तो बड़ा अच्छा और सुन्दर है। इसको मजबूत बनाने की बात होनी चाहिये। अब जहां पर वोटिंग की बात है

गांवों में ही, एक ऐसी बात देखने में आयी कि वहां यह परम्परा है कि हाथ उठाकर चुनाव कराया जाता है। जहां असेम्बली के चुनाव हाथ उठाकर न होते हों, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में भी मार्किंग सिस्टम की बात की जाती हो, जहां इस बात की दुहाई दी जाती हो कि हर एक को अपनी सीक्रेट राय देने का अधिकार है तो क्या मंत्री जी यह आशा करते हैं कि गांवों के अन्दर जहां कि बहुत तरीके की बातें काम करती हैं, वहां एक आदमी निष्पक्ष तरीके से अपनी आजाद राय हाथ उठाकर दे सकता है? मेरे ख्याल में तो ऐसा सोचना भी एक जबरदस्त भूल होगी। तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगा कि वह हाथ उठाकर वोट देने की प्रथा को बदल कर, अगर उनको मार्किंग सिस्टम ही बहुत पसन्द है तो उसी को, या बाक्सेज वाली प्रथा को, उसकी जगह लायें जिससे उन गांवों में रहने वालों को भी अपनी आजाद राय देने का पूरा-पूरा अवसर मिल सके। श्रीमन्, ज्यादा समय नहीं है। मैं एक बात और बतला दूं। यहां पर लम्बे चौड़े खर्चे दिखलाये गये। उसमें से ३३ प्रतिशत खर्चा केवल नौकरियों पर होता है और मैंने जैसा शुरू में बतलाया कि, वह पैसा देहात से शहर को लाने का एक तरीका हमारी सरकार ने बना लिया है। माननीय मंत्री जी बहुत ठंडी तबियत से इस बात को सोचेंगे कि कम से कम पंचायत सेक्रेटरी और पंचायत इन्सपेक्टर उन गांव के रहने वालों में से हों ताकि वे गांवों की समस्याओं को पूरी तरह से समझ सकें। उन शहरियों को वहां न भेज दिया जाय जो गांवों के शोषण और वहां के रुपये को शहर में लाने की बात सोचते हों।

श्री बुताकी राम (जिला हरदोई)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अनुदान संख्या १४,३४ और ३९ के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। प्रजातंत्र में पंचायतों का विशेष स्थान है। पंचायतों के निर्माण के पीछे एक बहुत ही सुन्दर भावना छिपी हुई थी और वह यह कि जनता में स्वशासन सफलतापूर्वक चलाने का माद्दा पैदा हो और सार्वजनिक कल्याणकारी कार्यों को करने के विचार और लगन पैदा हों तथा अपनी जरूरत के काम गांव वाले खुद कर सकें। इन्हीं भावनाओं को लेकर पंचायतों का निर्माण हुआ। आज अगर पंचायतों के काम को देखा जाय तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि पंचायतों के जरिये से इतना काम हुआ जितना काम करोड़ों रुपया लगा कर नहीं किया जा सकता था। पंचायतें बहुत हद तक सफल हुई हैं, जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि पंचायतों के जरिये से बहुत से निर्माण कार्य हुये हैं, चाहे वह टैक्स लगाकर हुए हों, चाहे श्रमदान से हुए हों। जहां तक पंचायतों के टैक्स का सवाल है विरोधी दलों के सदस्यों ने टैक्स की बड़ी आलोचना की है। मैं इसको मानता हूं कि पंचायतों द्वारा लगाया गया टैक्स कहीं-कहीं, किन्हीं-किन्हीं, पंचायतों में अधिक लगा दिया गया है। उसका कारण एक मात्र है गांवों में फैली हुई पार्टीबन्दी। अगर एक पार्टी का प्रधान हो गया तो उसने अपने खिलाफ पार्टी के लोगों पर अधिक टैक्स लगा दिया। हमें यह देखना है कि जो टैक्स अनियमित रूप से या पार्टीबन्दी के आधार पर लगाये गये हैं उनको कैसे ठीक किया जाय? परन्तु इसकी व्यवस्था हमने देखी है कि नहीं हो पाती है। पंचायत के जितने कर्मचारी हैं उन्होंने भी इस काम के करने की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया। बड़े-बड़े पंचायत के अफसरान जो कभी-कभी जिलों में दौरा करने जाते हैं, हमने देखा है, और अधिष्ठाता महोदय, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां वह इन्स्पेक्शन करने नहीं जाते हैं। बल्कि अपना स्वागत कराने जाते हैं। हरदोई में डायरेक्टर पंचायतराज गये थे। उनके स्वागत में सैकड़ों फाटक बनाये गये थे और उनको रिसीव करने के लिये जिले के बड़े-बड़े अफसर जिले की सरहद पर उनका स्वागत करने के लिये गये थे। लेकिन जिस वक्त डायरेक्टर महोदय वहां देख कर आये तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह हरदोई से क्या धारणा ले कर आये और क्या देख कर आये? मुझे विश्वास है कि वह यह भावना लेकर आये होंगे कि हरदोई में सिर्फ उनका स्वागत ही किया गया और कोई कार्य पंचायतों द्वारा नहीं किये गये और जनता की शिकायतों

[श्री बुलाकीराम]

को उनसे छिपाया गया। हम चाहते हैं कि अगर आप पंचायतों को अच्छी तरह से चलाने की इच्छा रखते हैं, तो पंचायत के जितने अधिकारी हैं उनको सतर्क करना चाहिये और जनता की सहायता करनी चाहिये। पंचों को सिखाना चाहिये कि वह भविष्य में इस तरह से टैक्स न लगायें और इस तरह से यह कार्य नहीं होने चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं होता। अभी विरोधी दल के एक सदस्य ने पंचायतों और न्याय पंचायतों में क्या होता है, इसका जिक्र किया। हम पहले ही अर्ज कर चुके हैं कि हमारे देश में जनता का चरित्र इतना ऊंचा नहीं है कि हम कह सकें कि पंचायतों, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्युनिसिपैलिटियों में जितने चुने हुए सदस्य आते हैं वे सब दूध के धोये होते हैं। जैसी जनता होगी वैसे ही उसके नुमाइन्दे होंगे। अगर किसी पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपैलिटी में ऐसे चुने हुए लोग हैं तो हमारा यह फर्ज हो जाता है कि हम उनको समझायें और देखें कि वे किसी प्रकार की धांधली न करें। धांधलीबाजी करने से जनता में विरोध होता है, असंतोष होता है जिसके कारण बड़ा नुक्सान हो सकता है। यह कहना कि पंचायतों में, ग्राम सभाओं और अदालती पंचायतों में कुछ होता ही नहीं, और जो कुछ होता है तो वह झूठ होता है धांधलेबाजी होती है में समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है। हमारे जिले में और सूबे में हजारों ऐसी पंचायतें हैं जिन्होंने अत्यन्त अच्छे तरीके से और ईमानदारी से काम किया है। उसको देखते ही बनता है और कहते ही बनता है। मुमकिन है कुछ ऐसी पंचायतें हों और कुछ प्रधान हों जो धांधलेबाजी करते हों, लेकिन अधिकांश पंचायतों द्वारा जो कार्य हुआ है वह बहुत ही सराहनीय रहा। न्याय पंचायतों द्वारा जो मुकदमे हुये हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनको अदालतों में चैलेंज नहीं किया जा सका है।

पंचायतों में जो चुनाव की प्रणाली है उसमें कुछ दोष है। प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली से ही पंचायतों में चुन कर जिन आदमियों को आना चाहिये वे नहीं आ पाते हैं। ऐसे ही आदमी अधिकतर उनमें चुन कर आ पाते हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से जनता में बहुत बड़ा दबाव होता है या लाठी का जोर होता है, जिसके बल पर वे जनता का हाथ उठवा लिया करते हैं। पंचायतों का चुनाव डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी की तरह अप्रत्यक्षरूप से किया जाय तो मुझे विश्वास है कि इस प्रकार से जो चुनी जाने वाली पंचायतें होंगी वे निहायत अच्छा काम करेंगी और गांव को स्वर्ग बना सकेंगी। लेकिन जब तक अप्रत्यक्षरूप से चुनाव नहीं होगा तब तक पंचायतों से जितनी हम अपेक्षा करते हैं ईमानदारी की और कार्य क्षमता की, उतनी वास्तव में हम नहीं पा सकते हैं।

श्री उग्रसेन--माननीय सदस्य "अप्रत्यक्ष रीति" शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे उनका तात्पर्य इंडायरेक्ट एलेक्शन से है या सीक्रेट बैलट से ?

श्री बुलाकी राम--मेरा तात्पर्य सीक्रेट बैलट से है।

एक चीज मुझे यह कहनी है कि कई सालों से पंचायतें चल रही हैं लेकिन वे जनता से पूरा टैक्स वसूल नहीं कर सकी हैं। आज जनता पर कई सालों का टैक्स इतना इकट्ठा हो गया है कि उसको अदा करने में वह अपने को असमर्थ पाती है। इस कारण भी आज जनता में बड़ा असंतोष है। अगर वह टैक्स वसूल किया जायगा तो यह मानी हुई बात है कि जनता उसको अदा नहीं कर सकेगी। इसलिये मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि जो पुराना टैक्स है उसको माफ कर दिया जाय और पिछले दो या तीन साल का ही टैक्स वसूल किया जाय तो अच्छा होगा इससे असंतोष भी पैदा नहीं होगा और जनता में दुर्भावना भी पैदा नहीं होगी। बहुत से टैक्सेज ऐसे हैं जिन्हें पंचायतें भी लगाती हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स भी लगाते हैं। जनता के ऊपर इस प्रकार टैक्स का डबल बोझ आ जाता है। मान लिया कि एक आदमी गाड़ी चलाता है तो पंचायत भी उससे ३ रुपया लेती है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी १० रुपया लेता है। इस प्रकार १३ रुपये उस पर पड़ जाते हैं। इसलिये पंचायत टैक्स या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टैक्स, एक ही टैक्स, उस पर पड़ना चाहिये। इससे भी बड़ा असंतोष है। अगर एक ही टैक्स लिया जाय तो यह असंतोष आसानी से दूर हो सकता है।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अनुदान संख्या १४, ३४ और ३९ में जो कटौती का प्रस्ताव माननीय राजनारायण जी ने किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज गांव पंचायत का प्रधान कहां तक स्वतंत्र है उससे सभी लोग परिचित हैं। उनके ऊपर नौकरशाही का इतना अंकुश है जिससे वह स्वतंत्ररूप से कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आप देखते हैं कि उनके ऊपर सेक्रेटरी हैं, इंस्पेक्टर आदि हैं जो उनसे यह कहते हैं कि अगर तुम मैक्सिमम टैक्स नहीं लगाओगे तो तुम निकाल दिये जाओगे, क्योंकि सरकार ने उन लोगों को निकालने की ताकत अपने हाथ में कर ली है और एस० डी० ओ० (हाकिम परगना) को अख्तियार है कि उनको मुअत्तल कर दे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जनता के चुने हुये अधिकारियों को सरकारी कर्मचारी अलग करने की क्या ताकत रखते हैं? क्यों सरकार उनको स्वतंत्ररूप से कार्य करने के लिये अधिकार नहीं देती है?

दूसरी बात यह है कि आजकल लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी जो बनायी गयी है उसमें एक लेखपाल रख दिया गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का तो आप हाल जानते ही हैं। सीधा साधा गांव का प्रधान लेखपाल के चक्कर में पड़ा रहता है। हमारे गोंडा जिले में बंजर भूमि में जो पेड़ काश्तकारों ने लगाये हैं गांव समाज की सम्पत्ति कर लिया है। गांव समाज मैनुअल के अन्दर है कि वह पेड़ उन्हीं काश्तकारों के हैं जो जमींदारों के अलावा लोग हैं और उन्हीं का हक है उस पेड़ पर जो बंजर भूमि में है। ऐसा सरकारी आदेश भी है। लेकिन उसके विपरीत कार्य हो रहा है। जो बेचारे कम पढ़े लिखे प्रधान हैं और ईमानदार हैं उनके ऊपर शासन का ऐसा डर पैदा कर दिया जाता है कि वह स्वतंत्ररूप से कोई काम करने में डरते हैं। आप देखिये कि टैक्स जो मैक्सिमम है एक आना रुपया या ६ रुपया प्रति बैलगाड़ी या ५ रुपया वह लिया जाता है, उन प्रधानों और मेम्बरों को कोई यह समझाने वाला नहीं है कि भाई, तुम मिनिमम टैक्स भी लगा सकते हो। गो उनके पास सरकारी कर्मचारी हैं, सेक्रेटरी हैं लेकिन वह यही कहते हैं कि सरकार तुमसे खुश नहीं रहेगी और तुम निकाल दिये जाओगे अगर मैक्सिमम टैक्स नहीं लगाते हो। इसलिये जो मंत्री लिख लाते हैं उस पर वह दस्तखत कर देते हैं। कोई उसका वाइड पब्लिकेशन नहीं होता कि डुग्गी पिटवाई जाय कि मीटिंग होने वाली है। मीटिंग या तो प्रधान के घर में कभी भी करा ली जाती है या पंचायत इंस्पेक्टर करा लेते हैं। तो आप देखिये कि इससे किस कदर परेशानी जनता को हो रही है। जो बैलगाड़ी किराये पर नहीं चलती हैं, महज खेती पाती के काम में रखी जाती हैं, उन लोगों को भी टैक्स देना पड़ता है, हालांकि ऐक्ट के अन्दर यह है कि जो किराये पर हों या उससे प्राफिट उठायें उन पर ही टैक्स लगाया जाय। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार जो मंत्री पंचायत और प्रधान, इंस्पेक्टर आदि रखती है वहां की जनता की मदद करने के लिये और समझाने के लिए, वह केवल गवर्नमेंट की अरनिंग मशीनरी बन कर रह गये हैं और उनके द्वारा टैक्स आदि ही लिये जाते हैं।

जहां तक लैण्ड मैनेजमेंट कमेटी का संबंध है वह एक अलग चीज है। आज आप देखते हो कि बड़े-बड़े नीलामात हुआ करते हैं उनको तहसीलदार करते हैं और जो गांव के या परगने के हैं उनको कानूनगो करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या कभी प्रधान को या गांव सभा के मेम्बरों को भी इस काम के लिये बुलाया जाता है? या जो धन नीलाम से मिलता है उसका प्रबन्ध करने में उनका भी कोई हाथ रहता है? इसमें बहुत सी ब्लैकमार्केटिंग होती है। मैं चाहता हूं कि ये आक्शंस बजाय लैण्ड मैनेजमेंट कमेटी में वेस्ट करने के गांव पंचायत के प्रधान में वेस्ट किये जायं ताकि जनता को मालूम हो कि किस कदर धन उसमें मिला। दूसरी बात यह है कि जो प्रधान का एलेक्शन होता है उसके लिए मैं समझ नहीं पाता हूं कि जब चीफ मिनिस्टर का एलेक्शन मेम्बर करें, प्रधान मंत्री का मेम्बर करें, डिस्ट्रिक्ट

[श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह]

बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन का भी मेम्बर्स करें, तो क्या वजह है कि प्रधान का चुनाव वहां पर जनता से कराया जाय ? तो मेरे ख्याल में एक ही बात है जैसे कि अंग्रेजी राज्य की पालिसी डिवाइड ऐंड रूल की थी उसी तरह से गांवों में भी सरकार वही चीज कराना चाहती है जिससे लोग वहां आपस में पार्टीबाजी करें और झगड़े हों। मैं यह संशोधन रखना चाहता हूं कि मेम्बरों का चुनाव और पंचों का जो चुनाव हो वह जनरल पब्लिक द्वारा कराया जाय। सरपंच और प्रधान का चुनाव मेम्बर और पंचों द्वारा होना चाहिये ।

आप देखते हैं कि प्रदेश के पूर्वी अंचल में कितना सूखा और बाढ़ की मुसीबत आई । लेकिन किसी भी प्रधान से कुछ नहीं पूछा गया और जो लेखपाल वगैरह ने रिपोर्ट दे दी उसी को मान लिया गया । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधान की जगह बेकार है ? अगर वह कोई चीज लिखता है तो सरकार के यहां उसकी कोई सुनवाई भी होती है या जो लेखपाल के आंकड़े होते हैं वही सब कुछ हैं ?

अन्त में मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मुताल्लिक कुछ कहना चाहता हूं । इनकी सड़कों की हालत जिस तरीके की है यह तो सबको भली भांति विदित ही है । मेरे क्षेत्र में मेरे खयाल में एक भी पक्की सड़क नहीं है । कच्ची सड़कों की हालत यह है कि बरसात में जरा सी भी बारिश हो जाय तो घुटनों तक पानी भर जाता है । खास तौर से चन्द्रदीप घाट से मसकनवा तक और सादुल्लानगर से खोंडरा तक परगना बूढ़ापार की सड़कों की हालत बहुत खराब है और मिट्टी तक नहीं डाली गई है ।

दूसरी बात यह है कि टीचरों की आजकल बड़ी खराब हालत है । छः छः महीने तक उनको तनख्वाह नहीं मिल पाती है । गवर्नमेंट ग्रांट देती है लेकिन फिर भी वे तनख्वाह नहीं पाते हैं । दूसरी दिक्कत टीचरों की यह भी है कि जो तनख्वाह में ५ रुपये बढ़ोतरी दी गई थी वह भी उनको अभी तक नहीं मिली है । यह इस सूखा काल में बड़ा भारी प्रश्न है । वह पीड़ित है । उसको अगस्त से यह बढ़ोत्तरी मिलनी चाहिये ।

श्रीमन्, स्कूल बिल्डिंगों का हाल यह है कि बच्चे मैदान में पढ़ते हैं । बरसात में किसी के बरामदे वगैरह में पढ़ लेते हैं । आखिर सरकार का खाली स्कूल खोल देने से क्या फायदा है, जब कि बच्चों को कोई सहूलियत वगैरह नहीं मिलती है ? मेरे क्षेत्र गौरा चौकी में जो स्कूल बना हुआ है उसका छप्पर उड़ गया है । जो बच्चे आगे चलकर हमारे राष्ट्र का निर्माण करते हैं उनकी पढ़ाई की यह व्यवस्था हो कि हमेशा हालीडे मनायें तो उनकी आगे क्या दशा होगी ?

आजकल चुनाव की बड़ी चर्चा हो रही है । कहा यह जा रहा है कि गरीबी का बजट है, पैसा नहीं है सरकार के पास । तो मैं नहीं समझ पाता हूं कि फिर क्यों पब्लिक और सरकार का करीब दो करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है । जब कि यह तय है कि एक व्यापक बिल आयगा और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स बनेंगी तो फिर ५–६ महीने में एक व्यापक बिल लाकर दिसम्बर तक एलेक्शन्स करा दिये जायं ।

(व्यवधान)

यह सलाह मैं हाउस में दे रहा हूं, कमरे में सलाह देने की बात मैं नहीं कह रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य तकरीर करते वक्त मेरी तरफ ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री रघुरनते नबहादुरसिंह--- एलेक्शन व्यापक बिल लाकर जाड़ों में कराये जांय और प्रधानों के काम में मंत्री आदि हस्तक्षेप न कर सकें। ऐसा संशोधन पंचायत राज्य ऐक्ट में किया जावे।

आज हम देखते हैं कि डेवलपमेंट के पचासों विभाग खुले हैं लेकिन गांवों की तरफ ध्यान नहीं गया है। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने एक पैसा भी गांव की सड़क को नहीं दिया है हालांकि सेक्शन ९१ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को वह तमाम चीजें करनी चाहियें जो डेवलपमेंट आदि के मुताल्लिक हैं। जब यातायात की हालत इतनी खराब हो तो आप समझ सकते हैं कि गांवों की दशा कैसे सुधर सकती है ? न वे रोजगार कर सकते हैं न उनकी आर्थिक दशा ही सुधर सकती है। जहां साल में ६ महीने रास्ता बन्द रहता है वहां की जनता को क्या कठिनाई होती है इस पर भी कभी सरकार ने ध्यान दिया ? इसलिये मेरे क्षेत्र की डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कों और स्कूलों की तरफ सरकार खास तौर से ध्यान दे जिससे जो कठिनाइयां वहां आज हो रही हैं उनसे वहां की जनता को छुटकारा मिल सकें। अन्त में मैं मंत्री जी से फिर प्रार्थना करूंगा कि जो ५ रुपये की बढ़ोत्तरी अध्यापकों की अगस्त मास से हुई है उसको शीघ्र दिलाने की कृपा की जाय।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान स्वशासन मंत्री ने रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। माननीय मंत्री जी जिस लग्न और उद्देश्य के साथ देश में सेवा का कार्य अपने कंधे पर लिये हैं उससे इस प्रान्त का कोई भी व्यक्ति अपरिचित नहीं है। मैं आशा करूंगा कि इस हाउस के सारे सदस्य इसी भावना से प्रेरित होंगे कि इस विभाग का भी वे उसी तरीके से संचालन करेंगे जिस तरह से उनका उद्देश्य समय-समय पर हमारे सामने आता रहा है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी का ध्यान उन पवित्र और पुनीत पंचायतों की तरफ ले जाना चाहता हूं जिनका उद्देश्य बहुत ही उज्जवल है किन्तु उनके पास ऐसा कौन सा काम है जिनको कर के वे अपने उज्जवल उद्देश्य की पूर्ति कर सकें ? मैं देखता हूं कि पंचायत मंत्री रखे गये, पंचायत इंस्पेक्टर रखे गये और उसके ऊपर एक पंचायत अफसर रखे गये, लेकिन जब मैं उनके कार्यों की ओर देखता हूं तो सिवाय इसके कि पंचायत मंत्री मुर्गीशुमारी करें, पशु गणना करें और अपनी पोथी को लेकर पंचायत इंस्पेक्टर के पास पहुंचाते रहें और कोई काम उनको नहीं है। इन सब बातों को देखने के बाद मैं उस नतीजे पर पहुंचता हूं कि जिस तरह से हमारे माननीय श्री शिव-शरणलाल जी ने मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया कि कोई ऐसी खराबी या त्रुटि पंचायतों में आ गयी है जिसके कारण वे आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रान्त में एक ऐसी कमेटी बनायी जाय जो इन तमाम बातों की छानबीन करके उचित सुझाव दे सके जिससे पंचायतें अपने कार्य का ठीक तरह से संचालन कर सकें।

इसके अतिरिक्त मुझे यह निवेदन करना है कि जिस जिले के, तहसील के, पंचायत मंत्री हों उस जिले में वे कदापि न रखे जायं वरना उनका चित्त हर समय घर पर ही लगा रहता है, जिसके कारण वे पंचायत का कार्य बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। और यह प्रतिबन्ध केवल पंचायत मंत्री के लिये ही नहीं होना चाहिये बल्कि पंचायत इंस्पेक्टर को भी उसी जिले में नहीं रखना चाहिये। मैंने अपने जिले में देखा कि जब से पंचायत का निर्माण हुआ तब से पंचायत इंस्पेक्टर अपने ही जिले में हैं और वे बराबर अपने घरेलू मामलों में फंसे रहते हैं जिसके कारण वे ठीक तरह से पंचायत का कार्य नहीं कर पाते हैं।

साथ ही साथ मैं पंचायतों के कार्य के बारे में यह निवेदन करूंगा कि जब तक उनके सामने छोटे-मोटे उद्योग-धंधे नहीं रखे जाते तब तक म नहीं समझता कि पंचायतों का या देश का निर्माण हो सकेगा। हमने पंचायतों से श्रमदान करा लिया तो उससे क्या होता है ? जब तक उनके सामने कोई रचनात्मक कार्य नहीं है तब तक सरकारी नौकरों के प्रति जो भावना

[श्री धनुषधारी पांडेय]

जनता की होती है उसी भावना से वह इन पंचायतों को भी देखती है। यह न मंत्री सोचते हैं और न देश के अधिकारी सोचते हैं और न दूसरे कर्मचारी सोचते हैं। जब तक इस देश सेवा की भावना को लेकर यह काम नहीं किया जायगा तब तक यह जो बहुत बड़ी खाई है नहीं पट सकती है। जब तक इसको पाटने के लिये पंचायत मन्त्रियों के सामने, पंचायत इन्सपेक्टरों के सामने जहां से हवा पैदा होकर दिल्ली और लखनऊ में पहुंचती है, रचनात्मक कार्य नहीं रखा जायगा तब तक मैं नहीं सोचता कि किसी प्रकार से वह लोग सफल हो सकते हैं। इस खाई को पाटकर पंचायतें सफल हो सकती हैं और अगर उस खाई को नहीं पाटा जाता है तो वे सफल नहीं हो सकती हैं।

इसके साथ-साथ मैं मंत्री जी का ध्यान पिछड़े हुये क्षेत्रों की तरफ दिलाना चाहता हूं, चाहे वे पूर्वी हों या पच्छिमी हों या दक्खिन के हों या उत्तर के। उन पिछड़े हुये इलाकों में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सड़कों दी गई हैं उनके लिये कुछ भी रुपया नहीं दिया गया है। किसी जिले के पास १०० मील लम्बी सड़कें हैं और किसी के पास ३०० मील लम्बी हैं। अगर उनको सरकार की ओर से रुपया नहीं दिया जायगा तो फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहां से रुपया लायेगा ? यह सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० को ट्रान्सफर होनी चाहिये।

साथ ही साथ मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ भी ले जाना चाहता हूं कि यहां पर यह कहा गया कि यह सरकार शहरों की तरफ चलती है। हमारा उद्देश्य यह था कि गांवों की तरफ अधिक ध्यान दें और मंत्री जी ने कहा भी कि हम गांव की तरफ चल रहे हैं लेकिन अगर मैं मंत्री जी से यह जानने का प्रयत्न करूं तो उनके पास कोई इसका जवाब नहीं है कि आपने बड़े-बड़े गांवों के अन्दर जो गन्दे नाले बहते हैं उनके पानी को निकालने के लिये क्या प्रबन्ध किया है ? उनके पास बहुत रुपया रहता है तो उसका प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया ? जब उनके पास रुपया रहता है तो वे गांवों के अन्दर पानी के निकास का प्रबन्ध कर सकते हैं। मेरे एक साथी ने बतलाया कि पहाड़ों के अन्दर पीने का पानी पैसा देकर लेना पड़ता है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जहां पर इस प्रकार की गति है, जहां पर पानी पीने के लिये नहीं है ऐसे पिछड़े इलाकों में वह पानी का प्रबन्ध करायें और खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर नाना प्रकार की बीमारी घेंघा और फीलपांव जैसी हैं, उन इलाकों में ट्यूबवेल से पानी सप्लाई करने के लिये उस विभाग को यह काम दें जो ट्यूबवेल का प्रबन्ध करता है। उन ट्यूबवेल से उस इलाके में पानी देने के लिये प्रबन्ध किया जा सकता है।

इसी के साथ-साथ जो हमारे यहां असमानता है वह बहुत अनुचित है। हमारे कर्मचारियों के बीच इस प्रकार की असमानता है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के जो कुली हैं, सेन्ट्रल गवर्नमेंट का जो रेलवे का कुली है वह ८०,८५ रुपया पाता है लेकिन हमारे यहां का प्राइमरी स्कूल का मास्टर और हमारे यहां का जूनियर स्कूल का मास्टर जो तनख्वाह पाता है उसको देखकर हमारा सिर झुक जाता है। सरकार का इस तरफ भी ध्यान जाना चाहिये। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी दृढ़ता के साथ आगे बढ़कर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की गिरी हुई दशा सुधारने का प्रयास करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों की जो दशा है उसको देखते हुये, उनके वेतन को देखते हुये उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों की दशा और जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों की दशा नहीं सुधरी तो यह मानी हुई बात है कि जो उत्थान हम करना चाहते है वह नहीं हो सकेगा। आप जो यह चाहते हैं कि शिक्षा प्रणाली विकसित हो और जिसके लिये कहा गया कि अगर बिल्डिंग नहीं है तो हवा और धूप में लड़के बैठकर शिक्षा ग्रहण करें, तो जब दिल्ली, लखनऊ, आगरा, बनारस और गोरखपुर के शहरों में लड़के हवा और धूप में बैठकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो फिर देहात के बच्चे हवा और धूप में बैठकर कैसे पढ़ सकते हैं ? जिस तरह के बच्चे दिल्ली और लखनऊ के हैं उसी तरह के बच्चे गांवों के भी हैं। उन पिछड़े हुये इलाकों में स्कूलों की इमारतें गिरी हुई हैं, इमारत स्कूलों के पास नहीं है, बैठने के लिये टाट नहीं है, श्यामपट्ट भी नहीं है

तो उस तरफ ध्यान देना चाहिये । अगर माननीय मंत्री जी उस तरफ ध्यान देंगे तो हमारे देहातों की दशा सुधरेगी । देहात की दशा सुधरेगी तो हमारे देश की दशा सुधरेगी और देश के साथ हम सब की दशा सुधरेगी । इन सब बातों को देखते हुए मैं पुनः माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा और आशा करूंगा कि वे इस ओर ध्यान देते हुए दृढ़ता के साथ कदम बढ़ायेंगे । इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—अधिष्ठाता महोदय, राजनारायण जी ने जो अनुदान संख्या १४,३४ और ३९ में एक-एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

माननीय मंत्री जी ने गांव सभाओं के बारे में काफी तफसील से जिक्र किया और कहा कि गांव सभाओं के जरिये काम बहुत अच्छा हो रहा है और यह कि वह हमारे शासन की एक इकाई हैं । मैं भी यह मानता हूं कि वह हमारे शासन की एक इकाई हैं । एक ओर तो माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि गांव सभायें हमारे देश का उत्थान करें लेकिन दूसरी तरफ वह कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि अगर वे सचमुच ही देहात की जनता को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और देहाती जन जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो उनको चाहिये कि गांव सभाओं की आर्थिक इमदाद करें । इसके बारे में मेरा एक सुझाव यह है कि आप जो लगान किसानों से लेते हैं उसका दसवां या चौथा भाग, जैसा भी मुमकिन हो सके, गांव सभाओं को दें ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि अदालती पंचायतों के बहुत से फैसले ऐसे हुए जो आगे अदालतों में जाकर रद्द हो गये । माननीय मंत्री जी जनतंत्र के अनुयायी हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि पहले अदालती पंचायतों का चुनाव जनता के जरिये से होता था, उसमें नामजद करने की कोई जगह नहीं थी लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें एम० एल० ए० और वलेक्टर द्वारा नामजदगी से हुआ है । इसलिये मेरा कहना है कि पहले की भांति जनता द्वारा चुनाव कराये जाया करें क्योंकि इस प्रणाली से हमारे समाज को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है ।

(इस समय ३ बज कर ५१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए ।)

दूसरी बात यह है कि, जैसा बुलाकी राम जी ने कहा, और बनारस की पच्चीसों मिसालें मैं दे सकता हूं, वहां के पंचायतों के चुनाव में ज्यादती हुई है । लोगों का चुनाव हुआ और बाद में फर्जी कागजात बना दिये गये । मेरा कहना इसलिये यह है कि गांव समाजों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से न कराया जाय । अगर चुनाव सीक्रेट रूप से हो सकें तो अच्छा है । खर्चे का सवाल जरूर है लेकिन अगर सीक्रेट रूप से हो सकें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

तीसरी बात, मान्यवर, मैं म्युनिसिपैलिटी के बारे में कहना चाहता हूं । जैसा की माननीय मंत्री जी ने कहा कि वे जिला बोर्ड के चुनाव जल्दी से कराना चाहते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि बनारस की म्युनिसिपैलिटी भंग है । माननीय मंत्री जी ४-५ नगरों में नगर निगम भी बनाने जा रहे हैं उसका भी चुनाव जल्दी से कराने की मंत्री जी कृपा करें । बनारस में प्रशासक के शासन के कारण वहां की जनता का जन जीवन बहुत खराब हो गया है । माननीय मंत्री जी इसका जिक्र भी कर चुके हैं कि कारपोरेशन का चुनाव हम जल्द करना चाहते है । बनारस की म्युनिसिपैलिटी का दफ्तर चेतगंज थाने के सामने है । वह कम से कम ४ एकड़ जगह में होगा । यह एक बहुत ही आलीशान बिल्डिंग है; लेकिन सरकार उसको म्युनिसिपैलिटी से बिकवाने जा रही है और उसके स्थान पर एक दूसरी नयी बिल्डिंग २० लाख

[श्री ऊदल]

रुपये से बनवाई जा रही है । मैं समझता हूं कि यह ज्यादती है और प्रदेश के पैसे का दुरुपयोग है । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी को मौका मिले तो वे बनारस तशरीफ ले चलें और जो पुराना दफ्तर है उसको देख लें ।

एक सदस्य—अब तो कारपोरेशन बनने जा रहा है ।

श्री ऊ दल—मैं समझता हूं कि कारपोरेशन का काम भी उसी बिल्डिंग में चल सकता है । इसलिये माननीय मंत्री जी इस प्रकार के अपव्यय को रोकें । श्रीमन्, बनारस में भेलूपुर एक जगह है जहां के करीब ४० व्यक्तियों की जमीन को नगर विकास योजना के नाम पर ले लिया गया है । श्रीमन्, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जिनकी जमीन ले ली गयी है उनको न तो ठीक से मुआवजा ही दिया जाता है और न मकान बनाने के लिये जमीन ही दी जाती है । उनको मुआवजा भी ७५ रु० बिस्वा के हिसाब से दिया जा रहा है जिसको ट्रस्ट १,६०० रु० बिस्वा के हिसाब से बेचने जा रहा है । मान्यवर, अगर माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो मैं दो तीन व्यक्तियों के उदाहरण इस सम्बन्ध में दे सकता हूं, उनके सबूत मेरे पास हैं । वे गरीब किसान जिनको ७५ रु० बिस्वा के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है वे आज दाने-दाने को मुहताज हैं, जब कि उन्हीं की जमीन को ट्रस्ट १,६०० रु० बिस्वा के हिसाब से बेच रहा है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वे इस तरफ ध्यान दें कि जिनकी जमीन ले ली गयी है, अगर वे मकान बनाना चाहते हैं तो उनको प्राथमिकता अवश्य दी जाय और उनको मुआविजा भी ठीक से दिया जाय ।

एक खामी और है जिसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । महाराजा विजयानगरम् ने बनारस कैंट स्टेशन के पास एक मार्केट बनवाया था वह इतनी नीची जगह में है कि वहां की जमीन बरसात में डूब जाती है । सरकार ने ट्रस्ट को रुपया दे कर उस मार्केट को खरीदवा लिया है । वहां दो तीन साल से एक भी दुकानदार उन दुकानों को लेने के लिये तैयार नहीं है और सारा मार्केट खाली पड़ा हुआ है । अभी ४, ५ दिन हुये, मैंने खुद जा कर देखा कि वहां कोई भी दुकानदार जाने के लिये तैयार नहीं है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि यह जो गलत काम म्युनिसिपल बोर्ड या ट्रस्ट के जरिये या दूसरे बोर्ड के जरिये हो रहा है उस तरफ वे ध्यान दें ।

चौथी बात मुझे शिक्षा के सम्बन्ध में कहनी है । माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी के विभाग की ओर से एक पुस्तिका निकली है, उसको मैंने गौर से देखा । उसमें मैंने एक चीज पायी कि स्कूलों की तादाद तो बढ़ती चली जा रही है लेकिन रुपया जितना शिक्षा के ऊपर खर्च होना चाहिये उससे कम होता जा रहा है । अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि स्कूलों की हालत अब बहुत अच्छी है । पहले लड़के पेड़ों के नीचे बैठ कर पढ़ते थे । लेकिन मैं कहता हूं कि यह ठीक नहीं है कि पेड़ों के नीचे बैठ कर पढ़ते थे पहले जहां स्कूलों में, १०, १२ चौकियां, ८ टाट और ५, ६ कुर्सियां रहती थीं, वहां आज एक भी टाट नहीं है, एक भी चौकी नहीं है और एक भी कुर्सी नहीं है । तो यह हालत है स्कूलों की । स्कूलों की बिल्डिंग्स को तो मैं आपको खंडहर के रूप में दिखला सकता हूं, यदि आप चाहें । यदि आप सचमुच स्कूलों के साथ-साथ मास्टरों के लिये और बच्चों के बैठने आदि के लिये कुछ सुधार करना चाहते हैं तो उसकी तरफ अवश्य ध्यान दीजिये । जैसा अभी माननीय सदस्या श्रीमती सज्जन देवी महनोत ने कहा कि मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देती हूं कि बनारस बोर्ड की बिल्डिंग आलीशान बन गयी हैं । मैं तो माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वहां पर जो बिल्डिंग्स बनी हैं वह जनता के ऊपर टैक्स लगा कर बनाई गई हैं । जहां पर गांव सभा ने भी टैक्स लगाया है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने भी टैक्स लगाया है । ऐसे एक नहीं मैं हजारों उदाहरण दे सकता हूं । ऊंट, पान वाले, मुर्गा मुर्गी, कालीन करघा, दुकानों आदि पर भी टैक्स लगा है । एक ऊंट पर १० रुपया टैक्स लगा है । पान वाले पर भी दस-दस रुपया टैक्स लगा है । इस तरह से जनता

का जीवन खराब होता जाता है। बनारस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने ऐसा टैक्स लगाया है, इसलिये मैं समझता हूं कि और सभी बोर्डों ने भी अवश्य लगाया होगा। इसलिये मैं कहता हूं कि जब तक बोर्ड के टैक्स लगाने वाले रूल्स में और टैक्स लगाने की नीति में कोई हेरफेर नहीं होगा तब तक कोई फायदा समाज का होने वाला नहीं है। हरदोई जिले में माधवगंज एक टाउन एरिया है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

एक सदस्य—यह कहां है?

श्री ऊदल—माननीय मंत्री जी जानते होंगे, आपको नहीं मालूम होगा। वहां जब नया बोर्ड बना तब १२-२-५७ को टाउन एरिया का ८,००० रुपया टैक्स कलेक्टर के द्वारा मंजूर हुआ और बाद में जब नया बोर्ड बना तो कलेक्टर से मंजूरी रद्द कराई गई और १२ हजार ७३७ रुपया १२ आना टैक्स लगाया जब कि पुरानी लिस्ट के अनुसार बहुत लोगों से टैक्स वसूल हो चुका है। मैं चाहता हूं कि देखा जाय कि लोगों की टैक्स देने की हैसियत पहले से टैक्स देने के लिये कैसे बढ़ गई? आप इसकी तहकीकात करें कि किसको कितनी टैक्स देने की हैसियत है।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे नाम से भी एक कटमोशन था मगर मैं उसको न पेश कर के मुनासिब यही समझता हूं कि इसी मौके पर अपने कुछ थोड़े से ख्यालात का इजहार कर दूं। गांव पंचायतों के सम्बन्ध में जो बहस हो रही है उससे मुझे कुछ निराशा हुई और वह यह कि आज मैं देखता हूं कि हमारा हाउस सब दिनों से ज्यादा डिम है और माननीय सदस्यों की तादाद यहां बहुत कम मौजूद है। मैं यह तो नहीं समझता कि लोगों की तवज्जह इस तरफ नहीं है, फिर भी बहरहाल है कुछ ऐसा ही। गांव सभायें हमारे जीवन की, हमारी जिन्दगी की बहुत ही अहम संस्थायें हैं। वह एक ऐसी इकाई हैं कि जिन पर हमारे देश का पूरा शासन खड़ा हुआ है। मुझे याद है कि आज से १५-२० साल पहले जब एक कमेटी माननीय खेर साहब की सदारत में बनी थी और जिसने बड़ी मेहनत के साथ एक ड्राफ्ट पंचायत राज बिल का तैयार किया था, उस वक्त मुझे भी उस कमेटी का सदस्य रहने का मौका मिला था। उस वक्त हमने उस रिपोर्ट के मुताबिक गांव पंचायतों को बहुत से अधिकार दे दिये थे लेकिन उसके बाद जो एक बिल आया और सरकार ने उस बिल को बनाकर, विचार करके इस सदन में पेश करने का इरादा किया, उस समय उसने उससे बहुत सी वह चीजें कम कर दी जिनकी सिफारिश कमेटी ने की थी। उसमें यह भी सिफारिश थी कि पंचायतों के अन्दर में देहाती पुलिस भी दी जाय, यह भी उसमें था कि अदालती पंचायतों को दफा १०७-१०८ और १०९ के मुकदमे करने का भी अधिकार दिया जाय। लेकिन वह बाद में नहीं दिये गये और मैं समझता हूं कि यह अच्छा ही हुआ, क्यों कि जब हम यह देखते हैं कि जितने अधिकार हमने पंचायतों को दिये थे उन पर भी पूरे तरीके से अमल नहीं हो सका या वह उन पर अमल न कर सकने के लिये मजबूर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पंचायतों को जो कठिनाइयां हैं उनमें से उनकी सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि उनके पास पैसा नहीं है। उनकी औसत तरीके से मुश्किल से शायद ढाई सौ रुपया साल की आय है और उसी में से तकरीबन १२० रु० साल मासिक वेतन सेक्रेटरी का चला जाता है। कुछ पत्रिकायें मगायी जाती हैं उनका चंदा वगैरह हो जाता है। जो ५०-६० रु० उनके पास बच जाता है उससे अगर वहां का शासन चलाने की तवक्को की जाय तो मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा कि इतनी कम रकम से हम अगर चाहें कि वहां का काम कामयाबी के साथ चलेगा तो यह बिलकुल ना मुमकिन है, कभी भी इस तरह से सफलता नहीं मिल सकती। मैं यह खवाहिश करता था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री सुल्तान आलम खां]

की एक पूरी तस्वीर हमारे सामने आये। उस खेर कमेटी ने यह भी सिफारिश की थी कि प्राविन्शयलाइजेशन आफ सर्विसेज किया जाय और एक लोकल सेल्फ बोर्ड बनाया जाय जिससे पबलिक ओपीनियन को ज्यादा से ज्यादा एसोशियेट किया जा सके। लेकिन अब तक ये चीजें नहीं हो सकीं। मैं समझता हूं कि वह चीजें काबिले गौर हैं।

पंचायतों के साथ-साथ हमारे सामने डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का नक्शा भी आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायतों के काम का इतना गहरा ताल्लुक है कि हम इस सिलसिले में उन की चर्चा किये बगैर नहीं रह सकते क्यो कि दोनों के काम करने का एक ही क्षेत्र है। जिस वक्त यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाये गये थे उस वक्त इस मुल्क में कोई पंचायतें नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के देहाती रकबे में वही अधिकार थे जो शहरों में म्युनिसिपल बोर्डों के थे, लेकिन अब यहां पंचायतें कायम हुईं, जिस के लिये हमें गर्व है कि इस देश में हमारा सूबा ही सबसे पायनियर सूबा था कि जिसने देश में सबसे पहिले पंचायत राज कायम किया। लेकिन यह सवाल पैदा होता है कि पंचायतें भी कायम हो गईं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी कायम हैं। डबल टैक्सेशन भी होता है। उनके अधिकार भी डिफाइन्ड नहीं हैं। दस साल हो गये पंचायतों को कायम हुये। लेकिन अभी तक पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पावर्स और जूरिस्डिक्शन डिफाइन नहीं हुये। मैं तो यह समझता था कि अब भी वक्त नहीं आया है कि जब हम इस बात को खास तौर पर सोचें, और मैं अपने इस तरफ के बैठने वाले साथियों से अपील करना चाहता हूं कि इस बात को सोचा जाय कि कहां तक यह मुमकिन हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव इस वक्त न कराके इस बात की कोशिश की जाय कि हम एक काम्प्रीहेंसिव बिल ले आयें जिसमें पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जितने अधिकार हैं सब को अलहदाअलहदा डिफाइन कर दिया जाय। उसके बाद इंतखाब हों। अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इन्तखाबात होंगे तो इसके मानी यह हैं कि वह लोग जिनको हम नापसन्द करते हैं वह हटा दिये जायं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मशीनरी वही रहेगी और जो सब्स्टीट्यूट्स आयेंगे उनसे बेहतर नहीं हो सकते क्योंकि न उनके रिसोर्सेज बढ़ेंगे, न उनके साथ पंचायतों के ताल्लुक में कोई फर्क होगा। तो वह हालत बराबर कायम रहेगी। मैं समझता हूं कि इस मामले में जजबात से काम न ले कर इस बात पर गौर करना चाहिये कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को थाड़ी सी हम जिन्दगी और बख्श दें और इस अरसे में एक काम्प्रीहेंसिव बिल हाउस के सामने ले आयें और उसके जरिये से पंचायतों का कांस्टीट्यूशन, पावर्स और जुरिस्डिक्शन तय कर दें और बिलखसूस जो डबल टैक्सेशन है उसको खत्म कर दें। मैं तो यह सोचता हूं, और एक साहब ने सुझाव भी दिया था, कि जरूरत है कि हम एक छोटी सी कोई कमेटी या कमीशन बिठाएं जो दस साल की पंचायत राज की वर्किंग को देखे और उसके बाद सिफारिशात पेश करे। बड़ा अच्छा खयाल है। और अगर चुनाव में इससे देर नहीं होती है और काम जल्दी हो सकता है तो कतई मैं इसकी ताईद में हूं। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि हम ऐसा प्राविजन कर दें कि हर दस साल के बाद एक कमेटी बैठा करे जो कि पंचायत की दस साल की वर्किंग का जायजा ले और अपनी रिपोर्ट तैयार करे और उसके आधार पर बतलाये कि पंचायतों को क्या-क्या अख्तियारात देने हैं। पंचायतें हमारी वह यूनिट हैं जिन पर हमारे तमाम ऐडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद है। अगर पंचायतें मजबूत हैं तो हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन मजबूत है। अगर पंचायतें कमजोर हैं तो हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन कमजोर है।

एक बात उस संबंध में भी कहना चाहता हूं जिसका ताल्लुक प्लानिंग से भी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतें हमारे प्लानिंग की भी जान हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया वह ऐसी जमातें हैं जिनके पास कोई पैसा नहीं है। मैंने जनरल डिस्कशन में भी जिक्र किया था जिसका हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ जवाब भी दिया था, लेकिन मेरी पूरी बात उन तक पहुंच नहीं सकी, इसलिये कि वह तशरीफ नहीं रखते थे। मैंने उस वक्त यह कहा था कि पंचायतें और जो ब्लाक्स हैं इनमें खासकर पंचायतों को ज्यादा मजबूत होना चाहिये। हमारे

यहां जो प्लानिंग का तरीका है जिसके जरिये से प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें ब्लाक्स को यूनिट बनाते जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी भी लोगों की ख्वाहिश है कि ब्लाक्स को ऐडमिनिस्ट्रेशन की भी यूनिट बनाया जाय। मैं उसके मुताल्लिक ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि पंचायतों को स्टार्व न किया जाय और उनके जरिये से वह सब काम लिया जा सकता है जो ब्लाक्स के जरिये से किया जाता है। अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में नयी तरमीम कर दें और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ऐडवाइजरी बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की सूरत में रखें, प्लानिंग का रुपया उसके सुपुर्द करके पंचायतों के जरिये से खर्च कराएं, तो हमारी प्लानिंग सही प्लानिंग होगी। वह इम्पोज्ड प्लानिंग नही होगी बल्कि सही मानी में पीपुल्स प्लानिंग होगी। उनमें काम करने का एन्थूजियाज्म होगा। आज हम शिकायत करते हैं कि हमारी पंचायतों के काम में एन्थूजियाज्म नहीं है, लोगों को दिलचस्पी नहीं है जितनी होनी चाहिए। वह सही है लेकिन खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से वह यह समझते हैं कि उनके लिये जो काम प्लान के जरिये से लाया जाता है, वह काम है जो उनके ऊपर इम्पोज किया जाता है। लेकिन अगर इस तरीके का इन्तजाम होगा तो मैं समझता हूं कि हमारी पंचायतें ज्यादा कारामद होगी और ज्यादा काम कर सकेंगी। इन मुख्तसर अल्फाज के साथ मैं उस ग्रान्ट का, जो माननीय मंत्री जी ने पेश किया है, स्वागत करता हूं।

*श्री नत्थू सिंह (जिला मैनपुरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह कहा जा रहा है कि ग्रामीण जनता की दिन पर दिन तरक्की हो रही है, मेरे ख्याल से, यह बिलकुल गलत है। जहां तक गांव सभाओं का ताल्लुक है गांव सभाओं के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसी भी प्रकार का एक भी पैसा नहीं रखा गया है, न उनके उत्थान की ही बात कही गई है। मैं तो यह कहता हूं कि अगर इस तरीके से जनता के साथ खिलवाड़ होता रहा तो मैं तो यह कहूंगा कि जो उधर के बैठने वाले उन कुर्सियों पर चिपके हुए हैं एक दिन उनको वह दिन भी देखना पड़ेगा जब कि उनको इधर बैठना पड़ेगा। श्रीमन्, ८० प्रतिशत ग्रामीण जनता का स्तर ऊंचा नहीं हुआ और शहरों में जो ऊंची ऊंची अट्टालिकायें खड़ी हैं, मैं आपके द्वारा इस सरकार से कहना चाहता हूं कि उन ऊंची-ऊंची अट्टालिकाओं का पता नहीं चलेगा।

श्रीमन्, जहां तक ग्राम सभाओं के प्रधानों का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि उनको किसी भी किस्म की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। हमारा यह सुझाव है कि उनकी ट्रेनिंग के लिये तहसील-वार कैम्प खोले जायं और उनको ट्रेनिंग दी जाय जिससे वह अपने अधिकारों को समझ सकें।

श्रीमन्, गांव सभाओं के ऊपर आज तरह-तरह के टैक्स लगे हुए हैं, ग्रामीण जनता को तरह-तरह के टैक्स देने पड़ते हैं। उनको हाउस टैक्स देना पड़ता है, लगान टैक्स देना पड़ता है, आबपाशी टैक्स देना पड़ता है, कोल्हू पर टैक्स देना पड़ता है और श्रीमन्, कुछ ऐसे टैक्स भी हैं जो कि गुप्त टैक्स हैं। वह भी मैं बतला दूं, जैसे श्रीमन् तहसीलदार टैक्स है, कानून गो टैक्स है, लेबर्नल टैक्स है, पंचायत इंस्पेक्टर टैक्स है। यह गुप्त टैक्स जनता के ऊपर लादे जा रहे हैं। श्रीमान जी को अगर मेरी बात का इत्मीनान न हो तो मैं उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा यह कह देना चाहता हूं कि वह हमारे साथ चलें अपनी वेशभूषा को बदल कर दाढ़ी और मूंछों को लगाकर के चलें, इस बात की जांच कर लें। अगर मेरी बात गलत हो तो मैं इस विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकता हूं और अगर मेरी बात सही हो तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसमें सुधार लायें।

जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का संबंध है मैं मैनपुरी के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में भी कुछ कह देना चाहता हूं। और जिला बोर्डों में भी एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन होता होगा, लेकिन हमारे जिला बोर्ड में करीब ४ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन हैं। उधर के बैठने वाले जो माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री नत्थू सिंह]

सदस्य हमारे जिले से चुनकर आये हैं, हालांकि मैं उनकी बहुत ही रेस्पेक्ट करता हूं, बहुत ही इज्जत करता हूं और वह बहुत ही नेक आदमी है, लेकिन आज मैं नहीं कह सकता हूं कि वह अपनी नेकनीयती को खोये हुए चुपचाप क्यों कुर्सियों पर चिपके हुए बैठे हैं। वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कारनामे क्यों सरकार के सामने नहीं रख रहे हैं? मुझे नहीं पता है कि वह चुपचाप क्यों जनता के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको बरदाश्त कर रहे हैं? श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कुछ, जो पहले एम० एल० एज० रह चुके हैं और सन् ५७ के चुनाव में वह पूरे तरीके से हारे हैं उन्होंने, वहां के अध्यापकों को पूरी तरह से परेशान कर रखा है। उनको ट्रांसफर करके उनको जमुना के किनारे पटका गया और जो जमुना के किनारे पर रहने वाले थे उनको फर्रुखाबाद की सड़क पर पटका गया यह कह कर के कि तुम लोगों ने हमको वोट नहीं दिलाया इसलिये हमारी हार हुई है। तो श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का चुनाव मई में हो जाना चाहिए और शीघ्र से शीघ्र इनका चुनाव करा देना चाहिए।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इन बोर्डों के सड़कों की हालत बहुत ही खराब है, बहुत ही दयनीय है। मैनपुरी से भामत रोड की हालत इतनी खराब है कि अगर आप कार में बैठ जायं, मैं तो कहूंगा कि आप कार में भी नहीं बल्कि इक्के पर बैठ कर के उस रोड पर चलें तो मैं यह समझता हूं कि आपको उल्टी हो जायगी। यदि ऐसा न हो तो मेरी बात आप गलत समझें। मैं तो आपसे यह निवेदन करुंगा कि आप अपनी वेशभूषा बदल कर के एक-एक दिन हर जिले के लिए दें और इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की हालत को देखें। मैं आपसे यह कहता हूं कि आप वह दिन भूल जाइए जिस वक्त ब्रिटिश हुकूमत थी। उस वक्त आप लड़ना जानते थे, उस वक्त आप जनता के सही माने में शुभचिन्तक थे। लेकिन अब नहीं हैं। इसका कसूर मैं आपको नहीं दे रहा हूं। जब तक कोई पहलवान अखाड़े में लड़ता रहता है उसके बदन में ताकत रहती है और जब लड़ना बन्द कर देता है तो वह ताकत नहीं रहती है। इस लिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब तक आप लड़ते रहे आपके शरीर में ताकत रही, लेकिन अब लड़ना छोड़ दिया आपने और आपके शरीर में दम नहीं रहा है इसलिए आपको इन कुर्सियों को छोड़ देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—आपका मंशा मुझको कुर्सी छोड़ने का तो नहीं है? (हंसी)

श्री नत्थू सिंह—श्रीमन्, आपके लिये नहीं है, आपको तो हम बिठाये रखेंगे। माननीय मंत्री जी शायद यह सोचते होंगे कि इधर के लोग जो बात कहते हैं वह उनके दुश्मन हैं। लेकिन मैं उनसे नम्र निवेदन कर देना चाहता हूं कि हम लोग तो आपके शुभचिन्तक हैं जो आपकी खामियों और कमजोरियों को बतलाते रहते हैं। लेकिन उधर के लोग जिनको आप अपना शुभचिन्तक समझते हैं, वह शुभचिन्तक नहीं है। अभी कुछ देर पहले जो यह बात कही गयी कि आप अपने घर को तो बांधे, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कह देना चाहता हूं कि यह घर तो बंधा हुआ है। लेकिन अब आपके घर मे भी कुछ लोग पहलवान तैयार हो गये हैं और वह स्पष्ट बात कहने लगे हैं, जैसा कि भाषणों से प्रतीत ही है जो मैं सुनता रहा, कुछ माननीय सदस्य उधर के ऐसे हैं जो सच्चाई के साथ जनता की बात कहने लगे हैं, मैं उनको इसके लिये बधाई देता हूं। आज जनता की हालत बहुत खराब हो गयी है। कुछ माननीय सदस्य या मंत्री महोदय जब कहीं कभी किसी सड़क के किनारे से होकर निकले और भट्टों को देखा कि वहां गाड़ियां खड़ी हुई हैं उसी से यह अन्दाजा लगा लिया कि जनता की हालत बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है। मुझे याद है २१ तारीख को जब बजट पर वादविवाद चल रहा था उस समय माननीय मिहरबान सिंह जी ने यह कहा था कि जनता की हालत बहुत अच्छी है, भट्ठे भी बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं। लेकिन उनको यह पता नहीं है उन भट्ठों पर ईंटें खरीदने वाले कौन लोग हैं? वह चौधरी मिहरबान सिंह और नत्थू सिंह ही हैं, बाहर और सड़क नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि ग्राम सभाओं की तरक्की हुई है। केवल एक लालटेन देख करके उन्होंने यह धारणा बना ली। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सचमुच यहां बैठे रहना चाहते हैं तो आप अपना वेश बदलें और जा करके दीन दुखी जनता की हालत को देखें।

श्री उपाध्यक्ष--कौन-कौन सी पोशाकें, वेश बदलने के लिये, माननीय मंत्री जी के लिये ठीक होंगी यह आप उनसे अलग जाकर बतला दें।

(हंसी)

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने जिन विचारों को रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, पंचायतों की जब स्थापना हुई तो हमने कुछ आशायें की थीं और उस तरफ हम बड़े जोर से बढ़े, लेकिन अब हम कदम अपने उसी स्थान पर पटक रहे हैं जहां से बड़े जोरों से चले थे।

पंचायतों ने श्रमदान काफी किया है इसके लिये मैं पंचायतों को और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। ग्रामों मे जो कार्य हुआ है उसके लिये खास कर ग्राम सभाओं के सेक्रेटरियों को श्रेय है, दबी जबान से भले ही अधिकारियों को वह श्रेय दे दिया जाय...

श्री उपाध्यक्ष--आप यहां दबी जबान से नहीं निर्भय हो कर कहिये।

श्री मुक्तिनाथ राय--मैंने जो कटौती का प्रस्ताव इस संबंध में रखा है उसे वापस लेता हुआ मैं अपने कुछ विचार माननीय मंत्री जी के सम्मुख रखना चाहता हूं। मेरा भी यह विचार है कि ग्राम सभाओं की बड़ी छीछालेदर अधिकारी लोग करते हैं। मेरे क्षेत्र में तेरही भरौली एक गांव है। वहां के प्रधान श्री कामता मित्र के ऊपर एक मामला है जो कोर्ट में चल रहा है। वह जिले के संबंधित अधिकारी के आदेश से निलम्बित कर दिये जाते हैं जब कि गवर्नमेंट का जी० ओ० है कि पंचायत राज्य ऐक्ट की धारा ९५ (१)(जी०) के मुताबिक, जिसके अनुसार बिना संचालक, पंचायतराज की आज्ञा के किसी भी प्रधान को निलम्बित नहीं किया जा सकता है। वहां ए० डी० एम० पी० साहब ने प्रधान को निलम्बित कर दिया और यहां से आदेश पता नहीं गया या नहीं गया। इस तरह से आफिशियलडम हमारी पंचायतों को दबोचती जा रही है। मैं सरकार से इस विशेष मामले के संबंध में निवेदन करूंगा कि जांच की जाय और सरकार देखे कि सम्बन्धित अधिकारी ने जो कार्य किया है वह ठीक किया है या नहीं, और यह उसकी कार्यक्षमता की कसौटी होगी कि ऐसा व्यक्ति वहां रहने लायक है या नहीं और ग्राम सभाओं के संचालन का भार उन्हें सौंपा जाय या नहीं।

चुनाव के बारे में भी मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। एक गांव सभा है पचखौरा हरीराम जहां मेरा ग्राम है। श्री खिलावन यादव ने उस गांव सभा की सदस्यता के लिये पर्चा दाखिल किया, लेकिन पता नहीं कैसे उनका नामिनेशन हसनपुर गांव सभा की सदस्यता के लिये हो गया। इसके बाद उन्होंने ऐप्लिकेशन दी। दो साल, ढाई साल हो गये लेकिन वे अभी वहीं बने हुए हैं, कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैं यह नमूना इसलिये पेश कर रहा हूं कि यह कर्मठता हमारे उन कर्मचारियों की है जिन पर आपने पंचायतों को चलाने की जिम्मेदारी दे दी है। इसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री जी जांच करें।

इसी तरह से सेक्रेटरीज के संबंध में मैंने हाउस में प्रश्न किया था। बताया गया कि उनके करेक्टर रोल्स प्रधानों के जरिये भी देखे जाते हैं और वे मंत्री उनके प्रति भी जिम्मेदार होते हैं। लेकिन श्रीमन्, मैं यह देख रहा हूं कि आजमगढ़ जिले में जब इंस्पेक्टर साहब, ए० डी० एम० (पंचायत) साहब किसी सेक्रेटरी से नाराज होते हैं तो उसे जिले के एक कोने से दूसरे कोने

[श्री मुक्तिनाथ राय]

पर भेज देते हैं। तो मैं आप के द्वारा श्रीमन्, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट का यह जी० ओ० है कि ग्राम सभा के सेक्रेटरियों का करेक्टर रोल इन्स्पेक्टर बनायेंगे यानी पी० आर० आई० और ग्राम सभा के प्रधानों की भी राय ली जायगी तो जो सेक्रेटरियों का ट्रांस्फर दूर-दूर किया जाता है और वह फुटबाल की तरह से मारे-मारे फिरते हैं उसमें संबंधित ग्राम सभा के प्रधानों की भी राय ली गई है तो ठीक है। अगर वह नाखुश हैं तब तो अवश्य तबादला किया जाय। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है तो उनके खिलाफ कोई ऐक्शन या ऐसा क्रान्तिकारी कदम न उठाया जाय। मेरे खयाल से यह कार्य पंचायतराज के हित के विरुद्ध होगा।

मान्यवर, इधर मैंने अपने जिले में सुना है कि कुछ समय से पंचायत के सेक्रेटरियों का वहां के पंचायत अधिकारी साक्षात्कार करने वाले हैं, जब कि पंचायत के सेक्रेटरी ५–७ साल से काम कर रहे हैं अगर उनका काम बहुत ही खराब है तो उनको बरखास्त होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार एनब्लाक सब का साक्षात्कार किया जाय और उनका ग्रेडेशन हो ए, बी, सी, डी श्रेणी में, यह कुछ समझ में नहीं आता। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये।

टैक्स के बारे में मुझे कहना है कि पंचायतों द्वारा जो टैक्स लगाये जाते हैं वह बहुत ज्यादा हैं। मैं इसी माननीय सदन में कह चुका हूं कि जिला बोर्ड टैक्स लगाता है, उससे बहुत ही परेशानी होती है और पंचायतें लगाती हैं, उससे भी परेशानी होती है। असलियत तो यह है कि जिन पर वह टैक्स लगाया जाता है उनसे २०–२५ फीसदी से ज्यादा टैक्स वसूल नहीं हो पाता है। अब जब कोई टैक्स दे नहीं सकता है तो यह विडंबना किस लिये की जाती है, कि टैक्स लगाया जाय और वसूल न हो और जनता के विरुद्ध एक काम किया जाय। इसलिए पंचायतों द्वारा ज्यादा टैक्स लेने के जो नियम बनाये गये हैं उनमें बहुत संशोधन होना चाहिए। यदि पंचायतों के लिए जरूरी है कि टैक्स लें तो नामिनल लें और जो वर्तमान तरीके टैक्स लेने के हैं उनमें आमूल परिवर्तन होना चाहिए।

मान्यवर, अब मैं कुछ अपने जिले की नगरपालिका के बारे में कह देना चाहता हूं कि हमारे यहां ४ या पौने ५ लाख रुपये के करीब गवर्नमेंट ने वाटरवर्क्स के लिये लोन दिया है। वहां पर वाटर वर्क्स कायम हुआ है, लेकिन वहां बड़ा असन्तोष है कि चाहे पानी कोई ले या न ले, सबको वाटर टैक्स देना पड़ेगा। तो मेरा आपके द्वारा सरकार से अनुरोध है कि हमारे आजमगढ़ जिले में सन् १९५५ में भीषण बाढ़ आई और ऐतिहासिक बांध टूट गया, सारा शहर तबाह हो गया। तो यह जो नियम है और सरकार ने जो म्युनिसिपल बोर्ड को लोन दिया है उसको अगर सरकार ग्रांट के रूप में बदल दे तो बड़ी कृपा होगी। अगर यह असम्भव हो तो उसमें काफी कमी की जाय जिले की विशेष परिस्थिति को देखते हुए। जो लोग वाटर-वर्क्स से पानी नहीं ले पाते हैं उनके ऊपर अनिवार्य रूप से टैक्स न लगाया जाय। यह सरकार कर सकती है कि ज्यादा से ज्यादा नलों को वहां बिछा दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पानी लेने में समर्थ हों और गवर्नमेंट का जो ज्यादा पैसा लगा हुआ है वह ज्यादा लोगों से वसूल होने में निकल आवेगा। लेकिन पानी लें या न लें, अनिवार्य रूप से सब को कर देना होगा, यह अनुचित बात है।

अन्त में मान्यवर, जिला बोर्डों के बारे में कह दूं। मैंने माननीय सदन में कहा है और मैं इस राय का हूं कि जो वर्तमान जिला बोर्ड हैं उनसे जनता ऊब चुकी है। जब हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये वोट देने के लिये कहने जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि हम एक यूजलेस काम करने जा रहे हैं। मेरी जाती राय है कि जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सरकार भंग करने जा रही है, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बनाने जा रही है तो यदि वह जिला बोर्डों का कार्य-काल न बढ़ायें, यदि तत्काल उनको भंग कर दे तो हमारे माननीय सदन के जितने माननीय सदस्य हैं उनमें

से किसी को आपत्ति नहीं होगी । मान्यवर, हम जिला बोर्ड के चुनाव कराते हैं तो अंग्रेजीमें एक कहावत है, "to do something for nothing" बिलकुल वही हालत होती है और इस कार्य में हमारे समय, धन और जबान का बिलकुल अपव्यय होता है । तो अगर सरकार जिला बोर्डों को भंग करके एक ऐडवाइजरी कमेटी बनाये और ४, ६, बल्कि ८ महीने में एक कम्प्रेहेंसिव बिल लाकर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल को बनाये तो किसी को आपत्ति नहीं होगी और ऐसा करके, मैं समझता हूं कि सरकार जनहित का काम करेगी । इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदान का समर्थन करता हूं ।

कुवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस अनुदान पर यहां बहस हो रही है वह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुदान है । ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों को आज इस प्रजातन्त्र राज्य में प्रथम सोपान माना जा सकता है लेकिन बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि यह प्रथम सोपान आज भ्रष्टाचार का भी प्रथम सोपान हो गया है । उसका कारण क्या है, यह देखनेवाली बात है । आज पंचायतों का और ग्राम सभाओं का जो चुनाव होता है उसका दृश्य यदि माननीय सदस्यों ने देखा होगा या जो इससे इंटेरेस्टेड रहे होंगे वह जानते होंगे कि वह किस तरह से होता है और किस तरह के आदमी उसमें चुने जाते हैं । चुनाव श्रीमन् हाथ उठाकर होता है । गांव के तमाम लोग इकठ्ठे कर लिये जाते हैं और गवर्नमेंट के अफसर गिनकर कागज पर लिख लेते हैं । क्या लिखते हैं यह तो वही जानें । मैं इसका प्रमाण दे सकता हूं यदि माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो मैं उन आदमियों को भी ला सकता हूं कि जिनके पक्ष में केवल तीन हाथ उठे थे उनके आगे ३०० लिख दिया गया । खाली दो सिफर ही बढ़ाये गये । इस तरह से चुनाव होता है और वही लोग चुने जाते हैं जिनके लिये दिन और रात बराबर होते हैं ।

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री राम स्वरूप यादव)--अंकों में लिखा जाता है और वर्ड्स में भी लिखा जाता है ।

कुंवर श्रीपाल सिंह--जी हां, उसमें भी बढ़ा लिया गया । मैं निवेदन कर रहा था कि जो चुने जाते हैं वह सज्जन ऐसे होते हैं जिनको दिन और रात बराबर होते हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि दिन के समय वह डंडे से गांव वालों को धमकाते हैं और रात के वक्त दीवार को खराब करते हैं । ऐसे ही लोग ग्राम सभाओं के सरपंच चुने जाते हैं और वह इसलिये नहीं चुने जाते हैं कि ग्राम की जनता उनसे प्रसन्न होती है बल्कि डर के मारे, अगर न चुने तो दीवार खराब हो, घर जलाया जाय, खलिहान फूंक दिया जाय ।

भाई ऊदल जी ने कहा कि इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से विधान सभा की तरह से हो । इस पर शायद मंत्री जी ने कहा कि खर्चा बहुत पड़ेगा । इसके माने यह हैं कि बैलट बक्स वहां ले जाये जायेंगे । मैं कहता हूं कि हंडिया से भी तो काम चल सकता है । उसमें पर्चे डाल दिये जायं और उनको गिन लिया जाय । टालने की बात हो तो दूसरी बात है । वैसे बिना खर्चे के काम चल सकता है ।

अब श्रीमन्, मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि जो यह पुस्तिका छपी है वह हमें आज ही मिली है । वह कबूतर के डिब्बे में मिली है मैंने इसको पढ़ा है ।

श्री उपाध्यक्ष--सही शब्द कबूतरखाना है । (हंसी)

कुंवर श्रीपाल सिंह--जी हां, धन्यवाद । तो मैंने इसको यहीं बैठे-बैठे थोड़ा सा पढ़ा मगर उतने में ही मुझे कुछ ऐसी चीजें मिलीं जिनको अगर मैं श्रीमन्, के सामने रखूं तो वे देखेंगे कि इसमें क्या काम हुआ है । लेकिन ये जितने आंकड़े हैं

[कुंवर श्रीपालसिंह]

ये सब एग्जेजरेटेड हैं। इसको तो मैं गारन्टी के साथ कह सकता हूं क्योंकि मुझे इसका स्वयं अनुभव है। जिस गांव का मैं रहने वाला हूं वहां बहरापुर से लालगंज को एक सड़क जाती है। उस पर हर साल श्रमदान होता है कि इतने आदमियों ने काम किया, बड़ी मेहनत की गयी, लेकिन सब कागज पर, सड़क पर नहीं। श्रीमन् अगर वहां जाकर देखें तो सड़क का कहीं नाम ही नहीं है, खेतों के बीच में जरा सी पगडंडी छूटी हुई है। तो इन एग्जेजरेटेड आंकड़ों को ही अगर देखा जाय तो २७,४०९ ग्राम सभायें सूबे में हैं और सन् १९५६-५७ में ढाई सौ मील सड़कें बनायी गयीं। अब अगर ढाई सौ मील २७,४०९ ग्राम सभाओं में बांटे जायं तो १५ गज फी ग्राम सभा में आता है जिनमें खड़ंजे लगाये गये। श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं जरा इसको पढ़ देना चाहता हूं।

"बरसात के दिनों में गांव की गलियां कीचड़ से भर जाती हैं" जरा शब्दों पर गौर करें, श्रीमन्, कितने आकर्षक हैं—"और उनमें चलना बहुत असुविधाजनक हो जाता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये पंचायतों द्वारा गांव की गलियों में खड़ंजा बिछाने की योजना अपनायी गयी। सन् १९५६-५७ में ढाई सौ मील दूरी में खड़ंजा बिछाया गया।" यानी १५ गज फी गांव। अब अगर १५ गज एक गांव की गली में खड़ंजा बिछा भी दिया गया तो गलियां जो कीचड़ से भरी रहती थीं वे सब की सब पक्की हो गयीं और हमने मान लिया कि अब वहां कीचड़ नहीं है। इस तरह की एग्जेजरेटेड फीगर्स दी जाती हैं।

वन महोत्सव के संबंध में अपने ही जिले की बात कहना चाहता हूं। दो तीन साल पहले की बात है जब मैं यहां नहीं था और न मुझे यहां आने का शौक ही उस वक्त पैदा हुआ था। मेरे जिले में एक तहसीलदार बेचारे जरा ईमानदार किस्म के थे। उन्होंने वन महोत्सव में जो पेड़ लगाये गये उनकी सही तादाद लिख दी कि ३,२०० पेड़ कुल लगाये गये। इस पर एक इतना बड़ा रुक्का उनके पास आ गया कि तुम बहुत खराब काम करने वाले हो, दूसरी तहसीलों में तो किसी में १४,०००, किसी में २०,००० और किसी में ३०,००० पेड़ लगाये गये हैं। वे तहसीलदार साहब उस रुक्के को लेकर झख मार रहे थे। उनके नायब तहसीलदार साहब ने कहा कि आप भी किस झगड़े में फंसे हुये हैं, एक दो जीरो और बढ़ा दीजिये। श्रीमन्, जब से वन महोत्सव प्रारम्भ हुआ है तब से पेड़ लगाये जाने के आंकड़े अगर सब जिलों से इकट्ठे किये जायं तो पेड़ों की संख्या इतनी हो जायगी कि इस प्रांत में आदमियों के रहने के लिये जगह ही नहीं रह जायगी, यह कौंसिल हाउस भी नहीं रह जायगा, सब पेड़ ही पेड़ दिखायी पड़ेंगे। पेड़ लगाये कैसे जाते हैं? जब वन महोत्सव होता है तो जिलाधीश महोदय का दौरा होता है। वहां जाकर देखिये तो इतनी बड़ी-बड़ी टहनियां काट कर जमीन में गाड़ दी जाती हैं और कागज के ऊपर लिख दिया जाता है कि इतने पेड़ लगाये गये। मगर दस रोज के बाद कोई पेड़ नहीं मिलेगा क्योंकि वे तो टहनियां गड़ी हुई थीं, उनमें जड़ कहां। तो ये चीजें हैं हमारे पंचायत राज की जिनको हम समझते हैं कि इन्हीं के जरिये रामराज्य घसीट कर ले आयेंगे।

श्रीमन्, मैं दो मिनट का समय और चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—आपके दो मिनट अभी हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—उसके अलावा २ मिनट और चाहूंगा क्योंकि मुझे कुछ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में भी कहना है।

श्री उपाध्यक्ष—बहुत संक्षेप में कहिये।

कुंवर श्रीपाल सिंह—बहुत संक्षेप में ही कहूंगा, श्रीमन्।

मैं यह निवेदन करूंगा कि इसी प्रथा के ऊपर हमारा यह विचार है कि रामराज्य को लाकर यहां जमीन पर रख देंगे और इन पंचायतों के जरिये से ही उम्दा किस्म की

हुकूमत बनायेंगे। जब वह नीव का पहला ईंटा ही कमजोर हो चुका है तो फिर तो वह इमारत कभी भी गिर सकती है।

अब मैं कुछ अदालत पंचायतों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यह जो अदालती पंचायतें बनाई गई हैं उनका रवैया जिस प्रकार का है उसको भी आप देखें। उनका काम क्या है। अगर वह सरपंच गांव में किसी से नाराज हो गये तो उसके ऊपर फौरन मुकदमा दायर हो गया। जब किसी ने कोई सामान नहीं दिया या कोई नाराजगी की बात हो गई तो उसके ऊपर मुकदमा दायर हो गया। मेरे सिंगरामऊ गांव में अमानत नाम का एक दर्जी था। उसके ऊपर सरपंच साहब नाराज हो गये। उसने शायद उनका कोट नहीं सिया था। तो उसके दरवाजे पर एक नीम का पेड़ था उसकी एक टहनी टूटकर गिर पड़ी। बस उस पर मुकदमा दायर हो गया और उस पर १०० रुपया जुर्माना कर दिया गया। कछौरा नदी के किनारे एक गांव है। वहां पर एक पंडित जी थे उनका मकान गिर गया था। उनके दरवाजे पर उनका ही लगाया हुआ एक महुवे का पेड़ था। उन्होंने उस पेड़ की लकड़ी अपने मकान में लगा दी। पंचायत के लोगों ने उनको सजा कर दी। मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां जो यह अधिकार दिया गया है यह इतना खतरनाक हो गया है कि गांववालों की जिन्दगी उससे दूभर हो गई है। उनका आराम से रहना मुश्किल हो चुका है। अधिकार उसी को दिया जाना चाहिये जो उस अधिकार को सुचारुरूप से बर्ताव में ला सके। ऐसे आदमी को अधिकार दे दिया जाता है जो उसको समझता नहीं तो फिर उससे कठिनाई पैदा होती है। सरपंच ऐसे होते हैं जिनको दस्तखत करना नहीं आता है। फैसला दूसरा लिख देता है और सरपंच अपने अंगूठे का निशान लगा देते हैं। इस किस्म का अधिकार ऐसी जगहों में नहीं फेकना चाहिये।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में मेरा यह निवेदन है कि शायद मंत्री जी यह कहते हैं कि इधर के लोग चुनाव को रोकना चाहते हैं। यह तो उनकी यही बात है कि "मीठा मीठा गप्प और कड़ुवा कड़ुवा थू"। आप खींचना तो खुद चाहते हैं लेकिन चाहते हैं कि इधर के लोग कहें। जिस वक्त यहां पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल पेश हुआ था तो उस वक्त भी कहा था कि जो यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के तानाशाह बैठे हुये हैं इनको हटाकर चाहे आप ६ महीने या साल भर के बाद चुनाव करें लेकिन इनको हटा दिया जाय। उस वक्त सरकार ने कहा कि यह ठीक नहीं है। जो तानाशाह आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में बैठे हुये हैं उनके अन्दर मनुष्यता नहीं रह गई है। वे अधिकार के मद में आकर अपनी आंखें मूंद चुके हैं। उनको हटा दिया जाय। आप आराम से फिर चुनाव करावें। जैसा कि कल मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बनाई जायगी तो उसको बनाकर उसके आधार पर आप चुनाव करायें। केवल डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बनाकर फिर आप बाद में चुनाव करा सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड फौरन भंग किये जायं और भंग करके उनकी जगह पर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का विधान बनाकर पास करें और उसके बाद जाड़ों में फिर चुनाव करावें।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय स्वशासन मंत्री जी ने जो अनुदान सदन के सामने रखा है उस अनुदान पर मेरा भी कटौती का प्रस्ताव था लेकिन मैं उस प्रस्ताव को न रखते हुये वैसे ही अपने विचार रखने की कोशिश करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे एक साथी ने चुनाव पद्धति की निन्दा की है। उस विषय में मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि भविष्य में पंचायत और ग्रामसभाओं का चुनाव वास्तव में बैलट पेपर के द्वारा ही होना चाहिये और जो लोग अपना नामिनेशन पेपर भरें उनके चरित्र के विषय में काफी जानकारी कर लेनी चाहिये।

[श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि]

जो सदस्य अभी बोल रहे थे उनकी कुछ बातों का तो जरूर समर्थन करता हूं लेकिन कुछ बातें उनकी दिमाग में नहीं आती। उन्होंने कहा कि टहनी लगादी और वन-महोत्सव हो गया। ऐसी बातें उनके क्षेत्र में हुई होंगी लेकिन वह शायद उनकी गैरजिम्मेदारी की बात रही।

श्री उपाध्यक्ष—आप 'गैरजिम्मेदारी' शब्द को वापस लें।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि—मैं वापस लेता हूं। हमारे शाहाबाद कस्बे में इक्के तांगे वाले बहुत गरीब हैं। शाहाबाद स्टेशन से आंझी स्टेशन तक लगभग सवा दो मील लम्बी सड़क है जिसका दो तीन फर्लांग हिस्सा म्युनिसिपैलिटी से बाहर पड़ता है। इसलिये उन गरीब लोगों को म्युनिसिपैलिटी और जिला बोर्ड दोनों को टैक्स देना पड़ता है। उन पर एक ही टैक्स पड़ना चाहिये। अधिक टैक्स के कारण उनमें से कुछ ने अपने इक्के तांगे आंझी के बजाय शाहजहांपुर को चलाना शुरू कर दिये हैं।

वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में नई चीज कही कि कुछ उनके लिये किया जायगा जिन पर लक्ष्मी की कृपा अभी तक नहीं हुई। अफसोस है कि उस मौके पर मुझे बोलने के लिये समय नहीं मिल सका लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि लक्ष्मी की कृपा उनकी राय में किन पर नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष—आप प्रस्तुत अनुदानों पर ही बोलें, बजट के आम विवाद में न जावें।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि—अनुदान संख्या ३४ पर ही मैं कहता हूं कि लक्ष्मी की कृपा हमारे प्रदेश में अभी तक मेहतर वर्ग पर नहीं हुई। इस अनुदान पर मैं सुझाव दूंगा कि स्थानीय निकायों में मेहतरों की संख्या, मुलाजिमों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिये मुझे इसके बारे में कहने का अधिकार भी इस अनुदान में अधिक है। सबसे ज्यादा गिरी हुई हालत मेहतर समुदाय की है। इसकी चर्चा करने से कहीं यह न समझा जावे जैसा कि हमारे यहां पुराने किले और सदर बाजार के बीच में एक रेलवे का फाटक है। चाहे रेल आने वाली हों या न हो, लेकिन एक पागल लड़का वहां यह रट लगाया करता है कि वह आवेगी, वह आवेगी। मैं भी केवल मेहतरों की रट लगाता हूं। मैं तो शरमाता हूं बारबार इस बात को कहकर कि मैंने ही क्या इन बातों को कहने का ठेका ले रखा है।

एक कबूतर खाने का जिक्र हुआ था। मैं भी वहां से पुस्तक ले आया और जल्दी जल्दी इसे देख भी डाला। मुझे इसमें कहीं भी मेहतरों के लिये कुछ नजर नहीं आया। गृहनिर्माण के बारे में इसमें काफी लिखा है। २, ४ साल पहले मेहतरों के लिये कुछ क्वार्टरों की बात आई थी। मुझे लगभग समूचे प्रदेश में जाने का मौका होता है। कई म्युनिसिपैलिटीज ने मुझसे कहा कि यदि सरकार आधा पैसा दे तो वे बोर्ड के द्वारा आधा पैसा लगाकर मेहतरों के लिये क्वार्टर्स बना सकते हैं।

एक बात और मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अभी ५ रुपया का महंगाई भत्ता म्युनिसिपैलिटियों के कर्मचारियों का बढ़ाया गया है। मेहतरों को भी खींचतान करके वह मिल गया लेकिन पार्ट टाइम मेहतर वर्कर्स को वह नहीं मिल पाया। मैंने इस बारे में पत्र लिखा तो सेक्रेटरी महोदय का जवाब आया कि इस पर विचार हो रहा है। न जाने कब तक इस पर विचार होगा। हमें आशा है कि यह ५ रुपया उनको भी मिल जायगा।

इसके अतिरिक्त श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि शाहाबाद के म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन ने एक प्रस्ताव पास करा कर यहां भेजा कि हम मेहतरों की तनख्वाहों को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उसको सरकार द्वारा अस्वीकृत

कर दिया गया। बिलग्राम के चेयरमैन ने सरकार को लिखा कि हम मेहतरों को प्राइवेट घरों का मैला कूड़ा देना चाहते हैं जिससे उनकी आर्थिक हालत सुधर जाय। किन्तु सरकार ने नहीं माना। अगर इन बातों की भी आज्ञा उनको न दी जायगी तो मेहतरों की आर्थिक हालत किस प्रकार से ठीक होगी। हमारे प्रांत में ऐसी म्युनिसिपैलिटियां भी हैं जो मेहतरों के हाथ प्राइवेट घरोंके मैले कूड़ेको बेंच देती हैं। नगीना की म्युनिसिपैलिटी उनके प्राइवेट घरों के कूड़े मैले को नहीं लेती है। एक और म्युनिसिपैलिटी उसको नीलाम मेहतरों के हाथ करती है और शाहाबाद में आधा पैसा स्वयं ले लेती है और आधा मेहतरों को देती है लखनऊ, बनारस, आगरा आदि बड़े बड़े शहरों को तो छोड़ दीजिये किन्तु लखीमपुर, बाराबंकी हरदोई आदि छोटे-छोटे स्थानीय निकायों में यह कूड़ा मैला मेहतरों को दिया जाय। कुछ म्युनिसिपल बोर्ड जो कम्पोस्ट बनाते हैं उसके लिये मेहतरों को मैला कूड़ा डालने का स्थान तक नहीं देते हैं।

*श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वशासन मंत्री जी ने ग्राम पंचायतों के संबंध में जो यहां पर अपनी रिपोर्ट पेश की है उसके संबंध में उन्होंने बताया है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। मैं कहूंगा कि उन्होंने अपने भाषण में खुद ही इस बात को स्वीकार किया है कि इसमें बहुत कुछ सत्य है और बहुत कुछ असत्य है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या शहरों के अन्दर जो यह अट्टालिकायें और बड़ी बड़ी साधन सामग्री दिखायी पड़ती हैं क्या वह गांवों के परिश्रम के आधार पर नहीं हैं? लेकिन अगर थोड़ा बहुत काम भी गांवों में कर दिया जाता है तो यह दिखाया जाता है कि हमने गांव सभाओं के जरिये गावों की हालत को बहुत कुछ सुधारा है। यह उसी प्रकार से हुआ जैसे बिड़ला टाटा और डालमियां करोड़ों रुपया जनता से चूसते हैं और सदाव्रत लगा देते हैं, जहां कुछ साधू संन्यासी खाने चले जाते हैं और बिड़ला टाटा, डालमियां के गुण गाये जाते हैं। इसी प्रकार से इस सरकार के गुण गाये जाते हैं कि सरकार ग्रामीणों की भलाई के लिये बहुत कुछ कर रही है।

मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि आज की सरकार गांव पंचायतों और ग्राम सभाओं को पंगु बनाने जा रही है और बहुत हद तक उसने उनको पंगु बना भी दिया है। मैं सरकार से कहूंगा कि ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों के बारे में जो तरीका उन्होंने अपनाया है, वह एक बहुत ही भद्दा तरीका है। जबकि संसद् का चुनाव होता है या विधान सभा का चुनाव होता है, जहां कि ७५ हजार और दो-दो ढाई-ढाई लाख वोटर्स होते हैं, वहां तो अप्रत्यक्ष चुनाव कराया जाता है क्योंकि विधान सभा के सदस्य या संसद् के सदस्य लाखों आदमियों से दुश्मनी नहीं रख सकते हैं और न उसे पूरा कर सकते हैं। ग्राम पंचायतों का एरिया तो बहुत छोटा होता है, थोड़े से लोगों के बीच में चुनाव होता है, उसका प्रत्यक्ष चुनाव करा कर ग्राम सभा के सभापतियों और उसके पंचों, सरपंचों को सरकार यह मौका देती है कि अगर उनको वोट नहीं मिलता है तो वे ग्रामीणों पर अत्याचार करें, उनको दबायें और उनको सतायें। तो मैं यह अच्छी तरह से महसूस करता हूं और माननीय मंत्री जी से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि अगर वे वास्तव में महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी हैं तो एक हद तक संसद् का चुनाव या विधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष न हो तो न हो लेकिन ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों का चुनाव अप्रत्यक्ष होना चाहिये। यह बहुत जरूरी है और यह तरीका प्रजातंत्र को मजबूत करने वाला है।

साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के संबंध में यह प्रार्थना करूंगा कि इस वक्त प्रांत के हर एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को फौरन भंग कर दिया जाय और जितना जल्दी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रूम सिंह]

हो सके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव कराये जायं। साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि उन्होंने पंचायतों में जो सरकारी कर्मचारियों की एक फौज बना रखी है ये सरकारी कर्मचारी उनको केवल झूठी रिपोर्ट देते हैं, माननीय मंत्री जी ने इसको खुद भी स्वीकार किया है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ये इंसपेक्टर, असिस्टेंट पंचायत आफिसर, जिला पंचायत आफिसर और सेक्रेटरीज, उनको कहें कि वे कम से कम एक एक अदालती पंचायत और ग्राम सभा को चुनें और वहां पर ग्राम सभा को आदर्श बनाने की कोशिश करें और उसके अन्दर सफाई, शिक्षा, खेती, कोआपरेटिव का काम तथा निर्माण के सब कामों की शिक्षा दीक्षा दें और उनको इस काबिल बना सकें कि वे अपनी-अपनी ग्राम सभाओं की उन्नति कर सकें। मुझे उम्मीद है कि अगर मेरे इस सुझाव को अपनाया गया और उसके अनुसार काम हुआ तो इस प्रदेश का कायापलट हो सकता है और बहुत बड़ी उन्नति हो सकती है।

आज हमारे गांवों के अन्दर पाखाने की इतनी बड़ी दिक्कत है कि जो औरतें सूरज निकलने से पहले पाखाने नहीं जा पाती हैं, उनको दिन भर अपने घरों के अन्दर ही बन्द रहना पड़ता है जिससे उनको तरह-तरह के मर्ज और रोग हो जाते हैं। अगर माननीय मंत्री जी हर गांव में टट्टियों का प्रबन्ध कर दें तो इस प्रदेश का बहुत बड़ा कल्याण होगा और औरतों को काफी सुविधा हो जायगी। टट्टियां न होने की वजह से औरतें और मर्द लोग भी अपने गांव के पड़ोस के खेतों में पाखाना कर देते हैं, जिसमें कि फसल तैयार होती है। सुबह होने पर मेहतरों के सुअर निकल कर पाखाने खाने के लिये उन खेतों में घुस जाते हैं और उस फसल को बरबाद कर देते हैं। और वह कीमती खाद जिसको लेकर चीन ने तरक्की की, आज हमारे यहां बरबाद हो जाती है। अगर आज गांवों के अन्दर माननीय मंत्री जी टट्टियों का इन्तजाम करवा दें और उसके लिये ये ही इंस्पेक्टर्स प्लानिंग आफिसर्स और असिस्टेंट प्लानिंग आफिसर्स कोशिश करें तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आज जो गल्ले के लिये दूसरे मुल्कों के आगे हाथ पसारना पड़ता है, और जिसके लिये सरकार बराबर रोना रोया करती है, वह खत्म हो जाय और इससे बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। अगर गेहूं की फसल हुई, या आलू की फसल हुई, या शकरकन्दी की फसल हुई उसके अन्दर सुअर घुस जाते हैं और सारी फसल को बरबाद कर देते हैं। खड़ी फसल को बरबाद कर देते हैं। अगर माननीय मंत्री जी मेरी प्रार्थना को मान कर गांवों में टट्टियों के बनवाने का इन्तजाम कर दें तो इससे हमारे प्रदेश का काया पलट हो जायगा और बहुत बड़ी तरक्की होगी। कम से कम हिन्दुस्तान की स्त्रियां इस बात को महसूस करेंगी कि जो हमारी सबसे बड़ी जबरदस्त तकलीफ है उसको सरकार मिटाने जा रही है। इन बातों के कहने के बाद कि अगर आप इन गांव सभाओं और पंचायतों को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो आप का फर्ज है कि कम से कम राज्य की आय का एक चौथाई भाग उनको दें जबकि आप अपने आप अरबों और करोड़ों रुपया व्यय करते हैं। प्रजातंत्र के नाम पर वोट से आप भी आये हैं और वोट से ही वहां के प्रधान और गांवसभाओं के सदस्य चुने जाते हैं तो आप उनको क्यों पैसा नहीं देते ताकि वह अपना इन्तजाम स्वयं करें। आप यह कह सकते हैं कि ग्रामीण जनता अभी इस योग्य नहीं है कि वह राजकाज को ठीक तरह से चला सके इस कारण से हम अभी उन्हें यह भार नहीं देते उसके जवाब में मैं आप से कहूंगा कि आप के सामने आडिट रिपोर्ट है जिस में लिखा है कि ४०-४१ करोड़ की वाउचर और रसीदें गायब हैं। इस तरह से यह रकम आप के यहां गबन के तरीके पर साबित हो सकती है। आप का भी इन्तजाम ठीक नहीं है तो आप क्यों व्यय करने का अधिकार रखे हैं। इसी तरह से अगर आरम्भ में उनसे भी कोई गलती हो तो मेरा खयाल है कि आपको उनको मौका देना चाहिये और बावजूद गलती के फिर भी उन्हें राज्य की आय का एक चौथाई भाग व्यय करने के लिये देनी चाहिये इसमें कौन सा पाप है, कौन सी कठिनाई है? इससे कम से कम इतना तो होगा कि दौलत बिखरेगी और वह लाखों हाथों से व्यय

होगी और लाखों हाथों में जायेगी और कम से कम प्रजातंत्र की जो पद्धति है जिसकी बिना पर आप अपने हाथ में हुकूमत लिये हैं वह तो सार्थक होगी। अन्त में माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि सचमुच में आप ग्रामीण जनता को यह अधिकार दें और कोई हिचक इस में नहीं होनी चाहिये, चाहे वह उसे गलती से बरबाद भी करें तब भी यह उनका अधिकार है। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जिसे श्री राज नारायण जी ने पेश किया है।

श्री उपाध्यक्ष---अब आप का समय समाप्त हो गया। अब कल श्री हिम्मत सिंह पहले बोलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२६ फरवरी, १९५८,

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९५ पर।)

उत्तर प्रदेश में प्रकाशित समाचार-पत्र एवं पत्रिकाओं का विवरण

भाषा	दैनिक	अर्द्ध साप्ताहिक	साप्ताहिक	पाक्षिक	मासिक	त्रैमासिक एवं वार्षिक	योग
१—हिन्दी ..	४०	७	२०२	४३	२०४	४४	५४०
२—अंग्रेजी ..	७	१	२२	१	३०	२२	८३
३—उर्दू ..	९	२	७५	१३	५२	३	१५४
४—अन्य भाषाओं में	—	—	३	—	६	२	११
कुल योग ..	५६	१०	३०२	५७	२९२	७१	७८८

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९९ पर।)

पुलिस सर्किल बलरामपुर, जिला गोंडा के अन्तर्गत थानों में १९५४ से १९५७ तक हुई डकैतियों, हत्याओं तथा चोरियों का विवरण

थाना	डकैती	कत्ल	चोरी
बलरामपुर	१	१०	१५४
कौड़िया	४	९	५७
तुलसीपुर	३	४	७६
इंटियाठोक	५	१६	६५
उतरौला	५	११	७८
पचपेड़वा	१	९	२७
ललिया	—	१२	४१
धानेपुर	३	७	४१
योग ..	२२	७८	५३९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७१–७२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०४ पर।)

जिला मैनपुरी में १ जनवरी, १९५७ से १० दिसम्बर, १९५७ तक की चोरी तथा डकैती की घटनाओं का विवरण

क्रम-संख्या	थाने का नाम	चोरी		डकैती	
		नामजद घटनाओं की संख्या	घटनाओं की संख्या जिनमें कार्यवाही नहीं की गई	नामजद घटनाओं की संख्या	घटनाओं की संख्या जिनमें कार्यवाही नहीं की गई
१	कोतवाली	१०३	३	१	—
२	शिकोहाबाद	६५	५	२	—
३	सिरसागंज	४५	१	६	—
४	घिरोर	२१	२	१	—
५	जसराना	१७	२	२	—
६	एका	२२	१	५	—
७	फरिहा	२४	१	—	—
८	भोगांव	६९	१०	५	—
९	बेवर	५१	४	—	—
१०	किशनी	५०	६	२	—
११	कुरो	२६	१	१	—
१२	करहल	३७	८	२	—
१३	कुरावली	५०	२	२	—
	योग	५८०	४६	२९	—

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१०४ एल० ए०—१९५८–८१०।